श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड

श्री हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

वार्षिक प्रतिवेदन

रा॰खा॰सु॰का॰ 2013 की धारा 16 (6-च) के अन्तर्गत

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग

महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड के साथ शिष्टाचार भेंट

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन

(1 जुलाई 2018 से 30 जून 2020 तक)

रा०खा०सु०का० 2013 की धारा 16 (6-च) के अन्तर्गत

सम्पादक मंडल

मार्गदर्शन : श्री सुधीर प्रसाद
अध्यक्ष

संकलनकर्त्ता : डॉ॰ रंजना कुमारी
सदस्य

परामर्श : श्री उपेन्द्र नारायण उराँव
सदस्य

श्री हलधर महतो
सदस्य

सहयोग : श्री विनोद कुमार वर्मा
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

सुश्री शालिनी साबू
परामर्श

श्री जियाउल रहमान
टंकन

सुश्री प्रेमलता
टंकन

मोटा अनाज को बढ़ावा दें।

विषय सूची

क्र0 सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
i	माननीय मंत्री (खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार) दो शब्द	
ii	प्रस्तावना – अध्यक्ष की कलम से	
1.	**अध्याय–1 एक संक्षिप्त परिचय**	**1**
	1.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013	1
	1.2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत विभिन्न योजनाएँ एवं हकदारियाँ।	3
	1.3 राज्य खाद्य आयोग–भूमिका।	7
	1.4 झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की परिकल्पना एवं वर्तमान सदस्य एवं टीम।	7
	1.5 झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के दायित्व एवम् प्रमुख कार्य।	7
	1.6 झारखण्ड की वस्तुस्थिति–आँकड़े।	9
	1.7 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 अंतर्गत शिकायतों के निपटारा की प्रक्रिया और आयोग।	11
2.	**अध्याय–2 खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण**	**14**
	2.1 बैठकें	14
	2.2 अनुश्रवण एवम् मूल्यांकन हेतु भ्रमण	27
	2.3 प्रचार–प्रसार	44
	(i) कार्यशाला	44
	(ii) प्रकाशन/विज्ञापन	49
	2.4 पारदर्शिता/अंकरूपण/सरलीकरण हेतु किये गये कार्य।	49
3.	**अध्याय–3 खाद्य सुरक्षा संबंधी शिकायतों का निपटारा**	**52**
	3.1 कोर्ट/सुनवाई। न्यायालय संबंधित कार्य।	52
4.	**अध्याय–4 शोध अध्ययन एवं मूल्यांकन।**	**58**
5.	**अध्याय–5 नीति निर्धारण/सुझाव**	**63**
	5.1 महत्वपूर्ण पत्राचार एवं सुझाव।	63
6.	**अध्याय–6 महत्वपूर्ण उपलब्धियां।**	**68**

आयोग के मानव संसाधन

श्री सुधीर प्रसाद, (भा0प्र0से0, से0नि0),
अध्यक्ष

श्री उपेन्द्र नारायण उरांव, (भा0प्र0से0, से0नि0)
वरीय सदस्य

श्री हलधर महतो
सदस्य

डॉ0 रंजना कुमारी
सदस्य

श्री मदन मोहनपति त्रिपाठी, (झा0स0से0, से0नि0)
विशेष कार्य पदाधिकारी

श्री नरेश प्रसाद केवट, (झा0स0से0)
अवर सचिव

श्री सिकन्दर राय
प्रशाखा पदाधिकारी

श्री कुमार रविश, (झा0स0से0)
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

श्री विनोद कुमार वर्मा, (झा0स0से0)
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

श्री राघवेन्द्र ठाकुर

आशुलिपिक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरों की टीम

श्री जियाउल रहमान

श्री वाल्मीकि कुमार

सुश्री प्रेमलता

श्रीमती अंजू कुमारी

श्रीमती रचना देवी

दो शब्द...

माननीय मंत्री की कलम से.....

डा० रामेश्वर उराँव
मंत्री

योजना-सह-वित्त विभाग, वाणिज्यकर विभाग तथा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार

पत्रांक : 671/मं०वि०का०

दिनांक : 03/02/2021

शुभकामना संदेश

यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा दूसरा विशेष वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन किया जा रहा है । इस प्रतिवेदन में झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा किये जा रहे कार्य कलाप के साथ–साथ विभिन्न प्रकार के लाभुकों के हकदारियों से संबंधित जानकारी का विस्तृत समावेश होगा। यह प्रतिवेदन समाज के लिए उपयोगी सिद्व होगा।

इस प्रतिवेदन के प्रकाशन पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाऐं

रामेश्वर उरांव

(डा० रामेश्वर उराँव)

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची । आवास : डिप्टी पाड़ा, कचहरी रोड, राँची

मध्याह्न भोजन

आँगनवाड़ी केन्द्र पर भोजन

जन वितरण प्रणाली केन्द्र

गर्भवती महिला

प्रस्तावना...

अध्यक्ष की कलम से.....

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून–2013 की धारा के अन्तर्गत राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून–2013 की धारा–40 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के आलोक में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–7380 दिनांक–09.12.2015 द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली का गठन किया गया है एवं अधिसूचना संख्या–1632 दिनांक–13.04.2017 द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है। आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त खाद्य एवं पोषण विषयक संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के पाँच पदों के विरूद्ध विशेषज्ञ सदस्य के रूप में तीन सदस्य कार्यरत हैं।

आयोग ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने अनुभवी सदस्यों की टीम के माध्यम से झारखण्ड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु कई नवाचारी प्रयास किए हैं। वर्ष के कालखंड में आयोग के द्वारा किए गये प्रयास वर्ष 2017–18 के वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में विधान सभा के समक्ष रखा जा चुका है। जुलाई 2018 से जून 2020 तक का प्रतिवेदन की विशेष वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है।

आयोग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून–2013 के अध्याय–02 के अन्तर्गत विभिन्न विभाग यथा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं अध्याय–12 के उपधारा–30 एवं 31 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अग्रसर करने के लिए कल्याण विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर पोषण सुरक्षा हेतु कई गतिविधियाँ की गई है।

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली–2015 के अन्तर्गत खण्ड–10, के आलोक में झारखण्ड के विभिन्न जिलों में भ्रमण कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से संबंधित कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया गया। आयोग द्वारा महत्त्वपूर्ण संस्थानों (अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी एवं क्राईस्ट कालेज, बंगलोर तथा एक्स0आई0एस0एस0, राँची) के सहयोग से Internship कार्यक्रम को प्रोत्साहित कर उनके माध्यम से भी कई महत्त्वपूर्ण अध्ययन एवं मूल्यांकन का कार्य कराया गया है, जिस पर आयोग द्वारा अध्ययन कर अपना सुझाव सरकार को भेजा जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान विशिष्ट रूप से राज्य की जनता को मिलने वाले अनाज एवं अन्य सुविधाओं पर भी आयोग द्वारा अध्ययन कराया गया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून–2013 के अध्याय–02 के अधीन उपबंधित हकदारियों के उल्लंघन पर जाँच करने का कार्य किया गया एवं स्वप्रेरणा से भी जाँचोपरांत कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए। जिला स्तर पर जन सुनवाई, जागरूकता कार्यशाला, अखबार के माध्यम से प्रचार–प्रसार करने का कार्य किया गया। आयोग के द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं, स्थानीय स्वशासन की सहभागिता को सशक्त करने एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून–2013 के तहत् सुनिश्चित करने हेतु तत्परता दिखाई गई। लॉकडाउन के दौरान एवं बाद में विशेष रूप से प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से शिकायतों की सुनवाई की गई तथा हकदारी दिलाई गई। लॉकडाउन के दौरान बाहर से आने वाले श्रमिकों के रहन–सहन, खान–पान एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जाँच आदि हेतु सभी जिला प्रशासन को दिशा–निर्देश दिए गए। साथ ही लॉकडाउन के दौरान अनाज वितरण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा लागू व्यवस्थाओं के अनुरूप अन्न वितरण हेतु आयोग द्वारा समय–समय पर विज्ञापन प्रकाशित किए गए ताकि आमजन को उन्हें प्राप्त होने वाली हकदारियों की पूर्ण जानकारी हो सके तथा वे इस हेतु सजग रहें।

इस प्रतिवेदन को सुन्दर ढंग से संकलित करने के लिए हम आयोग के सदस्यों एवं तमाम सहयोगियों के आभारी हैं।

राज्य सरकार, स्वायत निकाय एवं गैर सरकारी संगठनों तथा खाद्य पोषण पर कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं एवं बुद्धिजीवियों का जिन्होंने समय–समय पर अपना योगदान दिया है हम उनके आभारी है एवम् उनसे अपेक्षा रखते हैं कि आगे भी हमारा सहयोग करेगें।

(सुधीर प्रसाद)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

दिनांक-17-18 जुन 2019 को बैंगलोर में आयोजित Consultative बैठक।

दिनांक-29.11.2018 को दिल्ली में भारत सरकार के साथ आयोजित समीक्षात्मक बैठक

अध्याय - 1

एक संक्षिप्त परिचय

1.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2013

जनमानस को उत्कृष्ट खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में सस्ती कीमतों पर मिल सके तथा वे खाद्य एवं पोषण संबंधित सुरक्षा से आच्छादित रहें, इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 को पारित किया गया है। इस कानून के माध्यम से वंचित लोगों को सुलभ तरीके से खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाते है ताकि भूख उनके जीवन चक्र में बाधा न बन सके।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 को 10 सितम्बर 2013 में अधिसूचित किया पर यह 5 जुलाई 2013 से प्रभावी हुआ। यह कानून मानव के संपूर्ण जीवन चक्र की बात करता है कि उन्हें उचित भुगतेय मूल्य पर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा उपलब्ध करायी जा सके ताकि प्रत्येक अवस्था में मानव सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। यह कानून मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों की बात करता है तथा पूरे जनसंख्या की 2/3 (दो तिहाई) हिस्से को आच्छादित करता है। ग्रामीण क्षेत्र के 75 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र के 50 प्रतिशत जनसंख्या इसके अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा यह कानून बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताओं के पोषण की आवश्यकताओं को भी पूरी करने की बात कहता है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र गृहस्थ के सदस्यों द्वारा 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति, प्रति माह, सहायता प्राप्त कीमतों पर (01रू की दर) प्राप्त करने एवं अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत कार्डधारियों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार, 1रू की दर पर, प्राप्त करने की हकदारी है। इस कानून के अन्तर्गत राज्य में संचालित जन वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, ICDS आंगनबाड़ी एवं मातृ लाभकारी योजनाएँ आती हैं। कानून, पूरक–पोषाहार, स्तनपान को बढ़ावा देने की भी बात करता है। अधिनियम के तहत घर की मुखिया महिला जो 18 वर्ष से अधिक उम्र की हैं, के नाम से ही राशन कार्ड का होना है, जो महिला सशक्तीकरण को भी इंगित करता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत प्रमुख प्रावधान एवं धाराओं का अवलोकन
(विस्तृत जानकारी हेतु अधिनियम का अध्ययन करें) (राज्य खाद्य आयोग से संबंधित)
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत मुख्य धाराओं का सारांश

अध्याय –।। के धारा 3, 4, 5, एवं 6 – खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध/हकदारियों का सारांश

(कम दर या सहायता प्राप्त दर पर अनाज, गर्भवती स्त्रियाँ और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण सहायता, बालकों एवं बालिकाओं को पोषाहार सहायता, बाल कुपोषण का निवारण एवं प्रबंधन)

- परिवार की सबसे बड़ी महिला के नाम से राशन कार्ड का होना
- हकदारियों के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन

अध्याय–।।। (धारा–8)

- खाद्य सुरक्षा भत्ता।

अध्याय–iv (धारा–9,10,11) पात्र गृहस्थी की पहचान।

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जनसमुदाय को लाना।
- राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना और प्राथमिकता प्राप्त गृहस्थियों की पहचान करना।
- पात्र गृहस्थियों की सूचि का प्रकाशन और संप्रर्दशन।

अध्याय–v (धारा–12) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

- खाद्यान्न का वितरण घर पर किया जाना।
- हर स्तर पर अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- खाद्यान्न सामग्री की विविधता।

अध्याय–(vi)

- राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्रियों का गृहस्थी का मुखिया होना।
- अगर किसी परिवार में कोई स्त्री 18 वर्ष से ऊपर की नहीं है, तबतक गृहस्थी का वरिष्ठ पुरूष सदस्य राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा।

अध्याय–vii

- धारा–14 : आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र (कॉल सेंटर उदाहरण–PDS का PGMS)।
- धारा–15 : जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के बारे में (कार्य और दायित्व)।
- धारा–16 : राज्य खाद्य आयोग के बारे में (कार्य और दायित्व)।
- धारा–17 : जाँच की शक्तियाँ।
- धारा–20(2) : राज्य खाद्य आयोग को किसी मामले को, उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करने की शक्ति होगी और ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको ऐसा मामला अग्रेसित किया जाता है, अभियुक्त के विरूद्ध परिवाद की उसी प्रकार सुनवाई करेगा मानो वह मामला दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, 1974 का (2) की धारा 346 के अधीन उसको अग्रेसित किया गया है।

अध्याय–xi : पारदर्शिता और जवाबदेही

- धारा–27 : लक्षित जन वितरण प्रणाली के सभी अभिलेख सार्वजनिक प्रभुत्व के क्षेत्र में जनता के निरीक्षण के लिए खुला रखा जायेगा।
- धारा–28 : सामाजिक अंकेक्षण (Social Audits)
- धारा–29 : विभिन्न स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों के कर्तव्य और दायित्व के बारे में।
- धारा–30 : दूरस्थ, पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहने वालों के लिए खाद्य सुरक्षा (उदाहरण डाकिया योजना–झारखण्ड के लिए)
- धारा–31 : खाद्य तथा पोषण संबंधी सुरक्षा को अग्रसर करने के उपाय–

  (i) कृषि का पुनः सुदृढ़ीकरण (revitalisation of Agriculture)

  (ii) अधिप्राप्ति, भंडारण लाने ले जाने से संबंधित (Procurement, Storage and Movement related)

  (iii) अन्य सेवाएँ निम्न तक पहुँच यथा– सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल और सवच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, किशोरी बालिकाओं का पोषणाहार, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में सहायता और वरिष्ठ नागरिकों, निःशक्त व्यक्तियों और एकल महिलाओं के लिए पर्याप्त पेंशन।

अध्याय–xii : विशेष योजना

- धारा–30 : दूरस्थ, पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहने वालों के लिए खाद्य सुरक्षा (उदाहरण डाकिया योजना–झारखण्ड के लिए)
- धारा–31 : खाद्य तथा पोषण संबंधी सुरक्षा को अग्रसर करने के उपाय–

  (i) कृषि का पुनः सुदृढ़ीकरण (revitalisation of Agriculture)

(ii) अधिप्राप्ति, भंडारण लाने ले जाने से संबंधित (Procurement, Storage and Movement related)

(iii) अन्य सेवाएँ निम्न तक पहुँच यथा– सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल और सवच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, किशोरी बालिकाओं का पोषणाहार, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में सहायता और वरिष्ठ नागरिकों, निःशक्त व्यक्तियों और एकल महिलाओं के लिए पर्याप्त पेंशन।

अध्याय–xiii : प्रकीर्ण

- धारा–33 : शास्तियाँ

अगर कोई लोक सेवक या प्राधिकारी, जिसे राज्य खाद्य आयोग द्वारा किसी परिवाद या अपील का विनिश्चय करते समय, जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा सिफारिश किये गये अनुतोष को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उपलब्ध करवाने असफल रहने का या ऐसी सिफारिश का जानबूझकर अवज्ञा करने का दोषी पाया जायेगा, तो पाँच हजार रूपये से अनधिक की शास्ति का दायी होगा।

परन्तु कोई शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व यथास्थिति, लोकसेवक या लोक प्राधिकारी को सुनवाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

अध्याय–xxxiv : न्यायनिर्णायन की शक्ति

- राज्य आयोग, धारा–33 के अधीन शास्ति के न्याय निर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, अपने किसी सदस्य को, कोई शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए संबंद्ध किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात विहित रीति से जाँच के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में प्रधिकृत करेगा।

1.2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं से संबंधित हकदारियाँ

क्र0 सं0	क्या मिलेगा (हक़)	कानून की धाराओं में प्रावधान	कहाँ मिलेगा
1	मध्याह्न भोजन (6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए) (कक्षा 8 तक)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–5(1)(ख) के अनुसार।	विद्यालय में
2	6 माह से 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों के लिए पूरक पोषाहार	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–5(1)(क) के अनुसार, अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार मानकों के अनुसार।	आंगनबाड़ी केन्द्र से
3	गर्भवती महिला एवं धात्री माताओं के लिए पूरक पोषाहार एवं पोषण भत्ता	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–4(क) के अनुसार, पूरक पोषाहार अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार मानकों के अनुसार। धारा–4 (ख) प्रसूति फायदा, (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) के अनुसार।	आंगनबाड़ी केन्द्र से
4	कम दर पर अनाज	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–3 के अनुसार, मान्यता प्राप्त कीमतों पर अनाज।	राशन दुकान से (ज.वि.प्र. के तहत्)

समेकित बाल विकास परियोजना के तहत 03–06 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिये जाने वाले पोषाहार।

1. आंगनबाड़ी केन्द्र

i. सुबह का नाश्ता (Morning Snacks)– सूजी से बना हुआ मीठा हलवा (6 दिन के लिए) का स्वरूप एवं विवरण–सूजी से बना हुआ मीठा हलवा

खाद्य–सामग्री के अवयव	मात्रा प्रति बच्चा प्रतिदिन (ग्राम में)	पोषक तत्वों की मात्रा		मात्रा प्रति बच्चा प्रतिदिन औसत लागत (Rs.)
		प्रोटीन (ग्राम में)	कुल Kcal	
सूजी	15.00	1.56	52.20	0.93
चीनी	7.00	0.01	27.86	0.29
घी	3.00	0.00	27.00	1.35
कुल	25.00	1.57	107.06	2.57

II. सुबह के नाश्ते एवं गर्म ताजा पोषाहार के मध्यावधि में (In Between) नाश्ता–मूंगफली दाना (भुना एवं गुड़ (ईख) 6 दिन के लिए) का स्वरूप एवं विवरण –

खाद्य–सामग्री के अवयव	मात्रा प्रति बच्चा प्रतिदिन (ग्राम में)	पोषक तत्वों की मात्रा		मात्रा प्रति बच्चा प्रतिदिन औसत लागत (Rs.)
		प्रोटीन (ग्राम में)	कुल Kcal	
मूंगफली दाना (भुना)	5.00	2.53	56.65	0.98
गुड़ (ईख)	10.00	0.02	19.13	0.21
कुल	15.00	2.55	75.78	1.19

III. दोपहर का भोजन–चावल, दाल, आलू, हरी पत्तीदार सब्जी (6 दिन के लिए) का स्वरूप एवं विवरण–

खाद्य–सामग्री के अवयव	मात्रा प्रति बच्चा प्रतिदिन (ग्राम में)	पोषक तत्वों की मात्रा		मात्रा प्रति बच्चा प्रतिदिन औसत लागत (Rs.)
		Protein (ग्राम में)	कुल Kcal	
चावल	80.00	6.00	276.64	0.24
दाल (अरहर)	25.00	5.58	83.73	2.00
आलू	40.00	0.64	39.08	0.60
हरी सब्जी	–	–	–	0.50
खाद्य तेल	4.00	0.00	36.00	0.40
मसाला एवं नमक	–	–	–	0.25
कुल	149.00	12.22	435.45	3.99

2. प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना :–

क्र0 सं0	किश्त	शर्तें	राशि
1.	प्रथम किश्त	गर्भावस्था के पंजीकरण पर	रु० 1,000/–
2.	द्वितीय किश्त	प्रथम ANC के पूर्ण करने पर (छः माह की गर्भावस्था के पश्चात् दावा किया जा सकता है)	रु० 2,000/–
3.	तृतीय किश्त	1. बच्चे के जन्म का पंजीकरण। 2. बच्चा BCG, OPV, DPT तथा हेपेटाईसिस–बी या उसके समकक्ष के प्रथम चक्र की खुराक प्राप्त कर लिया हो।	रु० 2,000/–
4.	अंतिम किस्त	संस्थागत प्रसव के उपरान्त (JSY योजना अंतर्गत नगद प्रोत्साहन राशि)	रू0 1000/–

3. मध्याह्न भोजन :–

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–5–1(ख) अनुसूची–2 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन के लिए अनुशंसित तय मेनू में दी जाने वाली खाद्य पदार्थो एवं पोषण की मात्रा का विवरण।

क्रं0 सं0	खाद्य सामग्री (सप्ताह में 3 दिन अंडा सहित)	प्राथमिक (कक्षा I से V)			मध्य विद्यालय (VI से VIII)		
		मात्रा (ग्रा0 में)	कैलोरी	प्रोटीन (ग्रा0 में)	मात्रा (ग्रा0 में)	कैलोरी	प्रोटीन (ग्रा0 में)
1.	खाद्यान्न (गेहूं/चावल/मोटा अनाज)	100	340	8	150	510	12
2.	दाल/दालें	20	105	7	30	175	11
3.	सब्जियां	50	30	0	75	30	0
4.	तेल और वसा	5	45	0	8	45	0
5.	नमक और मसाले	जरूरत के अनुसार					
6.	ईंधन	जरूरत के अनुसार					
7.	अन्य कोई सामग्री	जरूरत के अनुसार					
कुल		**175**	**520**	**15**	**263**	**760**	**23**

मध्याह्न भोजन योजना के तहत विद्यालयों में दिये जाने वाले मध्याह्न भोजन का साप्ताहिक मेनू

सोमवार	एक अंडा, एक सेव/केला, चावल, दाल, हरी सब्जी।
मंगलवार	मूड़ी/चना, गुड़, चावल, छोला/चना की सब्जी।
बुधवार	एक उबला हुआ अंडा, एक सेब/केला, पुलाव, सोयाबीन–बड़ी/चावल–दाल।
गुरुवार	दो बिस्किट, चावल–दाल, हरी सब्जी।
शुक्रवार	एक उबला हुआ अंडा, एक संतरा/केला, चावल, दाल, हरी सब्जी।
शनिवार	खिचड़ी/चावल/सोयाबीन–बड़ी/पालक, अचार, पापड़।

4. जनवितरण प्रणाली :–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा–3(1) एवं झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2019 के खंड 3 उपखंड ii, iii, iv, एवं v के तहत हकदारियाँ

क्र0 सं0	लाभुक	हकदारियाँ
1	PHH/पुर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार को (गुलाबी कार्ड)	5 Kg/व्यक्ति(1 रूपये/किलो)
2	अंत्योदय अन्न योजना या पीला कार्ड धारक	AAY में शामिल प्रत्येक परिवारों को 35 Kg अनाज (1 रूपये/किलो)
3	डाकिया योजना (सभी विशिष्ट जनजाति के परिवार को)	1. AAY अंतर्गत–35 किलो ग्राम अनाज 2. बिना कोई मूल्य चुकाए 3. सीलबंद बैग/बोरा में 4. घर पहुँचाकर

अधिनियम की धारा–14 के अंतर्गतः–आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र–संबंधित विभागों द्वारा

अ. जन वितरण प्रणाली/खाद्यान्न से संबंधित

1. विभाग द्वारा स्थापित टोल फ्री नंबर 18002125512 अथवा
2. विभाग द्वारा संचालित www.dfcajharkhand.in के माध्यम से ऑनलाइन अथवा
3. Mail द्वारा pgms/dfcajharkhand.in पर अथवा
4. 8969583111 पर Whatsapp द्वारा शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।

ब. मध्याहन भोजन से संबंधित

1. विभाग द्वारा स्थापित टोल फ्री नंबर 18003457025 मध्याह्न भोजन का अनुपालन न होने की स्थिति में शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
2. SMS द्वारा मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी–http://mdmreport.jharkhand.gov.in:8072/mdm/exportReport

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के सफल कार्यान्वयन हेतु अधिनियम के समुचित प्रचार–प्रसार की आवश्यकता महसूस करते हुए झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग ने राज्य, जिला, प्रखंड एवं गाँव के स्तर तक कई कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन किया। स्थानीय स्तर के स्वशासन सशक्त हो सके इस उद्देश्य से क्षमता वृद्धि प्रशिक्षण, जनसुनवाई एवं सीधा संवाद हकदारियों के साथ स्थापित किया। पोस्टर, पम्पलेट, अखबार एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी प्रचार में इसकी महती भूमिका रही।

कोडरमा जिला क्षेत्र भ्रमण।

रामगढ़ जिला में डाकिया योजना का क्षेत्र में अनुश्रवण।

1.3 राज्य खाद्य आयोग – भूमिका

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली–2015 की धारा–10 में राज्य खाद्य आयोग की निम्नलिखित भूमिका है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अध्याय–12 की धारा (31) खाद्य तथा पोषणाहार संबंधी सुरक्षा की ओर अग्रसर करने के प्रयोजन के लिए अनुसूची–3 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न विभागों से सामंजस्य की आवश्यकता है। यथा (1) कृषि का पुनः सुदृढ़ीकरण (2) उपापन, भंडारण, उठाव–पहुँच (transportation) (3) सुरक्षित पेय जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पेंशन स्कीम कल्याण योजना का समन्वय।

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के तहत विभिन्न विभाग एवं उसके अंतर्गत कल्याण योजनाएं

प्रत्यक्ष रूप से	अप्रत्यक्ष रूप से
1. खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग (डाकिया योजना)	1. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
2. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (मध्याह्न भोजन योजना)	2. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
3. महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) कल्याण विभाग	3. स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार 4. कल्याण विभाग

1.4 झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की परिकल्पना एवं वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्य

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग का गठन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–16 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या–1632 के माध्यम से दिनांक–13.04.2017 को किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के प्रभावी कार्यान्वयन, अनुश्रवण तथा पुनर्विलोकन के उद्देश्य से देश के प्रत्येक प्रदेश में इसका गठन किया जाना हैं। वर्तमान में झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग में निम्नलिखित सदस्य है :

1. अध्यक्ष – **श्री सुधीर प्रसाद**
   भा. प्र. से. (से.नि.)
2. सदस्य – **श्री उपेन्द्र नारायण ऊरांव**
   भा. प्र. से. (से.नि.)
3. सदस्य – **श्री हलधर महतो**
4. सदस्य – **डॉ० रंजना कुमारी**

1.5 आयोग के दायित्व एवं प्रमुख कार्य

आयोग के दायित्व

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून–2013 के अंतर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य खाद्य आयोग संकल्पित है।

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्रत्येक कुटुंब के हर सदस्य को अनुवृति प्राप्त कीमतो पर निर्धारित समय पर सही मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हो सके।
- प्रत्येक गर्भवती महिला और धात्री माता को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार उपलब्ध हो, साथ ही पोषाहार सहायता के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 6000/–रु० की नगद राशि चार किस्तों में (1,000/–रु०, 2,000/–रु०, 2,000/–रु० एवं 1,000/–रु०) लाभार्थी को निश्चित समय पर उपलब्ध हो सके।

- बच्चों को पूरक पोषाहार देने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित हो कि छः माह से छः वर्ष की आयु समूह में आनेवाले बालक–बालिकाओं को मानकों के अनुसार गर्म भोजन के रूप में पूरक पोषाहार उपलब्ध हो। छः माह से कम उम्र के बच्चों के लिए स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम एवं प्रचार–प्रसार हो। छः से चौदह वर्ष समूह के बच्चों के लिए संचालित निःशुल्क मध्याह्न भोजन निर्धारित रूप से गुणवत्तापूर्ण मानकों के अनूरूप प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र तथा विद्यालय पर स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय उपलब्ध हो।
- बच्चों में कुपोषण के निवारण एवं प्रबंधन हेतु सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों का सही तरीके से अनुश्रवण हो।
- प्रत्येक परिवार का राशन कार्ड महिला सदस्य (अगर उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो) के नाम से हो।
- दिव्यांग तथा बुजूर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाय।
- विशिष्ट जनजाति समुदाय के लिए डाकिया योजना का सुचारू क्रियान्वयन हो।

आयोग के प्रमुख कार्य :

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 का सफल क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अध्याय–2 के तहत उपबंधित उद्देश्यों का उल्लघंन, लाभुकों के द्वारा की गयी शिकायत, स्व–प्रेरणा अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायतो का जांच करना।
- राज्य सरकार के अंतर्गत वे विभाग, एजेंसी, स्वायत निकाय अथवा गैर सरकारी संगठन जो कि खाद्य एवं पोषण से संबंधित योजनाओं के लिए कार्य करती है, को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अंतर्गत कार्यरत योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए सलाह देना।
- आयोग द्वारा प्राप्त विभिन्न शिकायतों में जिला शिकायत निवारण पदाधिकरी द्वारा दिए गए आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना।
- आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना जिसे प्रति वर्ष राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
- विवाद जो सिविल प्रक्रिया साहिता 1908 के अधीन हो का निपटारा व्यवहार न्यायालय और उसे प्राप्त शक्तियों का अनुपालन करते हुए उस के माध्यम से करना और अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना।

1.6 झारखण्ड की वस्तुस्थिति

कुछ महत्त्वपूर्ण आँकड़े

विभिन्न विभागों के लाभार्थियों की संख्या

आँगनबाड़ी से संबंधित आंकड़े		प्रधानमंत्री मांतृवंदना योजना	
कुल आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	**38432**	**कुल लाभुक (जनवरी 2016–जनवरी 2020)**	**371160**
• आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	35881	• अनुसूचित जाति के लाभुक	40570
• लघु आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	2551	• अनुसूचित जनजाति के लाभुक	96135
आँगनबाड़ी के कुल लाभुकों की संख्या	**3352908**	• अन्य लाभुक	234455
• 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों की संख्या	583807	• दिसम्बर 2019 तक लक्षित लाभुक	443327
• कुपोषित बच्चों की संख्या	13108	• सृजित आवेदन (दिसम्बर 2019)	363694
• 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों की संख्या	1067818		
• गर्भवती महिलाओं की संख्या	326483		
• धात्री माताओं की संख्या	361692		

जन वितरण प्रणाली	
• राज्य में कुल जन वितरण प्रणाली की दुकानें	25,447
• कुल राशन कार्ड धारक परिवार की संख्या	5,714,423
• जन वितरण प्रणाली से आच्छादित लाभुकों की कुल संख्या	26,337,080
• कुल पूर्वविकता परिवार	4,802,473

4. मध्याह्न भोजन के अंर्तगत लाभांवित बच्चे

कुल विद्यालयों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	औसत लाभांवित बच्चों की संख्या
35773	4180954	2714523

मध्याह्न भोजन से कुल लाभांवित बच्चों का प्रतिशत 64.925

1. मध्याह्न भोजन आच्छादित विद्यालयों की संख्या

प्राइमरी विद्यालय (i-v)	अपर प्राइमरी (vi-viii)	प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी विद्यालय (i-viii)	कुल विद्यालयों की संख्या
21838	295	13640	35773

क्र0 सं0	कक्षा i-v तक	नामांकित बच्चों की कुल संख्या	औसत लाभांवित बच्चों की संख्या
1.	सरकारी केन्द्र एवं स्थानीय निकाय द्वारा संचालित	2615394	1717393.36
2.	सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय लाभांवित	148517	108392
3.	विशेष प्रशिक्षण केन्द्र	4796	2198
4.	मदरसा/मकतब	23442	13679
5.	**कुल**	**2792149**	**1841662.4**

2. आच्छादित विद्यालयों की संख्या

क्र0 सं0	कक्षा vi-viii तक	नामांकित बच्चों की कुल संख्या	औसत लाभांवित बच्चों की संख्या
1.	सरकारी केन्द्र स्थानीय निकाय द्वारा संचालित	1288580	806627
2.	सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय लाभांवित	89059	59842
3.	विशेष प्रशिक्षण केन्द्र	11166	6392
4.	मदरसा/मकतब	—	—
5.	कुल	1388805	872861

3. झारखण्ड राज्य में कुपोषण उपचार केन्द्र

कुल केन्द्रों की संख्या :– 96

कुल बेडों की संख्या :– 1105

जिला	केन्द्रों की संख्या	Beds की संख्या	जिला	केन्द्रों की संख्या	Beds की संख्या
बोकारो	4	50	कोडरमा	3	30
चतरा	4	45	लातेहार	4	45
देवघर	5	50	लोहरदगा	3	30
धनबाद	3	40	पाकुड़	3	35
दुमका	4	45	पलामू	5	55
पू0 सिंहभूम	5	60	रामगढ़	3	30
गढ़वा	4	50	रांची	4	55
गिरीडीह	4	40	साहेबगंज	4	50
गोड्डा	5	50	सरायकेला	4	40
गुमला	4	55	सिमडेगा	5	50
हजारीबाग	4	50	प0 सिंहभूम	5	60
जामताड़ा	3	40	खूँटी	4	50

1.7 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 अंतर्गत शिकायतों के निपटारा की प्रक्रिया और आयोग

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अध्याय 7 की धारा 14,15 एवं 16 में शिकायत निवारण प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत रूप से अंकित है।)

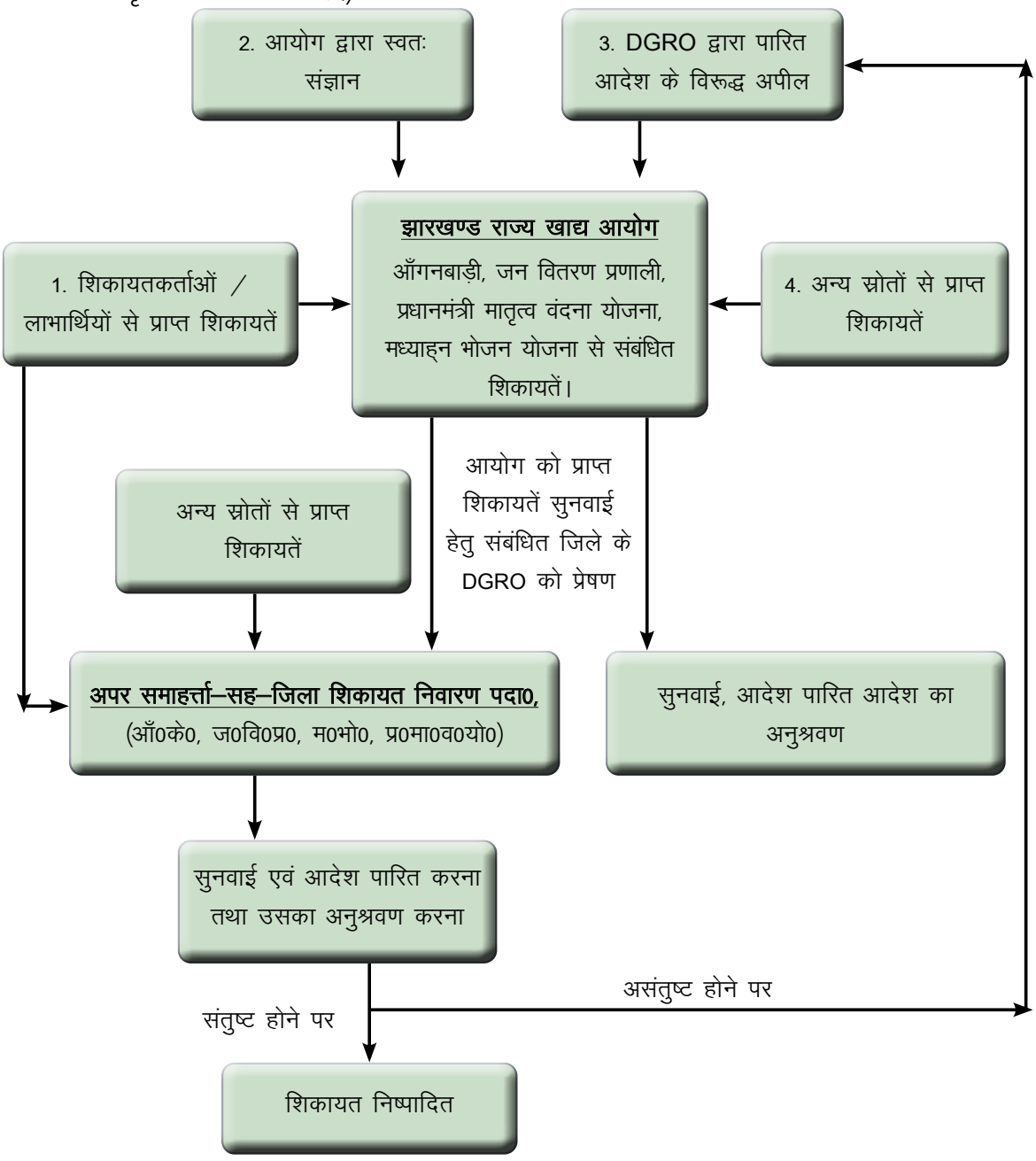

Note:-

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अंतर्गत आँगनबाड़ी केन्द्र, जनवितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित शिकायतों का निपटारा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं राज्य खाद्य आयोग के द्वारा किया जाता है।
- झाखण्ड राज्य खाद्य आयोग के द्वारा बेवसाइट www.jharkhandsfc.in का निर्माण किया गया है। इसके माध्यम से शिकायतों को दर्ज करने का प्रावधान है।

बैठक

विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक-16.07.2018 की समन्वय बैठक।

दिनांक-06.08.2018 को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के साथ बैठक।

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा आयोजित बैठकें

क्रम सं0	दिनांक	विषय / विवरण
1.	02.07.2018	गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
2.	16.07.2018	विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बैठक
3.	18.07.2018	आँगनबाड़ी केन्द्र / कुपोषण उपचार केन्द्र से संबंधित बैठक
4.	13.08.2018	कृषि पदाधिकारियों के साथ मोटे अनाज के संबंध में बैठक
5.	10.09.2018	निगरानी समिति / सतर्कता समिति से संबंधित बैठक
6.	10.09.2018	तकनीकी सहायता हेतु एजेंसी की नियुक्ति के संबंध में बैठक
7.	25.10.2018	जनवितरण प्रणाली कार्यक्रम से संबंधित बैठक
8.	10.11.2018	आँगनबाड़ी केन्द्र, मध्याह्न भोजन एवं कुपोषण उपचार केन्द्र से संबंधित बैठक
9.	23.08.2017 06.08.2018 04.06.2019	जिला शिकायत निवारण पदाधिकारियों के साथ बैठक
10.	24.09.2018, 23.10.2018, 15.02.2019 एवं 13.03.2019	कुपोषण के निवारण से संबंधित बैठकें
11.	20.07.2019	प्रखंड स्तर पर बैठक
12.	29.11.2018 एवं 07.03.2019	झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित बैठक में भागीदारी
13.	16.08.2018, 01.10.2018, 14.12.2018, 04.01.2019, 27.02.2019, 23.04.2019, 30.07.2019 एवं 12.12.2019	अन्तर विभागीय बैठकें
14.	13.06.2019, 12.07.2019, 30.07.2019, 04.09.2019, 20.11.2019 एवं 12.12.2019	समाजिक अंकेक्षण से संबंधित बैठकें
15.	05.09.2018, 06.09.2018, 25.01.2019, एवं 28.02.2020	खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के जाँच हेतु बैठकें
16.	09.01.2020, एवं 21.01.2020	प्रधानमंत्री मातृ वन्दना से संबंधित बैठकें
17.	29.11.2018	भारत सरकार के सचिव के साथ आयोग की बैठक

अध्याय-2

खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

2.1 महत्त्वपूर्ण बैठकें

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली, 2015 की कण्डिका–10 में वर्णित राज्य खाद्य आयोग के कार्य एवं शक्तियों के तहत राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के क्रियान्वयन संबंधी नियमावली की कण्डिका–10(i) तथा अनुश्रवण एवं मुल्यांकन हेतु कण्डिका–10(iii) एवं 10(iv) के तहत् आयोग द्वारा आयोजित महत्त्वपूर्ण बैठकों का विवरण निम्नांकित है

1. गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की कंडिका–16, 6 (घ) में व्यष्टियों को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट उनकी हकदारियों तक पूर्ण पहुंच बनाने के लिए समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को, सुसंगत सेवाओं के परिदान में अंतर्वलित उसके अभिकरणों, स्वायत्त निकायों और गैर–सरकारी संगठनों को सलाह देना। इसके अन्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में राज्य के प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ आयोग कार्यालय में 02.07.2018 को बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आयोग की भूमिका पर विशेष रूप से चर्चा की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–6 (बालकों में कुपोषण एवं प्रबंधन) के संबंध में निम्नलिखित विचार आयेः–

- Participatory learning approach PLU/Home Visit (गृह भ्रमण)/प्रेस/ग्रामीणों से सीधा संवाद करके इसे प्रभावी बनाया जा सकता है।
- छोटे बच्चों के लिए बाल गृह (creache) का प्रावधान किया जाना।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों (3 से 6 वर्ष के बच्चों) का समय 7–8 घण्टा किया जाना।
- कुपोषण उपचार केन्द्र (Malnutrition Treatment Centre) में सभी कुपोषित बच्चों को भेजने की आवश्यकता नहीं है। सामुदायिक प्रबंधन से लगभग 85 प्रतिशत कुपोषित बच्चों को उपचार किया जा सकता है।
- Well Hunger Health (WHH) संस्था ने चावल के साथ–साथ दाल और चीनी देने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में यह दिया जा रहा है।
- अभिव्यक्ति फॉउन्डेशन, प्रवाह, CWS के द्वारा सफल मॉडल (पोषण से संबंधित) का प्रस्तुतिकरण किया गया।

2. विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बैठकः–

दिनांक–16.07.2018 को नेपाल हाऊस स्थित विकास आयुक्त के सभागार में, राज्य के अति कुपोषित जिला के शिक्षा, जिला समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

सभी प्रतिभागियों के समक्ष चिन्हित कुपोषित जिलों यथा– खूँटी, गढ़वा, चाईबासा, बोकारो, लातेहार की वस्तु–स्थिति का प्रस्तुतिकरण किया गया। साथ ही आयोग के क्रियाकलाप, जनवितरण कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन, सामेकित बाल विकास कार्यक्रम (आंगनबाड़ी केन्द्र) एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई।

कुपोषण दूर करने के लिए विभिन्न जिलों में किये जा रहे कार्यों एवं सुझाव के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की गई :–

- प्रखण्ड स्तर पर कृषि विभाग एवं पंचायती राज विभाग के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता व्यक्त की गयी।

- पूर्वी एवं प0 सिंहभूम जिले में समितियाँ गठित की गई है, जिसके माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है। विद्यालय स्तर पर किचन गार्डेन भी तैयार किए जा रहे हैं। चाईबासा में कुपोषित बच्चों को कुपोषण उपचार केन्द्र तक ले जाने के लिये की गई गाड़ी की व्यवस्था एवं जागरूकता के लिए स्थानीय स्वयंसेवी सहायता समूह की भूमिका के संबंध में जानकारी दी गई। निर्णय लिया गया कि इस प्रक्रिया में रसोईया एवं सेविकाओं को भी शामिल किया जाय।
- पाँच वर्ष तक के कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया जाए एवं MTC से सीधा संपर्क स्थापित कर, बच्चों को कुपोषण मुक्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाय। कुपोषण दूर करने के लिए CDPO एवं MO Level पर प्रशिक्षण केन्द्र हो। बाल विवाह के प्रति जागरूकता की भी आवश्यकता महसूस की गयी।
- दुमका के स्वास्थ्य केन्द्र पर समितियों का गठन, सहयोगियों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम और 50 आंगनबाड़ी केन्द्रों में किचन गार्डेन की स्थापना के संबंध में जानकारी दी गयी।
- पाया गया कि 40 प्रतिशत बच्चों में एनिमिया का मुख्य कारण बाल विवाह है। यहाँ सहिया एवं सेविकाओं द्वारा गृह भ्रमण कर ब्लड प्रेशर, एनिमिया जाँच एवं चार कुपोषण उपचार केन्द्र में 300 बच्चों के इलाज के संबंध में जानकारी दी गयी।
- पाया गया कि बोकारो जिला में MTC अति कुपोषित बच्चों के सेन्टर से बहुत दूरी पर है, जिससे वे वहाँ तक नहीं पहुंच पाते। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक वाहन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- डॉ० पैत्रिक टेटे ने MTC पर आने वाली माताओं को खाने की परेशानियों के संबंध में जानकारी देते हुए सुझाव दिया कि यह दाल–भात केन्द्र के पास खोला जाना चाहिए।
- जमशेदपुर जिला में कई बार MTC में व्यवस्था की कमी के कारण, आंगनबाड़ी सेविका द्वारा भेजे गए बच्चों को लौटा दिया जाता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

महानिदेशक, Nutrition Mission ने एनिमिया एवं आयरन पैकेट के व्यवहार में लाये जाने के संबंध में जानकरी दी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुपोषण के कारण सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 20 प्रतिशत तथा IQ में 10 प्रतिशत की कमी आई है। निदेशक, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने समन्वय Plan की आवश्यकता एवं 2018 से प्रधानमंत्री द्वारा सघन पोषण अभियान के संबंध में जानकारी दी। आयोग के सदस्यों द्वारा गर्भवती माता के पोषण की महत्ता एवं बच्चों के मस्तिष्क का विकास, पोषण की गुणवत्ता एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के नेटवर्किंग के संबंध में बात रखी गई। विकास आयुक्त, झारखण्ड ने आयरन एवं प्रोटीन की कमी के संबंध में बताया। इसे प्राप्त करने वाले स्थानीय संसाधनों, उपलब्ध साग–सब्जी के संबंध में अधिक से अधिक जागरूक करने, प्रखण्ड/पंचायत कर्मचारियों के भ्रमण रोस्टर तथा प्रार्थना के समय में बच्चों को संबंधित विषय पर जागरूक करने के संबंध में भी उन्होने अपने विचार रखें। अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग द्वारा निगरानी समिति एवं विभिन्न स्तर पर कार्यरत समितियों को एकीकृत करने और नियमित समन्वय बैठक आयोजित करने के संबंध में कहा गया। अन्त में उन्होंने कहा कि नवाचारी विचार को प्रोत्साहित कर एवं सतत् प्रयास से कुपोषण दूर किया जा सकता है।

3. आँगनबाड़ी केन्द्र/कुपोषण उपचार केन्द्र से संबंधित बैठक।

दिनांक :– 18/07/2018

स्थान :– दुमका के परिसदन भवन में दुमका जिला के बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें वस्तुस्थिति की जानकारी एवं समस्याओं पर सुझाव दिया गया। जिला के 8 प्रखंडो के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सम्मिलित हुए। उनसे आंगनबाड़ी केन्द्रों के वस्तुस्थिति एवं गुणवत्ता बढ़ाने के संबंध में सुझाव मांगे गए।

जरमुंडी प्रखंड – यहाँ पर 243 आंगनबाड़ी केंद्र हैं. यहाँ 10 बच्चों की क्षमता वाला कुपोषण उपचार केंद्र भी है। पाया गया कि 10 बच्चे अति कुपोषित है, जिसमें से 2 कुपोषण उपचार केन्द्र में थे। माताएँ जो कुपोषण उपचार केन्द्र पर आती है, उन्हें एक सौ रूपये प्रतिदिन मिलता है। पूर्व की तरह खाने की व्यवस्था नहीं होने से कठिनाई होती है। एफ.सी.आई गोदाम से चावल केन्द्र पर समय से नहीं मिलता है।

जामा प्रखण्ड – यहाँ 229 आँगनबाड़ी केंद्र है तथा एक कुपोषण उपचार केन्द्र है। इस केंद्र में 10 बच्चों की क्षमता है। यहाँ 9 बच्चे अति कुपोषित हैं। देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि समुदाय की सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता है। अति कुपोषित बच्चों को लेकर समुदाय के लिए भी प्रोत्साहन राशि का प्रावधान होना चाहिए।

काठीकुंड प्रखण्ड – यहाँ 111 आंगनवाडी केंद्र है। केंद्र में 15 बच्चे अति कुपोषित हैं और 10 बच्चे कुपोषण उपचार केन्द्र में भर्ती हैं। आँगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चों के मरहम–पट्टी की व्यवस्था होनी चाहिए। मेंटेनेन्स के लिए कोष का प्रावधान किया जाना चाहिए। आंगनबाड़ी सेविकाओं का ग्रेड निर्धारण भी किया जाता है। कुपोषण उपचार केन्द्र में खाने का प्रावधान भी है।

रामगढ़ प्रखण्ड – यहाँ 236 आंगनवाडी केंद्र है. यहाँ दस बिस्तर कि क्षमता वाला कुपोषण उपचार केन्द्र भी है. यहाँ अतिकुपोषित बच्चों की संख्या दस पायी गयी. यह सुझाव दिया गया कि बच्चों के लिए पोशाक का प्रावधान होना चाहिए। आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कुपोषण उपचार केन्द्र के रख–रखाव के लिए भी राशि का प्रावधान होना चाहिए। व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं समुदाय के स्तर पर परामर्श की जानी चाहिए।

शिकारीपारा प्रखण्ड – यहाँ 255 आंगनबाड़ी केंद्र है। यहाँ 9 अति कुपोषित बच्चे हैं जिनमें से 3 कुपोषण उपचार केन्द्र में हैं।

दुमका प्रखण्ड – यहाँ 238 आंगनबाड़ी केंद्र है। यहाँ 15 बेड वाला कुपोषण उपचार केन्द्र है तथा कुपोषित बच्चे की संख्या 13 पायी गयी– यहाँ FCI से खाद्य सामग्री आने में विलम्ब होना कुपोषण का मुख्य कारण है जिसे दूर किया जाना चाहिए।

गोपीकांदर प्रखण्ड – यहाँ 10 आंगनबाड़ी केंद्र है। पाया गया कि यहाँ अति कुपोषित बच्चों की संख्या 12 है। मालूम हुआ कि समय पर वेतन, गाड़ी का व्यय और कन्टीपेंची का भुगतान नहीं होना इन सब के पीछे के मुख्य कारण है।

मसलिया प्रखण्ड – यहाँ पर 204 आंगनबाड़ी केंद्र है। यहाँ अति कुपोषित बच्चों की संख्या 8 पायी गयी जिसमें से 4 कुपोषण उपचार केन्द्र में थे। वस्तुस्थिति को देखकर लगा कि यहाँ प्रत्येक स्तर पर परामर्श की आवश्यकता है।

4. कृषि पदाधिकारियों के साथ मोटे अनाज के संबंध में बैठक :–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अध्याय 12, की कंडिका 31, खाद्य तथा पोषाहार संबंधी सुरक्षा को अग्रसर करने के उपाय के अनुसूची (3) की क्र0 सं0 (2)(क) के अनुसार विकेन्द्रीकृत उपापन को, जिसके अन्तर्गत मोटे अनाजों का उपापन भी है, प्रोत्साहित करना है।

इस उद्देश्य से दिनांक 13.08.19 को खाद्य आयोग के सदस्यों का कृषि समिति कांके (कृषि भवन) में झारखण्ड के कृषि विज्ञान केन्द्र (रांची, रामगढ़, गुमला) के वैज्ञानिकों के साथ मोटे अनाज (मिलेट्स) के उत्पादन को बढ़ावा देने को लेकर बैठक हुई। इनमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गईः–

- झारखण्ड राज्य खाद्य आयेाग के क्रियाकलाप।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013।
- झारखण्ड राज्य में कुपोषण की स्थिति।
- अधिनियम के तहत मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाना है ताकि जनवितरण केन्द्र के माध्यम से मोटे अनाज का वितरण किया जा सके।
- जिला में वर्तमान स्थिति एवं कृषि विज्ञान केन्द्र की भूमिका पर चर्चा की गई।
- बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कृषि वैज्ञानिक एवं अधिकारी भी उपस्थित थे। मोटे अनाज के प्रयोग को बढ़ावा मिल सके ऐसा न होने के कई कारण निकल कर आए और कई सुझाव भी आए।

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत् न्यूट्रीसिरियलज (nutricereals) के लिए Sub-Mission बनाए जाने के लिए भारत सरकार, कृषि कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता किसान कल्याण विभाग, NFSM फसल प्रयोग कक्ष से 18 जनवरी 2018 को पत्र, एक प्रपत्र के साथ प्राप्त हुआ। दुर्भाग्य से झारखण्ड उस मानदंड को पूरा नहीं कर पाया जिस कारण से यहां Sub-Mission नहीं बनाया जा सका। इससे कई नुकसान है।

   (क) मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, रागी, kodo, little millets आदि) की कार्य योजना नहीं बन पायी।

(ख) मिलेट को sub-mission में नहीं रखने के कारण फसल बीमा योजना के तहत् भी इसे सम्मिलित नहीं किया जा सका है। इसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है।

(ग) बाजरा का न्यूनतम सहायक दर भी तय नहीं किया गया है। जिस कारण से किसान इसे नहीं लगा पाएंगे।

सुझाव :–

1. मोटे अनाजों को Nutricereals में बढ़ावा देने के लिए Sub-Mission में सम्मिलित करवाना आवश्यक है। झारखण्ड में कुपोषण की स्थिति एवं आवश्यकता को देखते हुए मंत्रालय से वार्तालाप/पत्राचार करने की आवश्यकता है।
2. कृषि से जुड़े K.V.K, ATMA एवं जिला स्तरीय कृषि संबंधित पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक की जानी चाहिए।
3. मोटे अनाजों को प्रादेशिक क्षेत्र (उपज और स्वाद) के हिसाब से बढावा देने की आवश्यकता है।
4. मोटे अनाज के प्रोत्साहन के लिये पिछड़े और अगड़े linkages, को बढ़ावा किया जाने की आवश्यकता है।
5. झारखण्ड प्रदेश में मोटे अनाजों के अनुकूल जलवायु तथा rainfed farming है, जो इस अनाज के लिए बहुत ही उपयुक्त है।
6. जनजातीय उप–योजना में भी झारखण्ड के मोटे अनाजों उपज की कार्य योजना को सम्मलित करने की आवश्यकता है।
7. KVK के माध्यम से Nutricereals मेला के आयोजन किये जाने की आवश्यकता है।
8. बंजर भूमि विकास योजना के तहत भी झारखण्ड के nutricereals में मोटे अनाजों को बढ़ावा हेतु योजना भेजने की आवश्यकता है।
9. ICRA बिहार से nutricereal में मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्कशॉप करने की आवश्यकता है।

5. निगरानी समिति/सतर्कता समिति से संबंधित बैठक :–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की कंडिका 29 के तहत सतर्कता समिति/निगरानी समिति को गठन के संबंध में कहा गया है, जिसे अधिनियम के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना है।

झारखण्ड राज्य में प्रत्येक स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया जा चुका है। इसे सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से दिनांक–10.09.2018 को राज्य खाद्य आयोग की राज्य स्तरीय निगरानी समिति के साथ बैठक की गई।

जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिये गए:–

- राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सदस्यों का आई0 डी0 कार्ड बनाए जाने की आवश्यकता।
- निगरानी समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ता दिया जाना।

6. तकनीकि सहायता हेतु एजेंसी की नियुक्ति के संबंध में बैठक:–

राज्य खाद्य आयोग के तकनीकि, सहायता हेतु एजेन्सी की नियुक्ति के प्रयास पर विचार हेतु दिनांक–10.09.2018 को 12.00 बजे अपराह्न में बैठक आहूत की गई। आयोग का कार्य सुचारू रूप से चलाने तथा राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के प्रावधानों को भली–भाँति लागू किये जाने हेतु आयोग के लिए निम्न बिन्दुओं पर सलाह एवं तकनीकि सहायता उपलब्ध कराने हेतु तकनीकि सहायता एजेन्सी नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता नियंत्रण, स्वास्थ्य एवं पोषण, व्यवस्था विश्लेषक (system analyst) और कानून विश्लेषक उक्त बिन्दुओं पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जैसे पाँचों विषयों पर एक–एक सलाहकार की नियुक्ति मानदेय पर करने की कार्रवाई की जाय। उक्त सलाहकार अपने–अपने क्षेत्र के अनुभवी एवं प्रोफेशनल होंगे।

7. जन वितरण प्रणाली कार्यक्रम से संबंधित बैठक :–

दिनांक 25/10/2018 को अध्यक्ष एवं सदस्य श्री हलधर महतो के द्वारा राँची जिला के सिल्ली प्रखण्ड के पतरातु पंचायत में भ्रमण किया गया एवं जन वितरण प्रणाली कार्यक्रम की समीक्षा की गई। इसमें मुख्य रूप से मुखिया श्री राम बिहारी बड़ाईक उपस्थित थे। उन्हें प्रति माह बैठक करने, एवं निगरानी समिति को मजबूत करने का निर्देश दिया गया।

8. आंगनबाड़ी केन्द्र, मध्याह्न भोजन एवं कुपोषण उपचार केन्द्र से संबंधित बैठक :–

खूँटी जिला के पदाधिकरियों के साथ समीक्षात्मक बैठक

दिनांक :– 10.11.2018 को श्री सुधीर प्रसाद, अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची की अध्यक्षता में खूँटी जिले के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। MTC केन्द्र से संबंधित प्रतिवेदन आयोग को देने को कहा गया। CSR के अन्तर्गत एक MTC के संचालन का औपचारिक प्रस्ताव प्रक्कलन के साथ भेजने पर चर्चा की गयी। MTC संचालन के लिए समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग दोनों के समन्वय की आवश्यकता है। महाराष्ट्र का उदाहरण दिया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्म पका हुआ भोजन का संचालन SHG द्वारा किया जा रहा हैं। इसे खूँटी में भी प्रयोग के तौर पर लागू किया जा सकता हैं। ज्ञात हो कि खूँटी जिला में आकांक्षी जिला को कार्यों में सहयोग के लिये नीति आयोग के तरफ से एक परामर्शी कार्यरत है। अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकरी, स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के पत्रों के तुल्नात्मक अध्ययन के लिये उस परामर्शी का सहयोग लेने के लिये कहा गया। आंगनबाड़ी में भी दर परिशोधित करने की अवश्यकता के संबंध में चर्चा हुई एवं अपना सुझाव आयोग को भेजने के लिये कहा गया। पंचायत/वार्ड स्तरीय निगरानी समिति को सक्रिय करने पर भी चर्चा की गई। यदि मुखिया एवं वार्ड पार्षद द्वारा सही ढंग से कार्य नहीं किया जाता है, तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता के संबंध में भी कहा गया।

- निर्देश दिया गया कि जिस पंचायत के अन्तर्गत राशन कार्ड रद्द होता है, उसी पंचायत के अन्तर्गत नया राशन कार्ड भी बनाया जाय।
- निगरानी समिति को कार्यशील बनाया जाय।
- प्ले–स्कूल एवं आंगनबाड़ी को प्रयोग के तौर पर एक–दूसरे से टैग करने का निदेश दिया गया। ऐसा किया जा सकता है कि प्ले–स्कूल के बच्चे आंगनबाड़ी में आकर खाना खाएं और बदले में उस स्कूल के शिक्षक आंगनबाड़ी के बच्चों को पढ़ाएँ।
- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय को उपभोक्ता फॉरम की भाँति विकसित करने का निर्देश दिया गया। अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी इसके लिये एक विस्तृत प्रस्ताव भेजें।

अपर समाहर्त्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को गत एक वर्ष के PGMS जन संवाद केन्द्र एवं उपायुक्त के स्तर पर प्राप्त जन शिकयतों के आंकड़े संकलित कर बताने का आदेश दिया गया। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता आंगनबाड़ी केन्द्र के तुलना में अच्छी है, जबकि मध्याह्न भोजन का दर आंगनबाड़ी केन्द्र से कम है। इन दोनों विभागों से संबंधित सभी पत्रों को संकलित कर तुलनात्मक रूप से बताया जाय ताकि मध्याह्न भोजन में खूबियों को आंगनबाड़ी में भी अंगीकृत किया जा सकेगा।

9. जिला शिकायत निवारण पदाधिकारियों के साथ बैठक :–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अध्याय–7, (शिकायत निवारण तंत्र) के क्रमांक–15, के अनुसार, राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए, अध्याय–2, के अधीन हकदार खाद्यानों या भोजन के वितरण संबंधी विषयों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए और इस अधिनियम के अधीन हकदारियों के प्रवर्तन के लिए, एक अधिकारी नियुक्त करेगा जो जिला शिकायत निवारण अधिकारी कहलाएगा।

राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के साथ प्रतिवेदित वर्ष में दिनांक–06.08.2018, दिनांक–04.06.2019, दिनांक–23.08.2019 को प्रोजेक्ट भवन सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिये गए:–

- यह सुनिश्चित किया जाय कि लाभुकों को अधिनियम के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो सके। इसके लिए जमीनी स्तर पर अधिनियम एवं जिला शिकायत निवारण पदाधिकरी कि नियुक्ति हो। शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में जानकारी के लिए प्रचार–प्रसार, कार्यशाला का आयोजन, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंटिग मिडिया पर बल देने और जिला में अधिनियम के संबंध में पोस्टर लगाने का निर्णय लिया गया।

- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारीगण के समक्ष अपना पद एवं नाम लिखकर जिला स्तर न्यायालय के मामले में संबंधित पंचायत के मुखिया एवं वार्ड पार्षद (स्थानीय निगरानी समिति के अध्यक्ष है) को बुलाने का निर्देश दिया गया।
- अवैध राशन कार्ड रद्द करने के मामले हेतु कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
- जिला स्तरीय कृत कार्रवाई का मासिक प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया जाय।
- अपने जिले में पंचायत/वार्ड स्तरीय निगरानी समितियों की बैठक सुनिश्चित किया जाय।
- अपने क्षेत्र के लंबित मामलों का निपटारा शीघ्र हो एवं जन वितरण केन्द्र, मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लाभार्थी तक पहुंचाने में सक्रिय हो।
- राज्यों के आकांक्षी जिलों में कार्यक्रमों को लेकर सघन अभियान करने का आदेश दिनांक–18.06.2018 को दिया गया था, जिसकी समीक्षा की गई।
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत के गठित निगरानी समितियों पर चर्चा हुई। इसको और मजबूत करने के उपायों पर भी सुझाव मांगे गये।
- बैठक में उपस्थित नोडल आफिसर, पी0जी0एम0एस0 ने सभी जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को विभाग द्वारा संचालित लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली एवं विभिन्न प्रक्रियाओं एवं चरणों से सभी प्रतिभागियों को अवगत कराया ताकि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी अपने स्तर से भी पी0जी0एम0ए0 का उपयोग कर सकें।
- निदेशक–सह–सदस्य सचिव से अनुरोध किया गया कि वे पी0जी0एम0एस0 के सभी जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं आयोग को लॉग–इन की सुविधा प्रदान करें।

10. कुपोषण के निवारण से संबंधित बैठक :–

कुपोषण झारखण्ड की बड़ी समस्या है। NFHS-4 के अनुसार, पूरे देश में झारखण्ड सबसे नीचले पायदान पर है। इसके निवारण हेतु महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजकोषीय अध्ययन संस्थान और न्यूट्रीशन मिशन के समन्वय की आवश्यकता को देखते हुए इनके पदाधिकारियों के साथ दिनांक–24.09.2018, 23.10.2018 15.02.2019, एवं 13.03.2019 को बैठक की गई। साथ ही युनिसेफ के विशेषज्ञ के सुझाव एवं उनकी भूमिका पर भी चर्चा की गई।

- RBSK एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को सफलता पूर्वक संचालित किया जा सकता है।
- विभाग के द्वारा Upload किये गए सूचनाओं को आयोग देख सके, इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञ के साथ बैठक की गयी।
- राष्ट्रीय क्रेच प्रणाली के विकास से संबंधित गाईडलाइन आयोग को उपलब्ध कराना।
- जिला खनिज फाउनडेशन के कोष का कुपोषण के निवारण के कार्य के लिए व्यवहार किया जाना और C.S.R कोष का भी उपयोग।
- मलेरिया कुपोषण का एक बड़ा कारण है। इसके उन्मूलन की आवश्यकता है। उड़ीसा में मलेरिया से संबंधित किये जा रहे कार्यों की चर्चा।
- राज्य में कार्यरत संस्थाओं का सहयोग लिया जाना एवं कार्यक्रम यथा आँगनबाड़ी केन्द्र एवं मध्याह्न भोजन का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना।
- राज्य में घोषणा सूची को प्रभावी बनाने के लिए प्रोटोकॉल तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए SOP बनाना।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभुकों को समय पर राशि प्राप्त हो सकने के लिए लीड बैंक अधिकारी को नोटिस देने का निर्णय लिया गया, ताकि राशि के भुगतान में बैंक से संबंधित समस्याओं का निदान हो सके।

- युनिसेफ के द्वारा समाज कल्याण विभाग के प्रदाताओं को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण देने में तकनीकी सहयोग की चर्चा की गई। प्रशिक्षण केन्द्रों की आवश्यकता एवं उनके गुणवत्ता पर कार्य किया जाने का निर्णय लिया गया।
- युनिसेफ द्वारा जानकारी दी गई कि ICDS द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों में Table Base Monitoring कराने का अभियान चलाया जा रहा है। इस टेबल में बच्चों की 'लम्बाई' और 'वजन' का सम्मिलित किये जाने पर यह बच्चों के कुपोषण से सबंधित जानकारी देता है।
- यह निर्णय लिया गया कि सामुदायिक आधारित कुपोषण उपचार पर बल देने की आवश्यकता है। जिससे 80% कुपोषित बच्चों की समस्या का समाधान किया जा सकता है।
- कुपोषित बच्चों के चिन्हित करने हेतु प्रशिक्षण।
- यह विचार किया गया कि कुपोषण उपचार केन्द्र के समीप दाल–भात योजना के संचालन से माताओं को लाभ होगा।
- कुपोषित बच्चों के संबंध में कुपोषण उपचार केन्द्र में सूचना हो इसके लिए प्रोटोकॉल बनाने की आवश्यकता है। इन्हे एक महीने के अंदर बनाने को कहा गया ताकि सूचना का आदान–प्रदान सही हो सके।
- आँगनबाड़ी केन्द्रों से दी जाने वाली सेवाओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के आलोक में शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था एवं हकदारी को आँगनबाड़ी केन्द्रों पर स्पष्ट रूप से अंकित करने का आदेश।
- महाराष्ट्र में स्वयं सहायता समूहों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों में 'हॉटमील कुक' संचालन किया जा रहा है झारखण्ड में भी ऐसी व्यवस्था करने पर चर्चा की गयी।

11. प्रखण्ड स्तर पर बैठक :–

दिनांक–20/07/2019 को राँची जिला के काँके प्रखंड में अध्यक्ष द्वारा भ्रमण किया गया अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकरी एवं विपणन पदाधिकरी के साथ बैठक की गई। जिसमें निगरानी समितियों की बैठक, पंचायतवार में आँगनबाड़ी केन्द्र एवं (मध्याह्न भोजन से आच्छादित) विद्यालय। जन वितरण केन्द्र एवम् PMMVY की लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया।

12. झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित बैठक में भागीदारी।

विषय– झारखण्ड, तेलांगना, कर्नाटका के राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के साथ परामर्शी बैठक।

स्थान– अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र (NLSIU, बैंगलोर)

दिनांक– 7 मार्च 2019

उद्देश्य– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून–2013 के तहत विभिन्न राज्यों में राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है। आयोग की भूमिका एवं सही तरीके से गतिविधियों के क्रियान्वयन में बहुत तरह की परेशानियों आ रही थी। विभिन्न राज्यों को एक मंच पर अपने विचार को साझा करने एवं आयोग के सुदृढ़ीकरण के लिए बैठक का आयोजन किया गया।

विषय वस्तुः– इसमें मुख्य रूप से विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

(1) विभिन्न आयोग की महत्ता एवं आयोग के तहत गठित विभिन्न कमिटियों पर।

(2) पूर्व में आयोग के सदस्यों के अनुभवों का साझाकरण।

(3) आयोग के द्वारा कार्य करने में चुनौतियाँ एवं उसके संभव समाधान।

प्रतिभागीः– डॉ0 रंजना कुमारी (सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग), डॉ0 कृष्णामुर्ति (अध्यक्ष, कर्नाटका राज्य खाद्य आयोग), श्री हासबी (सदस्य, क0रा0खा0आ0), श्री शिवशंकर (सदस्य, क0रा0खा0आ0), सुश्री मंजुला (सदस्य, क0रा0खा0आ0), श्री थिरमल रेड्डी कोमुला (अध्यक्ष, तेलांगना राज्य खाद्य आयोग), श्री आनंद वोरगती (सदस्य, तेलांगना राज्य खाद्य आयोग)

आगे की योजना में निम्नलिखित बिन्दुओं को तय किया गयाः–

1. NFSA–2013 के तहत राज्य नियमावली, Civil procedure पर SFC के सदस्यों का प्रशिक्षण।
2. जिला शिकायत निवारण पदाधिकारियों के उन्मुखीकरण, दस्तावेजीकरण, शोध एवं अध्ययन।

13. अन्तर विभागीय बैठक

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग को अधिनियम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण, मुल्यांकन, खाद्य एवं पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, राज्य सरकार, स्वायत निकायों और गैर सरकारी संगठनों के सलाह, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई हेतु सशक्त भौतिक संसाधन, मानव संसाधन एवं प्रक्रिया स्थापित करने के लिये बैठकें करने का प्रावधान है।

इस निमित्त आयेाग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की बैठकें दिनांकः–16.08.2018, 01.10.2018, 04.12.2018, 04.01.2019, 27.02.2019, 23.04.2019, 30.07.2019 एवं दिनांक 12.12.2019 को आयोजित की गई।

इनमें निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

- प्रपत्रों के संकलन को पुस्तक का रूप देना।
- तकनीकि सहायता Agency बनाना ।
- प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से न्यायालय का कार्य किया जाना।
- वेबसाईट को विकसित करना।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से संबंधित हस्त पुस्तिका का निर्माण।
- मुख्य सचिव के साथ नियमित बैठकें करना।
- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग का logo (प्रतीक चिन्ह्) बनवाना।
- आयोग के प्रशासनिक रूप से सशक्त बनाने हेतु भौतिक संसाधन के क्रय (यथा–कम्प्युटर, फैक्स मशीन, कलर फोटो कॉपी), मानव संसाधन हेतु पद का सृजन करना।
- आयोग में शोध अध्ययन Interns के लिए स्वीकृति अर्जित करना।
- भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सेवा प्रदाता की क्षमता बढ़ायी जाए एवं उन्हें और प्रशिक्षित किया जाय।
- जिला माइनिंग राशि (District mining fund) व्यवहार कुपोषण के निवारण के लिये किया जाय।
- कोर्ट के कार्य के लिए प्रत्येक मंगलवार का दिन तय हो।
- आयोग के मामले का निपटारा तीन माह के अंदर किया जाय।
- प0 बंगाल में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आता है। इसे झारखण्ड में भी लागू किए जाने के लिए आवश्यक हेतु कार्य किया जाय।
- उड़ीसा के Day care को देखने के लिए आयोग की टीम को भेजने का निर्णय लिया गया।
- प्रत्येक जिला के जिला माईनिंग कोष से संबंधित राशि, एवं व्यय का ब्यौरा एकत्रित कर भविष्य की योजना तय करना।
- आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन विधान सभा में भेजने एवं संबंधित कागजात उपलब्ध कराने का कार्य किया जाय।
- दिनांक–13.02.2019 को प्रोजेक्ट भवन में प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से पहली सुनवाई की गई ऐसा आगे भी किया जाय।
- प्रत्येक बैठक में आयोग के कार्यों की समीक्षा एवं सदस्यों के बीच वितरित कार्यों की प्रगति एवं सुझाव पर चर्चा हो।
- आयोग के लिए स्वतंत्र रूप से सदस्य सचिव की पदस्थापना की जाय। इसके लिये प्रत्येक बैठक में चर्चा की गई है एवं अंतिम पत्र 18.09.2018 को लिखा गया था। स्मार भी आयोग से जाता रहा है परन्तु निर्णय नहीं लिया जा सका। आगे संबंधित कार्य किया जाय।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–33 के अन्तर्गत जुर्माना करने की प्रक्रिया से संबंधित भारत सरकार के द्वारा प्राप्त पत्र दिनांक–18.04.2019 में विस्तृत नियमावली बनाने का निर्देश दिया गया। कार्य प्रक्रिया में किया जाना है।
- प्रतिवेदित वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन बनाने का निर्णय लिया गया एवं विगत प्रतिवेदन को 21 राज्यों को आयोग एवं झारखण्ड के सभी जिलों (उपायुक्त/जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक) को प्रेषित किया जाय।
- राज्य खाद्य आयोग के कार्य को गुणवत्ता पूर्ण किया जा सकने के उद्देश्य से विशेषज्ञ के empanelment का निर्णय दिनांक–09.04.2019 की बैठक में लिया गया। इस पर कार्रवाई की जा रही है।
- प्रज्ञा केन्द्र के द्वारा शिकायतों का निपटारा किया जाय। ऐसा करने से शिकायतकर्ता को आयोग आने–जाने में खर्च न हो। आयोग के ही द्वारा होगा अधिक से अधिक सुनवाई की जा सके। संबंधित नियम पर प्रस्तावित दर को आयोग की बैठक में स्वीकृत किया गया। श्री दिनेश कुमार त्यागी, भा0 प्र0 से0 (से0नि0), मुख्य कार्यपालक पदाधिकरी को 28.03.2019 को यह प्राप्त हुआ।
- आयोग के प्रचार–प्रसार के लिए समय–समय पर सेमिनार कराया जाय।
- प्रचार–प्रसार से संबंधित कार्य राज्य के 24 जिला में स्थापित सहायता केन्द्र से भी किया जा सकता है। ऐसा निर्णय लिया गया।
- सर्वेक्षण का कार्य भी विभिन्न एजेन्सी से शीघ्र कराए जाने का निर्णय लिया गया।
- देशीय यात्रा के अन्तर्गत तेलंगाना/मेघालय J PAL (Abdul Latif Jameel Paery Action Lab) के भ्रमण का निर्णय लिया गया।
- चावल/गेहूँ नहीं मिलने पर मुआवजा की राशि तय करने के लिए विभाग के साथ संपर्क कर निश्चित करने का निर्णय लिया गया।
- सदस्यों को भी विभागीय समीक्षा कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया।
- कृषि विभाग का सिंगल विंडो कार्यक्रम है। जिसमें कार्यरत अधिकारी गण के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 का प्रचार–प्रसार एवं लाभुको द्वारा शिकायत की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है। इस निमित्त निदेशक, कृषि विभाग से पत्राचार का निर्णय लिया गया।
- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की भांति समाज कल्याण विभाग द्वारा भी 3 माह का अग्रिम फण्ड देने का प्रावधान किया जाय। विभाग/सरकार को इस संबंध में सुझाव देने का निर्णय लिया गया।
- आयोग के माननीय सदस्यों के द्वारा स्थल भ्रमण/निरीक्षण के उपरांत जो भी शिकायतें मिलती है, उसे दर्ज करने का निर्णय लिया गया।
- आयोग के बेवसाईट का विज्ञापन, समाचार–पत्रों में प्रकाशित करवाने का निर्णय लिया गया।
- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के साथ नियमित बैठके किया जाय।
- आयोग कार्यालय में परामर्श हेतु बाहरी जिले से उपस्थित होने वाले व्यक्ति को T.A. के रूप में 500रु० देने का प्रावधान किया जाय।
- राज्य खाद्य आयोग में सुनवाई के दौरान साक्ष्य/गवाह के रूप में उपस्थित होने वाले को दैनिक भत्ता देने के संबंधित प्रस्ताव बनाने का निर्णय लिया गया।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–22 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया।
- दिनांक–28.02.2020 को समाज कल्याण निदेशालय के साथ बैठक की गयी जिसमें धारा–8 के तहत खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान हेतु बजटीय प्रावधान करने का निर्णय लिया गया।

14. समाजिक अंकेक्षण से संबंधित बैठकः–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अध्याय–11, कंडिका–28 के अनुसार अधिनियम के तहत कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण का समय–समय पर सामाजिक अंकेक्षण कराए जाने का प्रावधान है।

इस निमित्त आयोग में, आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, भोजन का अधिकार के सदस्य, सामाजिक अंकेक्षण इकाई के सदस्य तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ छः बैठके दिनांकः–13.06.2019, 12.07.2019, 30.07.2019, 04.09.2019, 20.11.2019 एवं दिनांक 12.12.2019 को हुई। जिनमें निम्नलिखित निर्णय लिए गएः–

- मुखिया को पंचायतों का डाटा उपलब्ध कराना।
- सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया, उभरे मुद्दों एवं शिकायतों पर कार्रवाई हेतु मार्गदर्शिका बनाने का निर्णय।
- अयोग्य व्यक्तियों का राशनकार्ड रद्द किये जाने एवं निगरानी समिति की नियमित बैठक के संबंध में आदेश।
- मनरेगा की तरह आयोग का भी दण्डात्मक कार्रवाई से संबंधित संकल्प बनाना।
- राशन नहीं मिलने पर डीलर के साथ पदाधिकारियों की जवाबदेही तय किया जाना।
- बाहरी क्षेत्र के विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं जनवितरण केन्द्रों का भी सामाजिक अंकेक्षण किया जाना।
- जनवितरण केन्द्रों के लिए तैयार मार्गदर्शिका को Upload कराने एवं Public Feedback लिया जाना।
- जनवितरण दुकानदार की अनुज्ञप्ति को रद्द करने की प्रक्रिया, जनवितरण केन्द्र की दूरी, लाभुकों की संख्या, केन्द्र का कमीशन, जनसंख्या के आधार पर राशन कार्ड की संख्या, पंचायत भवन में जनवितरण केन्द्र के संचालन से संबंधित प्रक्रिया करने का निर्णय।
- जनवितरण प्रणाली एवं मध्याह्न भोजन योजना के सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित सुझावी मार्गदर्शिका को वेबसाईट पर डालना।
- मोटा अनाज को जनवितरण केन्द्र के माध्यम से वितरण हेतु शुरूआत करना।
- मडुआ एवं मोटे खाद्यान्न को बढ़ावा देना।
- आंगनबाड़ी कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शिका बनाना ।
- राशन कार्ड से संबंधित सत्यापन का कार्य डीलर से हटाकर पंचायत तथा वार्ड स्तर पर निगरानी समिति का होना।
- मध्याह्न भोजन के सामाजिक अंकेक्षण के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण आयोग कार्यालय में किया जाना।
- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग तथा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंकेक्षण कार्य से संबंधित विषय पर अध्ययन की आवश्यकता।

15. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के जाँच हेतु बैठक :–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत विद्यालयों तथा आँगनबाड़ी केन्द्रों में दिए जाने वाले पके–पकाये भोजन की गुणवत्ता के जाँच का प्रावधान है। इस निमित्त, आयोग कार्यालय में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के खाद्य विश्लेषक, श्री प्रणय कुमार, स्कूली शिक्षा एवं साक्षारता विभाग तथा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ दिनांक 05.09.2018, 06.09.2018, 25.01.2019, 25.02.2020 और 28. 02.2020 को बैठक आयोजित की गई।

निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गयाः–

- टेक्नीकल लैब संबंधित रिपोर्ट खाद्यान्न/पके भोजन की जाँच, दर एवं प्रक्रिया पर चर्चा की गयी।
- प्रत्येक जिला में खाद्य जाँच लैब की स्थापना हो एवं इसमें स्वास्थ्य विभाग की भूमिका, स्थापित करने के लिए Expression of interest निकाले जाने का निर्णय लिया गया।
- खाद्यान्न से संबंधित जाँच एवं सैंपल लेने की प्रक्रिया, आधार एवं संबंधित विषय पर नीति बनाने को लेकर चर्चा की गयी।

- समाज कल्याण विभाग एवं स्कूली शिक्षा विभाग से अनुरोध किया गया कि वे खाद्य पदार्थों के सैंपल के ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित नियम एवं प्रोटोकॉल बनाए। नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ फूड, हैदराबाद द्वारा स्वयं के बनाये गए सैंपल test की प्रक्रिया को adopt करने का निर्णय भी लिया गया।
- स्वास्थ्य विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित कर मध्याह्न भोजन एवं आँगनबाड़ी केन्द्र के भोजन के जाँच हेतू फूड इंस्पेक्टर को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया।
- यह निर्णय लिया गया कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पानी के साथ–साथ प्रोटीन एवं कैलोरी की जाँच भी करेंगे।
- यह निर्णय लिया गया कि आंगनबाड़ी एवं मध्याह्न भोजन में दिये जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच हेतु फूड इंस्पेक्टर का उपयोग किया जाए ताकि कम से कम पाँच सैंपल 5 sample जाँच हेतु नामकुम प्रयोगशाला भेजा जा सके।
- समाज कल्याण निदेशक के साथ दि0–28.02.2020 को बैठक की गयी जिसमें खाद्य पदार्थ की जाँच के लिए अलग से बजटीय प्रावधान करने का निर्णय लिया गया।
- बैठक के दौरान श्री प्रणय कुमार, सनटेक ने खाद्य पदार्थों की जाँच का दर 800 रू0 + जी0एस0टी0 (18:की दर) बताया, जिसमें सैम्पल एकत्र करने का दर भी सम्मिलित है।
- यह निर्णय लिया गया कि यदि कोई लैब संचालक अपने लैब को अपग्रेड करना चाहता है, तो इस संबंध में FSSAI से अनुरोध किया जायेगा।
- हकदारी को आँगनबाडी केन्द्रों में स्पष्ट रूप से अंकित करने का आदेश दिया गया।
- फुड टेस्टिंग वैन में Calorie एवं Protien की जाँच के लिए आवश्यक Modification कराने का निर्णय लिया गया।
- FSSAI से modified वैन की और यूनिट आपूर्ति करने का अनुरोध किये जाने का निर्णय भी लिया गया।

16. प्रधानमंत्री मातृ वन्दना से संबंधित बैठक

दिनांक–09.01.2020 एवं 21.01.2020 को आयोग की बैठक बाल–विकास परियोजना पदाधिकारी, राँची एवं महिला पर्यवेक्षिका, सदर, राँची के साथ आयोजित की गई, जिसमें निम्न बिन्दुओं पर निर्णय लिए गयेः–

- राज्य के अर्न्तगत सभी जिलों के सिविल सर्जन, राज्य के जिले एवं प्रखण्ड स्तर पर संचालित हो रहे प्राईवेट नर्सिंग होम की सूची बाल–विकास परियोजना पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे एवं संबंधित पदाधिकारी अपने स्तर से प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के तहत् योग्य महिलाओं को प्राइवेट नर्सिंग होम के सहयोग से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे।
- राँची जिले के अन्तर्गत प्राईवेट नर्सिंग होम, जहाँ जननी सुरक्षा योजना संचालित की जा रही है, की सूची आयोग को उपलब्ध कराने हेतु, सिविल सर्जन, राँची को निदेश देने का निर्णय लिया गया।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के समस्याओं के निदान के लिए अच्छे सुझावों को झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया।
- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे अपने स्तर से एक बैठक आयोजित करे जिसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने एवं लाभुकों को इसका लाभ दिलाने में आ रही कठिनाईयाँ का आकलन करें। इन सब पर सुधारात्मक सुझाव (आंगनबाड़ी स्तर से लेकर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के स्तर तक) संकलित कर परियोजना वार आयोग को उपलब्ध कराएँ। इस कार्य की निर्धारित अवधि एक माह सुनिश्चित की गयी है।
- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा अच्छे सुझावों को पुरस्कृत करने का निर्णय राँची जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा।

17. विषय– खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा राज्य खाद्य आयोग की समीक्षात्मक बैठक।

स्थानः– कृषि भवन, भारत सरकार, दिल्ली।

दिनांकः– 29.11.2018

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के सचिव (श्री रविकांत) की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की बैठक (प्रतिभागीः–24 राज्यों के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने भाग लिया) कृषि भवन दिल्ली में की गई। झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग से अध्यक्ष श्री सुधीर प्रसाद एवं सदस्य डा0 रंजना कुमारी ने अपने विचार प्रस्तुत किये।

बैठक में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण से श्री एस0 जगन्नाथ (संयुक्त सचिव), सुश्री मनीषा सेन शर्मा (अर्थशास्त्र परामर्शी), श्री भगवान दास (संयुक्त निदेशक), श्री कौशिक चौधरी (अवर सचिव), श्री अभय श्रीवास्तव (सेक्सन ऑफीसर), श्री नवेन्दु सिंह (निदेशक, WCD), श्री सचिन अरोडा (अवर सचिव, HRD), श्री रजत गुप्ता (मुख्य Consultant HRD) उपस्थित थे।

बैठक से निम्नलिखित बिन्दु उभर कर आएः–

- Rotational basis पर राज्य खाद्य विभाग के प्रतिनिधियों को राज्य खाद्य आयोग की बैठक में निश्चित अंतराल पर बुलाया जाय।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा–33 के अन्तर्गत जुर्माना की प्रक्रिया Procedure के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के Modality को देखा जाय।
- उत्तरप्रदेश एवं तमिलनाडू के राज्य आयोग के नियमावली में संशोधन की आवश्यकता है। इसमें सिर्फ जन वितरण प्रणाली को जोड़ने की आवश्यकता है।
- स्वतंत्र DGRO (जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी) को यह दायित्व दिया जाय।
- राज्य सरकार से शिकायत या किये गये महत्त्वपूर्ण पत्राचार को आयोग को भी भेजा जाय।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित सभी राज्य सरकार के संकल्प को एकत्रित करके विभाग के Website पर Upload किया जाय।
- स्थानीय भाषा में IEC सामग्री तैयार की जाय।
- राज्य खाद्य आयोग द्वारा क्षेत्रिय बैठक आयोजित हो।
- त्रैमासिक आधार पर SFC का प्रतिवेदन प्रस्तुत हो।
- JSFC द्वारा त्रैमासिक आधार पर एक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।
- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के नियम संबंधी अधिसूचना लंबित थे। इन्हें प्रशासनिक मंत्रालय से लिये जाने की आवश्यकता है।
- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ICDS एवं MDM के लाभुकों के डेटाबेस के डिजिटलीकरण किया जाय।
- खाद्यान्न नहीं मिलने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान नहीं किये जाने संबंधी मामले में संबंधित विभाग द्वारा examination किया जाय।
- MDM में कुकिंग कॉस्ट सम्मिलित करने के लिए स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा जाँच हो।
- ICDS/MDM में खराब गुणवत्ता वाला पोषाहार भोजन दिये जाने से संबंधित मामले को संबंधित विभाग द्वारा देखा जाना। जिसमें राज्यों को भी आगे कार्य करने से संबंधित सुझाव दिए गए।

राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के द्वारा अधिनियम के कार्यन्वयन की जाँच–पड़ताल हेतु भ्रमण

क्र0 सं0	दिनांक	जिला / राज्य	विवरण
1.	17.07.2018, एवं 18.07.2018	दुमका	• आँगनबाड़ी केन्द्र–बाबूपुर ग्राम, हरिहरपुर पंचायत • आँगनबाड़ी केन्द्र–प्री नर्सरी स्कूल, बरातांड
2.	30.07.2018	रामगढ़	• आँगनबाड़ी केन्द्र–कुँदरू मुस्लिम टोला, रामगढ़ (AWC)
3.	01.08.2018	खूँटी	• आँगनबाड़ी केन्द्र–बगरू • आँगनबाड़ी केन्द्र–रेवा • उत्क्रमित मध्य विद्यालय, डूमरडगा • उत्क्रमित उच्च विद्यालय, हरूहप्पा
4.	23.08.2018	ईटकी	
5.	30.08.2018, एवं 31.08.2018	पू0 सिंहभूम	• घाटशिला • गुड़ाबांध, आँगनबाड़ी केन्द्र, मध्याह्न भोजन • डुमरिया • जमशेदपुर
6.	06.09.2018	गुमला	• भरनो–आँगनबाड़ी केन्द्र, जनवितरण केन्द्र • सिसई–आँगनबाड़ी केन्द्र, जनवितरण केन्द्र एवं विद्यालय
7.	04.10.2018	खूँटी	• तोरपा कुपोषण उपचार केन्द्र • बांस टोला आँगनबाड़ी केन्द्र • तिरला आँगनबाड़ी केन्द्र • उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, पैरा • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
8.	11.10.2018 एवं 12.10.2018	प0 सिंहभूम	• आँगनबाड़ी केन्द्र–मछुआ टोली बंदगाँव • आँगनबाड़ी केन्द्र–कोनसेया • आँगनबाड़ी केन्द्र–लुपुंगडीह, बंदगाँव • महर्षि बाल्मिकी मध्य विद्यालय, बंदगाँव • आँगनबाड़ी केन्द्र–तोड़े टोपा प्रखण्ड नवमुंडी • राजकीय मध्य विद्यालय, कोटेगढ़ • राजकीय उच्च विद्यालय, दूधमिला
9.	12.12.2018	प0 सिंहभूम	• ग्रा0–पोड़ाघाट, गुटुसाई, प्रखण्ड–सोनुआ, प0 सिंहभूम
10.	10.06.2019	लातेहार	• ग्रा0–लुरगुमीकला, प्रखण्ड–महुआडांड़, लातेहार
11.	17.07.2019 एवं 18.07.2019	प0 सिंहभूम	• खूंटपानी प्रखण्ड अंतर्गत उलीराजाबासा गाँव स्थित आँगनबाड़ी केन्द्र उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय
12.	19.09.2019	कोडरमा	• उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय जियोरायडीह
13.	06.03.2020	बोकारो	• बोकारो जिला अंतर्गत कसमार प्रखंड, करमा ग्राम
14.	22.12.2018 26.12.2018	वाराणसी एवं पटना	• राज्य खाद्य आयोग में बैठक • राज्य खाद्य आयोग में बैठक
15.	19.10.2018 04.09.2019	बंगाल महाराष्ट्र	• आँगनबाड़ केन्द्र संबंधित बैठक • राज्य स्तरीय बैठक
16.	20.08.2019	गुजरात	• पंडित दीनदयाल ग्राहक भण्डार, अहमदाबाद • गुजरात राज्य खाद्य आयोग का कार्यालय गांधीनगर

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

कुपोषण पर चर्चा इटकी प्रखण्ड, राँची।

दुमका-बच्चों का हैंड वाशिंग (बाबूपूर) आँगनबाड़ी

दिनांक-13.07.2018 को लोहरदगा में जनसुनवाई

इटकी प्रखण्ड अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र का अनुज्ञवण एवं मूल्यांकन

भरनो प्रखण्ड अन्तर्गत जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनाज वितरण के सम्बन्ध में।

भरनो प्रखण्ड अन्तर्गत आंगनबाड़ी के कुपोषण उपचार केन्द्र का स्थल भ्रमण

उत्क्रमित मध्य विद्यालय पैरा, प्रखण्ड-तोरपा, जिला-खूँटी

जन वितरण प्रणाली अंतरिक स्थल सत्यापन, उलीराजाबासा, खूंटपानी प्रखण्ड, प0सिंहभूम

आंगनबाड़ी केन्द्र, उलीराजाबासा, खूंटपानी प्रखण्ड प. सिंहभूम

2.2 क्षेत्र भ्रमण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अध्याय (1) के 16–6 के अनुसार अधिनियम के कार्यन्वयन की जाँच–पड़ताल करना एवं उसका मूल्यांकन करना, राज्य खाद्य आयोग का दायित्व है। इस निमित्त झारखंड राज्य खाद्य आयोग के द्वारा झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों के अनुश्रवण, शिकायतों की जांच, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के प्रचार–प्रसार के लिए जिला, प्रखण्ड एवं गाँव स्तर तक आयोग के सदस्यों के द्वारा क्षेत्र का भ्रमण किया गया।

1. जिलाः–दुमका

दिनांकः– 17/07/2018 एवं 18.08.2018

सदस्यः– डॉ रंजना कुमारी

दिनांक :– 17–07–2018 एवं दिनांक 18–07–2018 को जिला में आँगनबाड़ी केन्द्रों का भ्रमण किया गया। किशोरियों के साथ संवाद किया गया. सिद्धो–कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय में राज्य खाद्य आयोग एवं विश्वविद्यालय के सहयोग से स्टडी सेंटर एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के संबंध में वार्ता की गई।

आंगनबाड़ी केंद्र– बाबूपुर ग्राम, हरिहरपुर पंचायत.

आंगनबाड़ी केंद्र का भ्रमण किया गया जिसमें निम्नलिखित तथ्य सामने आए –

इस आँगनबाड़ी केन्द्र को उपायुक्त महोदय द्वारा गोद लिया गया है। यह केन्द्र काफी सुव्यवस्थित था। शिक्षण अधिगम सामग्री के कई नवाचारी प्रयोग किये गये थे। बच्चों के लिये बेंच–डेस्क की व्यवस्था थी। आँगनबाड़ी केन्द्र का परिसर स्वच्छ था। बच्चों ने साफ–सुथरे पोशाक पहने थे। आंगनबाड़ी केंद्र में एम.यू.ए.सी. टेप नहीं था। आँगनबाड़ी सेविका ने बताया कि आवश्यकतानुसार बगल के केन्द्र से वह एम.यू.ए.सी. टेप लाती है। वजन मशीन खराब था। जानकारी दी गई कि 25 केन्द्रों का वजन मशीन खराब है। सेविका ने बताया कि मोबाइल पर उपलब्ध एप के जरिये आँगनबाड़ी केन्द्र से संबंधित सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर उसने ऐसा कर के भी दिखलाया। भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक पायी गयी। केन्द्र पर पोषण सखी भी मौजूद थी। केन्द्र पर पोषण वाटिका बनायी गयी थी, जिसकी सब्जियाँ बच्चों को भोजन में दी जाती है। आँगनबाड़ी केन्द्र की सेविकाओं ने बताया की केंद्र अच्छा होने से बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ी है।

निम्नलिखित सुझाव दिए गये–

- प्लेट में छोटे बच्चों को खिचड़ी खाने में काफी कठिनाई होती है। अतः सुविधा और स्वच्छता की दृष्टि से कटोरी चम्मच का विकल्प उपयुक्त पाया गया। सी0डी0पी0ओ0 ने आश्वासन दिया की वह अपने स्तर से इसकी व्यवस्था करेंगे।
- प्रत्येक केन्द्र पर कम से कम 5 एम.यू.एसी. टेप हर समय उपलब्ध रहे क्योंकि बच्चे खेलते–खेलते अक्सर उसे खो देते है.
- वजन मशीन के लिए VNHSC का Untied fund व्यवहार में लाने की सलाह दी गई।
- ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट सही तरीके से भरने की जानकारी दी गई।
- बच्चों के वजन के संबंध में माताओं से परामर्श करने की तकनीक बताई गई।

आंगनबाड़ी केंद्र. – प्री नर्सरी स्कूल, बरातांड

अवलोकन के दौरान निम्न तथ्य सामने आए–

- चार्ट–पोस्टर दीवार पर टंगे थे। भोजन तालिका भी दीवार पर लगी थी।
- उपस्थित बच्चों की संख्या 19 थी। बच्चों के बैठने की व्यवस्था सही नहीं थी। सिर्फ एक छोटी सी दरी बिछायी हुई थी। कुछ बच्चे जमीन पर ही बैठे थे।
- आँगनबाड़ी सेविका को एम.यू.ए.सी. टेप से नापने की सही जानकारी थी।

- चापाकल से ही बच्चों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।
- भोजन मेनू के अनुसार उपलब्ध था पर गुणवत्ता की कमी थी।
- उपलब्ध रजिस्टर एवं ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट सही तरीके से भरा हुआ नहीं था।

निम्नलिखित सुझाव दिए गये –

- बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था की गयी।
- पेयजल की उचित व्यवस्था की जाय। इसके लिए फिल्टर वगैरह का उपयोग किया जाय।
- आँगनबाड़ी केन्द्र के रख–रखाव के लिये राशि उपलब्ध करायी जाय।
- पोषण वाटिका थी मगर उसका रख–रखाव अच्छा नहीं था।
- बच्चों के साफ–सफाई एवं खाने की गुणवत्ता पर विशेष सुझाव दिया गया।

2. जिलाः– रामगढ़

दिनांकः– 30/07/2018

सदस्यः– श्री उपेन्द्र नारायण उराँव एवं श्री हलधर महतो

निम्न गांव केन्द्रों पर क्षेत्र भ्रमण निरीक्षण किया गया–

- आँगनबाड़ी केंद्र कुँदरू मुस्लिम टोला, रामगढ़ (AWC)
- अंगनबाड़ी केंद्र मसरीडीह
- मसरीडीह बिरहोर टोला (डाकिया एवं अन्य योजना)
- उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बरियातु, गोला (मध्याह्न भोजन)
- नवसृजित प्राथमिक विद्यालय साडम (मसरीडीह), मध्याह्न भोजन
- कुपोषण उपचार केंद्र, गोला

आँगनबाड़ी केंद्र कुँदरू मुस्लिम टोला, रामगढ़ (AWC)

- केंद्र में माँ एवं बच्चे दोनों की सम्मिलित उपस्थिति लगभग 50 थी।
- भ्रमण के दिन मोबाइल मेडिकल यूनिट स्वास्थ्य जांच हेतु आने वाली थी इसलिए सभी आँगनबाड़ी केंद्र में जमा हुए थे।
- उपस्थित बच्चों में 3 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चों की संख्या मात्र चार या पाँच थी, जो सभी माँ के साथ ही थे। वजन सही तरीके से नहीं लिया जा रहा था।
- कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों कि समय पहचान और उन पर संवेदनशीलता के साथ अग्रतर कार्रवाई की कमी पायी गयी।

आँगनबाड़ी केंद्र, मसरीडीहः–

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के संबंध में यह पाया गया कि एक (किरण देवी) को छोड़कर, अन्य सभी 6 लाभूकों का पंजीकरण हो गया है एवं योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त कि राशि भी निर्गत हो चुकी है। आधार कार्ड नहीं होने की वजह से किरण देवी नामक महिला वंचित पायी गयी।
- पाया गया कि विशिष्ट जनजाति समूह के परिवारों के पास स्वास्थ्य जांच कार्ड नहीं है।
- उपस्थित सिविल सर्जन महोदय को निर्देश दिया गया कि पूरे जिले में चिन्हित विशिष्ट जनजाति परिवारों को स्वास्थ्य जांच कार्ड उपलब्ध कराकर समय–समय पर उनकी सम्पूर्ण जांच सुनिश्चित करें।
- आँगनबाड़ी केंद्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आँगनबाड़ी केंद्र से संबन्धित प्रावधानों एवं कानून का अनुपालन न होने कि स्थिति में शिकायत निवारण प्रणाली का विवरण कहीं लिखित नहीं पाया गया।

मसरीडीह बिरहोर टोला (डाकिया एवं अन्य योजना)

- विशिष्ट जनजाति हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत संचालित डाकिया योजना की स्थिति ग्राम मसरीडीह में संतोष जनक पाई गयी पर यह डीलर के द्वारा दिया जाता है।
- गोला प्रखण्ड में सिर्फ एक ही गांव मसरीडीह मे विशिष्ट जनजाति के लोग रहते है, साथ मे उपस्थित विपणन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि हर हाल मे प्रति माह वह स्वयं या उनकी देख–रेख में इन बाईस परिवारों को उनके घर पर खाद्यान्न पहुँचाना सुनिश्चित करें।

उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बरियातु, गोला/मसरीडीह

- बच्चों की कुल उपस्थिति लगभग 380 थी, मध्याह्न भोजन मेनू के अनुसार, एवं गुणवतापूर्ण था।
- नवसृजित प्राथमिक विद्यालय मसरिडीह में कुल–32 बच्चों में से 28 बच्चे उपस्थित थे। खाना मेनू के अनुसार बना हुआ था।

कुपोषण उपचार केंद्र, गोला

कुल दस बेड के केंद्र में भर्ती बच्चों की संख्या मात्र चार ही थी। केन्द्र स्वच्छ था। चूंकि केंद्र में क्षमता के हिसाब से बहुत ही कम बच्चे थे, इसकी पूर्ण उपयोगिता के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग को आपस में तालमेल कर प्रखण्ड के उन बच्चों को जिन्हें कुपोषण उपचार केंद्र में भर्ती किये जाने की जरूरत है, कि पहचान कर उनकी भर्ती सुनिश्चित करनी चाहिए अथवा ऐसे उपाय निकालने चाहिए कि आच्छादित क्षेत्र का कोई भी कुपोषित बच्चों बिना ईलाज के न रह जाय।

अनुशंसा

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी योजनाओं के प्रावधानों एवं शिकायत निवारण प्रणाली का अंकन दीवारों पर सुनिश्चित करने को कहा गया।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियंत्रण आदेश के कंडिका 7 में निहित प्रावधानों का अनुपात सुनिश्चित किया जाय।
- आँगनबाड़ी केन्द्रों से प्रतिदिन 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए दिया जाने वाला गरम पका हुआ भोजन की जाँच हो। प्रति माह बच्चों का वजन किया जाय। ग्रोथ मानीटरिंग चार्ट का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का भुगतान ससमय सुनिश्चित किया जाय अन्यथा इस योजना की उपयोगिता निरर्थक हो जाएगी।
- जिले के सभी विशिष्ट जनजाति समुदाय के परिवारों के लिए स्वास्थ्य कार्ड एवं प्रत्येक तीन माह पर परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य जांच एवं पेंशन योजना सुनिश्चित किया जाए।
- प्रत्येक विशिष्ट जनजाति के परिवार के लिए सरकार द्वारा विशिष्ट जनजाति पेंशन योजना का ससमय भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

3. जिलाः– खूँटी

दिनांकः– 01.08.2018

सदस्यः– श्री उपेन्द्र नारायण उराँव एवं श्री हलधर महतो।

निम्न गांव, केन्द्रों पर क्षेत्र भ्रमण निरीक्षण किया गया

आँगनबाड़ी केंद्र, बंगरु, प्राथमिक विद्यालय, बंगरू, आँगनबाड़ी केंद्र, रेवा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, डूमरदगा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हरुहप्पा, कुपोषण उपचार केंद्र, कर्रा, जन वितरण प्रणाली की दुकान, दहकेला।

भ्रमण एवं अवलोकन

रामगढ़ जिला अन्तर्गत मुरपा गाँव में विशिष्ट जनजाति टोला में आँगलबाड़ी सेवाओं का अवलोकन।

गुजरात राज्य के जनवितरण प्रणाली केन्द्र का भ्रमण एवं **NFSA** की कार्य प्रणाली का अवलोकन।

कोड़रमा जिला में **PVTG**

डुमरिया प्रखण्ड में विशिष्ट जनजाति के लिए डाकिया योजना का अवलोकन।

रामगढ़ जिला में मध्याह्न भोजन का अवलोकन, अनुश्रवण एवं परामर्श।

मीडिया की नजर में...

शिकायत : राज्य में 96 फीसदी ऐसे योग्य परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड है, चार फीसदी के पास नहीं

आधे कार्डधारी बोले- कम मिलता है राशन

27 | 23

ग्रामीण विकास विभाग

खाद्यान्न वितरण में पारिश्रमिक की मांग

राज्य खाद्य आयोग ने तीन दिनों के अंदर पार्षदों से मांगी रिपोर्ट

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा

फर्जी राशन कार्ड वाले 3,000 लोग चिह्नित

इन्हें जमा करना होगा कार्ड

सेंट्रल टीम ने किया कर्रा प्रखंड का दौरा

कर्रा. खाद्य सुरक्षा कानून आयोग के सदस्य उपेंद्र उरांव व हलदर महतो ने बुधवार को कर्रा प्रखंड के विद्यालय में चल रहे मध्याह्न भोजन, एमटीसी व जन वितरण प्रणाली दुकान का निरिक्षण किया. जिसमें सेंट्रल टीम के सदस्य सर्वप्रथम उत्क्रमित उच्च विद्यालय हरूहप्पा में चल रहे मध्याह्न भोजन का जायजा लिया. ... बच्चों से जानकारी ली. जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्रा के ... उपचार केंद्र जाकर छह कुपोषित बच्चों को देखा. उनसे पोषक आहार ... विधि की जानकारी ली. कुपोषण उपचार केंद्र में इलाज किये गये ...

गरीबों का निवाला भी नहीं छोड़ा...

खाद्य आयोग और सोशल ऑडिट टीम ने संयुक्त रूप से किया सर्वे

ऑडिट में खुलासा... कोरोना काल में भी 23 जिलों के 45% परिवारों को कम दिया अनाज

योजनाओं का सच... 4228 परिवारों से ऑडिट टीम ने की बात

ऑडिट टीम की अनुशंसा

पांच किलो अनाज का पैकेट तैयार हो

जिलावार परिवारों की सूची जिन्हें तय मात्रा में नहीं मिला राशन

जिलावार परिवारों की सूची जिन्हें नहीं मिला मध्याह्न भोजन या अनाज

मेदिनीनगर : सरकार का संकल्प है ... गठन किया गया है। ... भूख से किसी की मौत हो गई ... के माध्यम से पोषक तत्व दिए जाते हैं। बचपन में खाना, जवानी में राशन व बूढ़ा होने पर राशन व पेंशन दोनों दिया जाता है। इसका उद्देश्य है कि भूख से किसी की मौत नहीं हो। इसके लिए पीडीएस के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराया जाता है। इससे पहले पलामू के उपायुक्त अमीत कुमार ने कहा कि सरकारी योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ धरातल पर उतारना हम सब का फर्ज बनता है। पलामू की जिला परिषद अध्यक्ष प्रभा देवी ने कार्यशाला को प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक आयोजित करने पर बल दिया। कहा कि लाभुकों के बीच में कार्यशाला होने से इसका व्यापक असर दिखेगा। दुकानदार गोदाम से और लाभुक दुकानदार से पूरा-पूरा अनाज लें। किसी भी हाल में अनाज लेना नहीं छोड़ें। कहा कि जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी मिलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करायें। उन्होंने जिला आपूर्ति कार्यालय के हाल पर चिंता व्यक्त की। कहा कि उनके द्वारा अनुशंसा किया गया कार्ड अभी तक पदाधिकारी स्तर से नहीं निर्गत हुआ है। मेदिनीनगर नगर निगम के उप महापौर राकेश कुमार ...

राज्य खाद्य आयोग की टीम ने अधिकारियों को दिये कई निर्देश

मध्याह्न भोजन में पौष्टिकता का पूरा-पूरा ध्यान रखें

- गर्भवती महिलाओं को सरकार द्वारा दिए जाने वाले सभी लाभ भी समय पर दिए जायें

आँगनबाड़ी केंद्र – बगरू

केंद्र का भवन काफी अच्छी हालत में था एवं पर्याप्त जगह थी। केंद्र में 3 साल से 6 साल तक के कुल–14 बच्चों में से मात्र 3 उपस्थित थे। रजिस्टर में 12 जुलाई से 1 अगस्त तक की उपस्थिति अंकित नहीं थी। केन्द्र पर भोजन नहीं बन रहा था। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा–4 का उल्लंघन था। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कुल–6 लाभार्थी पंजीकृत थे। जिन्हें सिर्फ पहली किस्त की राशि का भुगतान किया गया है जब कि लाभार्थी के बच्चे अब 7–8 माह के हो चुके थे।

प्राथमिक विद्यालय, बगरू

विद्यालय में बच्चों कि उपस्थिति शत प्रतिशत थी। परिसर साफ सुथरा एवं कमरा सुव्यवस्थित था। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती पूनम खालखो एवं विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री दुर्गा मुंडा के बीच काफी अच्छा तालमेल पाया गया। मध्याह्न भोजन के प्रति प्रधानध्यापिका एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य काफी संवेदनशील थे। लगभग 5 से 6 बच्चों को समय से पूर्व करीब 11:30 बजे ही मध्याह्न भोजन दिया जा रहा था। पूछने पर प्रधानाध्यापिका एवं विद्यालय समिति के अध्यक्ष ने कहा कि ये बच्चे घर से बिना कुछ खाए आए हैं। इनके माता–पिता सुबह ही खेत में काम करने चले गए हैं। इस लिए इन्हें पहले खाना खिला रहे है।

आँगनबाड़ी केंद्र – रेवा

केंद्र के संचालन में स्वयं सेवी संस्था सिनी भी मद्द कर रहा है। केंद्र काफी सुव्यवस्थित था। साफ सफाई, स्वच्छता, पानी एवं शौचालय की व्यवस्था अच्छी थी। मध्याह्न भोजन नियमित था। आँगनबाड़ी सेविकाओं को वजन लेने एवं अन्य क्षमताओं की जानकारी थी। भ्रमण के दिन कुल–9 बच्चे उपस्थित थे। उसमें से दो बच्चों का वजन एवं उनका स्वास्थ्य रिकार्ड देखा गया जो संधारित था एवं सही पाया गया।

उत्क्रमित मध्य विद्यालय, डूमरडगा

विद्यालय में उपस्थित बच्चों की संख्या–230 थी। उपस्थित शिक्षकों में से 2 नियमित एवं 3 पारा शिक्षक थे। बच्चों के हिसाब से शिक्षकों की संख्या कम थी, मध्याह्न भोजन नियमित तथा मेन्यू के अनुसार था। सतर्कता समिति की पूरी जानकारी नहीं थी।

उत्क्रमित उच्च विद्यालय हरुहप्पा

विद्यालय में दसवीं कक्षा तक के कुल नामांकित बच्चों की संख्या–430 थी जिसमें से कक्षा आठवीं तक के नामांकित बच्चों की संख्या 310 एवं आठवीं तक की मात्र उपस्थिति 175 थी। मध्याह्न भोजन मेन्यू के अनुसार ही बना था और उसकी स्थिति काफी संतोष जनक पायी गयी।

कुपोषण उपचार केंद्र, कर्रा

कुपोषण उपचार केंद्र में कुल–10 बेड का प्रावधान है। उपस्थिति मात्र 3 थी। अंगनबाड़ी केंद्र एवं स्वास्थ्य विभाग के बीच तालमेल को मजबूत कर प्रखण्ड के सभी योग्य कुपोषित बच्चों की पहचान सुनिश्चित कर उनको कुपोषण उपचार केंद्र कर्रा में भर्ती करने की दिशा में लंबे प्रयास की जरूरत है।

जनवितरण प्रणाली की दुकान, डहकेला

जनवितरण प्रणाली की दुकान, खाद्यान्न रखरखाव, उठाव और वितरण की स्थिति संतोषजनक थी। भ्रमण के पश्चात खूँटी समाहरणालय सभागार में जिला राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में जन वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, आँगनबाड़ी केंद्र से संचालित गर्भवती महिला एवं धातृ माताओं (6 साल तक के बच्चो) को दी जानेवाली सेवाएं एवं अति गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की सेवाओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में संवेदनशीलता के साथ लागू करने हेतु जानकारी देते हुए आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये। कानून का अनुपालन न होने की स्थिति में अधिकारियों को दिशा–निर्देशों के अनुसार स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी लाभुकों को खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता ससमय भुगतान किये जाने का आग्रह किया गया।

अनुशंसा

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी योजनाओं के प्रावधानों, इसके अनुपालन एवं शिकायत निवारण से संबंधित जानकारी दीवार पर अंकित हो।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् राज्य सरकार द्वारा निर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2017 के कंडिका–7 में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- आँगनबाड़ी केन्द्रों से प्रतिदिन 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए दिया जाने वाला गरम पकाया भोजन की उपलब्धता, वजन माप, ग्रोथ मॉनीटरींग चार्ट के भराव का अनुपालन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आँगनबाड़ी सेविका एवं ए0एन0एम0 की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए।
- जिले के सभी विशिष्ट जनजाति समुदाय के परिवारों के लिए स्वास्थ्य कार्ड एवं प्रत्येक तीन माह पर परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित किया जाय।
- प्रत्येक विशिष्ट जनजाति के परिवार के लिये सरकार द्वारा विशिष्ट जनजाति पेंशन एवं डाकिया योजना का (35kg) ससमय भुगतान सुनिँचित किया जाय।

4. जिलाः– राँची

प्रखण्डः– ईटकी

दिनांकः– 23.08.2018

सदस्यः– डॉ. रंजना कुमारी

पर्यवेक्षण के दौरान निम्नलिखित तथ्य सामने आए–

- केन्द्र का भवन पक्का एवं सरकार द्वारा निर्मित था। एक कमरे में ताला लगा हुआ था। कारण मालूम करने पर पता चला कि गाँव के कुछ लड़के उसमें रहते, सोते एवं सामानों को रखते है। चाबी के संबंध में पूछने पर सेविका एवं सहायिका ने इस संबंध में अनभिज्ञता जतायी। मुखिया उपलब्ध नहीं थे।
- ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि आंगनबाड़ी सेविका बच्चों का खाना घर पर ही बनाती हैं। आंगनबाड़ी का सारा खाद्यान्न एवं रजिस्टर, वजन करने का समान सेविका के घर पर ही रहता है। पेयजल के लिए चापाकल उपलब्ध था पर उसके चारों तरफ गंदगी थी।
- बच्चों के खेलने की सामग्री कोने में रखी हुई थी। कहने पर आंगनबाड़ी सेविका ने उसका वितरण किया जिसके पाश्चात बच्चे उससे खेलने लगे।

संबंधित विषय पर ग्रामीणों से वार्ता की गई एवं आयोग की सदस्य द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया गया।

5. जिलाः–खूँटी

दिनांकः– 04.10.2018

सदस्यः–श्री हलधर महतो

भ्रमण स्थलः–

1. तोरपा कुपोषण उपचार केंद्र
2. बांस टोली अंगनबाड़ी केंद्र
3. तिरला आंगनबाड़ी केंद्र
4. उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, पैरा
5. जिला के अधिकारियों (शिक्षा, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य) के साथ क्षेत्र भ्रमण पर चर्चा एवं फीडबैक

तोरपा कुपोषण उपचार केंद्र

परिसर काफी व्यवस्थित एवं साफ–सुथरा था। अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डाक्टर नागेश्वर मांझी द्वारा एमटीसी केंद्र और इसकी व्यवस्था के बारे में बताया जाय। कुपोषण उपचार केंद्र में कुल–16 बच्चे के लिए व्यवस्था है। 10 बच्चे तोरपा प्रखण्ड से एवं 6 बच्चे रानिया प्रखण्ड से थे। एमटीसी में अति गंभीर रूप से कुपोषित भर्ती और डिसचार्ज हुए बच्चों का अभिलेख पूर्णतः अद्यतन था। बच्चों का वृद्धि निगरानी चार्ट पूर्णतः भरा हुआ नहीं था। मातृ–शिशु रक्षा कार्ड के संबंध में चिकित्सा पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी आदेश दिया गया।

बांस टोली आंगनबाड़ी केंद्र

केंद्र रोड किनारे अवस्थित था तथा भवन काफी अच्छा था। अलग रसोई की भी व्यवस्था थी। केंद्र के मुख्य भवन में बच्चों के अनुकूल चित्र इत्यादि बनाए गए थे। आंगनबाड़ी केन्द्र में उपस्थित बच्चों का वृद्धि निगरानी चार्ट नहीं भरा हुआ था। इसके सही तरीके से भरने के संबंध में आदेश दिया गया। भ्रमण के दिन ए.एन.एम. और आँगनबाड़ी सेविका से केंद्र में उपस्थित बच्चों का ग्रोथ मॉनीटरिंग रिपोर्ट देखने के लिए मांगा गया कि बच्चों का ग्रोथ मानीटरिंग रिपोर्ट भरा हुआ है या नहीं। छः माह पूर्व डिजिटल वजन मशीन प्राप्त हुआ है पर सुदुर क्षेत्र में बिजली के अभाव में मशीन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। साथ ही उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। गर्भवती, धातृ माताओं एवं 3 वर्ष से छोटे बच्चों को दिये जाने वाले आहार के बारे में पूछताछ के क्रम में आँगनबाड़ी सेविका द्वारा बताया गया की तीन माह से किसी को भी घर ले जाने वाला पोषाहार नहीं मिला है, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2013 की धारा – 4 एवं 5 (क) का उलंघन है। संबन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बांस टोली आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत सभी गर्भवती महिलाओं, धातृ माताओं एवं 3 वर्ष से छोटे बच्चों को जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर माह का खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान कर, आयोग को 28 दिसम्बर, 2018 तक कृत कार्रवाई को सूचित करने कि कृपा करें।

तिरला आंगनबाड़ी केन्द्र

ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस होने के कारण आँगनबाड़ी केंद्र के बगल में अवस्थित भवन में ए.एन.एम. के द्वारा टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जांच किया जा रहा था। वजन मशीन केन्द्र में उपलब्ध नहीं था। यह सेविका के घर में रखा हुआ था क्योंकि उन्हें मशीन उपयोग की जानकारी नहीं थी।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में ज्ञात हुआ कि वर्ष 2017 में कुल–8 योग्य महिलाएं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पंजीकृत थी। कुल–8 योग्य लाभुकों में से 5 को दिनांक 04–10–2018 तक सिर्फ प्रथम किस्त का ही भुगतान हो पाया था जबकि जून 2018 में एक को छोड़ कर बाकी सभी 7 लाभूकों को सभी किस्तों का भुगतान हो जाना चाहिए था। आँगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभुकों की सूची उपलब्ध रहे यह आदेश दिया गया ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के क्रियान्वयन में लापरवाही न हो।

उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, पैरा–

- मध्याहन भोजन के संचालन की स्थिति विद्यालय में ठीक पायी गयी।

अनुशंसाः–

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के ससमय क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु स्वास्थ्य विभाग के आरसीएच पोर्टल के online monitoring system (RCH) एवं PMMVY के online system का मिलान प्रतिमाह आँगनबाड़ी केंद्र, प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर किया जाय। इसमें अंतराल का पता प्रतिमाह किया जाय एवं त्वरित कार्रवाई कर PMMVY के लिए योग्य लाभूकों का हक सुनिश्चित किया जा सकता है।
- मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड की वृद्धि निगरानी चार्ट को ठीक ढंग से प्रति माह पूर्ण कर इसके साथ counseling की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना होगा ताकि ससमय वृद्धि में स्थिरता अथवा गिरावट की पहचान कर तत्काल कार्रवाई प्रारम्भ की जा सके।

- मध्याह्न भोजन योजना के निगरानी एवं कार्रवाई हेतु डै आधारित रिपोर्टिंग के आधार पर खूंटी जिला में की जा रही निगरानी प्रक्रिया काफी सराहनीय है। इसे राज्य के सभी जिलों में मध्याह्न भोजन निदेशालय द्वारा कड़ाई से अनुपालन करवाने की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
- कुपोषण उपचार केन्द्रों से आँकड़े के संबंध में बात किया गया।

6. **जिलाः– प0 सिंहभूम**

दिनांकः– 11.10.2018 एवं 12.10.2018

सदस्यः– श्री उपेंन्द्र नारायण उराँव एवं श्री हलधर महतो

दिनांकः– 11.10.2018

1. आंगनबाड़ी केन्द्र मछुआ टोली बंदगांव
2. आंगनबाड़ केन्द्र कोनसेया, बंदगांव
3. मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र, खरवा टोली
4. आंगनबाड़ी केन्द्र, लुपुंगडीह, बंदगांव
5. उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोनसेया
6. महर्षि बाल्मिकी मध्य विद्यालय, बंदगांव

दिनांकः– 12.10.2018

1. आंगनबाड़ी केन्द्र तोड़े टोपा प्रखण्ड नवामुंडी
2. आंगनबाड़ी केन्द्र, कोटेगढ़–2
3. राज्यकीय मध्य विद्यालय कोटेगढ़
4. उत्क्रमित उच्च विद्यालय, दूधविला

आँगनबाड़ी केन्द्र मछुआ टोली बंदगांव

बच्चों की उपस्थिति मात्र–13 थी। वजन एवं उँचाई मापने वाली मशीन का व्यवहार नहीं किया जा रहा था। बिना वजन के वृद्धि निगरानी चार्ट भरा जा रहा था। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत् निबंधन नहीं हो रहा था। जानकारी सुचारू रूप से नहीं थी जो चिंताजनक थीं। आयोग द्वारा अनुशंसा की गई कि आँगनबाड़ी सेविका एवं पर्यवेक्षिका के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयेाग आयोजन किया जाए।

आँगनबाड़ी केंद्र, कोनसेया

- भ्रमण के दौरान आँगनबाड़ी केंद्र बंद था। केंद्र पर एक गाय बंधी हुई थी। जानकारी मिली कि केन्द्र अक्सर बंद रहता है।

निष्कर्ष एवं अनुशंसा

विगत तीन माह से (जुलाई से भ्रमण के दिन तक) आँगनबाड़ी केंद्र में दी जाने वाली सुविधाएं पूरी तरह से बंद है। अतः इस केंद्र के सभी लाभुकों को अधिनियम की धारा – 8 के तहत् खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान कर आयेाग को सूचित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त पश्चिमी सिंघभूम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की धारा–33 के अंतर्गत जवाबदेही सुनिश्चित कर कार्रवाई की प्रक्रिया आरंभ करने एवं कृत कार्रवाई से दिनांक–30 जनवरी 2019 तक आयोग को अवगत कराने का आदेश दिया गया।

मिनी आँगनबाड़ी केंद्र, खरवा टोली

आँगनबाड़ी केंद्र में बच्चों कि उपस्थिति पूर्ण थी। केंद्र काफी साफ–सुथरा था, वजन रिकार्ड अद्यतन था। भोजन का सामान अंडे सहित उपलब्ध था। निगरानी समिति के सदस्यों से भी मुलाकात की गई एवं उन सभी का फीडबैक लिया गया। केंद्र का संचालन एवं आँगनबाड़ी केंद्र में दी जाने वाली सेवाओं की स्थिति काफी संतोषजनक पायी गयी।

आँगनबाड़ी केंद्र, लुपुंगडीह, बंदगांव

आयोग की टीम जब लापुंगडीह आँगनबाड़ी केंद्र पहुंची, तो बच्चों के लिए खाना तैयार किया जा रहा था। मालूम हुआ कि यहाँ सुबह का नाश्ता नहीं देकर एक ही साथ बच्चों को खाना दिया जाता है। बिना वजन लिए ही वृद्धि निगरानी चार्ट भरा जा रहा था। केंद्र निरीक्षण के दौरान उपलब्ध दस्तावेजों से पाया गया कि केंद्र का पर्यवेक्षण न के बराबर था। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन संबंधी उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार वर्ष 2017 में दो लाभुकों का पंजीयन कराया गया था। जिसमें दोनों को 11.10.2018 तक एक ही फार्म और एक ही किस्त राशि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत् दी गई थी। आदेश दिया गया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का ससमय क्रियान्वयन एवं इसके किस्तों का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु जवाबदेही सुनिश्चित करने कि कार्रवाई प्रारम्भ हो एवं स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–8 के अनुसार खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान सुनिश्चित हो। साथ ही संबन्धित पदाधिकारी पर धारा–33 के अन्तर्गत कार्रवाई हो।

उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कोनसेया

विद्यालय का भवन काफी अच्छा था, बच्चों की कुल संख्या–117 एवं उपस्थिति 52 थी। चावल की आपूर्ति नहीं होने के कारण मध्याह्न भोजन जुलाई में बंद था। इसकी सूचना प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को दे दी गई थी। कुल दो पारा शिक्षक विद्यालय का काम देख रहे थे।

निष्कर्ष एवं अनुशंसा

- उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोनसेया में मध्याह्न भोजन का बंद होना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–5 (ख) का स्पष्ट उलंघन है। अतः विद्यालय में पंजीकृत सभी छात्र–छात्राएँ, मध्याह्न भोजन बंद रहने की अवधि के लिए अधिनियम की धारा–8 के अनुसार खाद्य सुरक्षा भत्ता के हकदार हैं। जिले के उपायुक्त को इस संबंध मे कार्रवाई करने के आदेश दिए गए।

महर्षि बाल्मिकी मध्य विद्यालय, बंदगांव

- विद्यालय में कुल–548 नामांकित बच्चों में से 309 बच्चे उपस्थित थे, विद्यालय प्रबंधन समिति सक्रिय थी। परिसर स्वच्छ था एवं शिक्षक सकारात्मक सोच के थे।

आँगनबाड़ी केंद्र, तोड़े टोपा, प्रखण्ड नवामुंडी

निरीक्षण में पाया गया कि केंद्र में बच्चे ही नहीं आते है। केंद्र में रखे हुए उपकरणों का उपयोग पूर्व में कभी भी नहीं हुआ था। उपस्थित बच्चों में से आधे से अधिक बच्चे कुपोषित थे, संबंधित सेवाएं सुचारू रूप से क्रियान्वित नहीं थी। आँगनबाड़ी केन्द्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता थी।

राजकीय मध्य विद्यालय, कोटेगढ़

मध्याह्न भोजन कि गुणवत्ता अच्छी पायी गयी। कुल नामांकित–346 बच्चे में से 127 उपस्थित थे। प्रधानाध्यापिका काफी सक्रिय थी।

उत्क्रमित उच्च विद्यालय, दूधविला

भ्रमण के दिन कुल–441 नामांकित बच्चों में से 153 बच्चे उपस्थित थे। मध्याह्न भोजन कि गुणवत्ता एवं नियमितता प्रशंसनीय थी।

7. जिला– प0 सिंहभूम।

दिनांक–12.12.2018

सदस्य– श्री हलधर महतो एवं श्री उपेन्द्र नारायण उराँव।

भ्रमण स्थल– ग्रा0–पोड़ाघट, गुटुसाई, प्रखण्ड–सोनुआ, प0सिंहभूम।

दिनांक–07.12.2018 को ग्रा0–पोड़ाघाट, टोला–गुटुसाई, प्रखण्ड–सोनुओ, प0सिंहभूम की महिला वीरेन दिग्गी की तथा कथित भूख से मृत्यु के संबंध में जांच हेतु दि0–12.12.2018 के आयोग के सदस्य श्री हलधर महतो एवं

उपेन्द्र नारायण उराँव द्वारा ग्रा0–पोड़ाघाट, टोला–गुटुसाई, प्रखण्ड–सोनुआ, प0सिंहभूम का भ्रमण किया गया जिसमें निम्न बातें सामने आयीः–

1. बीरेन दिग्गी जिसकी तथाकथित भूख से मौत की खबर जो अखबार में छपी थी की उम्र 86 वर्ष थी। उसके परिवार में वह अकेली महिला थी। बेटा कोई 10–12 वर्ष पूर्व गाँव से कहीं बाहर चला गया। इसकी एक विवाहित बेटी थी, 2 वर्ष पूर्व उसकी और दामाद की हत्या/ मृत्यु हो गई है। वीरेन दिग्गी के पास रहने को अपना घर नहीं था। आंगनबाड़ी सेविका पेलांग कुई बीरेन दिग्गी को अपने नवनिर्मित एवं निर्माणधीन घर में विगत 1 वर्ष से रखी हुई थी। पेलांग कुई (आंगनबाड़ी सेविका) बीरेन दिग्गी की दयनीय स्थिति को देखते हुए न सिर्फ उसे अपने घर में रख रही थी, बल्कि आंगनबाड़ी के कार्य दिवस पर आंगनबाड़ी केन्द्र में बनने वाले खाने से ही प्रतिदन दोपहर को निकाल कर खाना देती थी एवं उसकी देखभाल करती थी।
2. बीरेन दिग्गी का अन्त्योदय कार्ड था, परन्तु जुलाई माह से राशन मिलना बन्द हो गया था। बीरेन दिग्गी का पेंशन भी मई, 2017 से ही KYC न करा पाने के कारण बन्द था।
3. उपस्थित अन्य लोगों से पूछताछ करने पर यह भी पता चला कि पूरे गाँव में सभी राशन कार्डधारियों को सितम्बर माह से राशन नहीं मिल पा रहा है। इतने दिनों से किसी भी लाभुक को राशन न मिलने के बावजूद खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई भी संज्ञान न लिया गया और लाभुकों को राशन दिलाये जाने हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया।
4. PDS अनुज्ञप्ति धारी, आकर्शनी स्वयंसेवी सहायता समूह पोड़ाघाट की सचिव सविता राउत से बातचीत करने पता चला कि चार माह से किसी को भी राशन नहीं दिया है। क्योंकि ई–पॉस मशीन द्वारा राशन देने पर उसमें कुछ भी दिखता नहीं था। मशीन ऑफलाइन था और जुलाई माह से खराब था। मशीन खराबी की सूचना सविता राउत एवं बिजुडी राउत ने पणन पदाधिकरी (M.O) को आवेदन के माध्यम से दिया था। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पंचायत समिति सदस्य, पोड़ाहाट, श्रीमती रानी बान्दिया द्वारा भी सितम्बर माह से राशन न मिलने के संबंध में दिनांक–03.11.2018 को उपायुक्त कार्यालय, चाईबासा में इसकी सूचना दी गयी थी।

सुझाव

1. ज्ञातव्य हो कि पोड़ाघाट, गुटूसोई जैसे जिला के अन्य गाँवों की स्थिति को चिन्हित करते हुए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रत्येक वर्ष, जुलाई माह से अक्टूबर माह तक हर हाल में जनवितरण प्रणाली से मिलने वाला अनाज निश्चित रूप से लाभुकों को उपलब्ध हो। क्योंकि यह समय अनाज के घोर अभाव का समय होता है। विभाग इस अवधि में लाभुकों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तत्पर रहें।
2. E-POS मशीन के माध्यम से वितरण के अलावे लाभान्वित को अन्य उचित माध्यम से हुए राशन वितरण का सत्यापन कर वास्तविक स्टॉक या भण्डारण की स्थिति का आधार मानकर अनाज आबंटन की प्रक्रिया सुनिश्चित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है एवं इसकी सतत निगरानी विभाग द्वारा विधि सम्मत रखा जाना भी आवश्यक है।

   E-POS मशीन को उपयोग कर उचित लाभुक को राशन उपलब्ध कराना तथा काला बाजारी पर अंकुश लगाना विभाग द्वारा प्रशंसनीय है। लेकिन इस कड़ी में नेटवर्क या अन्य तकनीकि कारणों से लाभुक को उसके हक से वंचित रखना चिन्ता का विषय है। खाद्य आपूर्ति विभाग यह सुनिश्चित करे कि नेटवर्क या तकनीकि कारणें से वंचित होने वालों का हक न मारा जाय।
3. ज्ञातव्य हो कि बीरेन दिग्गी 86 वर्षीय वृद्ध महिला थी। आंगनबाड़ी केन्द्र होने के कारण उसे खाना मिल रहा था। आहार पोर्टल में उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसे बहुत से मामले है, जहाँ एकल परिवार है। हो सकता है इनमें से बहुत से वृद्ध और बेसहारा भी हों। ऐसे मामलों का नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्रों अथवा विद्यालय में गर्म पकाये भोजन से संबद्ध स्थापित किया जाय।

8. जिला–लातेहार

दिनांक–10.06.2019

सदस्य–श्री हलधर महतो एवं की श्री उपेन्द्र नारायण उराँव।

भ्रमण स्थल–ग्रा0–लुरगुमीकला, प्रखण्ड–महुआडांड, लातेहार।

दिनांक– 06.06.2019 को आयोग को दूरभाष पर लातेहार जिला, महुआडांड प्रखण्ड के लुरगुमीकला गांव निवासी रामचरण मुण्डा नामक व्यक्ति की तथा कथित भूख से मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई।

भ्रमण के दौरान निम्न बातें पाई गयीः–

1. मृतक स्व0 रामचरण मुंडा की पत्नी चमरी देवी, पुत्री शोभा देवी एवं पुत्री सुनीला कुमारी ने बताया कि उनके घर में कई दिनों से अनाज नहीं था। मार्च, 2019 से जनवितरण प्रणाली से खाद्यान्न का वितरण भी नहीं किया गया था। उसके माता–पिता काम करने में असमर्थ थे और घर में कोई और कमाने वाला नहीं था।
2. जनवितरण प्रणाली विक्रेता मीना देवी के अनुसार पूरे प्रखण्ड में मोबाइल नेटवर्क अनुपलब्ध रहता है। इस कारण प्रखण्ड की सभी जनवितरण दुकान ऑफलाइन मोड पर चलती है, किन्तु मीना देवी की दुकान को ऑनलाइन कर दिया गया है। नेटवर्क के अभाव में वह राशन वितरण नहीं कर पा रही थी एवं दुकान को ऑफलाइन करने हेतु उन्होंने DSO लातेहार को एवं BSO महुआडांड को अनुरोध किया था। ताकि लाभुकों को राशन वितरण किया जा सके। इन सबके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर मीना देवी की दुकान को ऑफलाइन करने की दिशा में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई।
3. मृतक स्व0 रामचरण मुण्डा के परिजनों को मार्च–अप्रैल एवं मई का खाद्यान्न नहीं मिला था। इस परिवार को अंतिम बार फरवरी, 2019 में खाद्यान्न मिला था। उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि जनवरी माह से ही उनके परिवार को पेंशन की राशि नहीं मिल रही है।
4. अनुमंडल पदाधिकारी महुआडांड़ के प्रतिवेदन के अनुसार क्षेत्र में इंटरनेट सुविधा पूर्णतः बाधित होने के बावजूद मीना देवी को ऑनलाइन E-POS मशीन उपलब्ध कराया गया। मीना देवी द्वारा बार–बार उपवाद रजिस्टर के माध्यम से वितरण अथवा ऑफलाइन वितरण करने की अनुमति मांगे जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि रामचरण मुण्डा की मृत्यु के अगले ही दिन 7 जून को अपवाद पंजी से खाद्यान्न वितरण कराया गया। इससे सपष्ट है कि मीना देवी की जनवितरण दुकान को ऑफलाइन अथवा अपवाद पंजी के माध्यम से वितरण की अनुमति देने में प्रशासनिक लापरवाही बरती गई।
5. रामचरण मुण्डा की मृत्यु के तुरंत बाद मामला 06.06.2019 को ही प्रशासन के संज्ञान में आया, जिसके अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी, महुआडांड़ ने उसी दिन स्व0 रामचरण मुण्डा के अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहयोग उनके परिजनों को दिया था। राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित तथाकथित भूख से मृत्यु के मामले में जांच प्रोटोकॉल में स्पष्ट है कि इस तरह के मौत के मामलों में सर्वप्रथम शव का अंत्य परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है। रामचरण मुण्डा के शव का पोस्टमार्टम भी जिला प्रशासन द्वारा कराया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। यह भी प्रशासनिक लापरवाही एवं विफलता का द्योतक है।
6. आयोग का यह मत है कि तथाकथित भूख से मृत्यु के मामलों में शव का तत्काल अंत्य परीक्षण किया जाना चाहिए एवं राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित प्रोटोकॉल के आधार पर ही जांच प्रतिवेदन समर्पित किया जाना अनिवार्य होना चाहिए।

निष्कर्ष एवं अनुशंसा

1. स्व0 रामचरण मुण्डा के परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति उपर्युक्त चार्ट में दर्शाए गए विवरण के अनुसार बेहद चिंताजनक पाई गई।
2. पूरे महुआडांड़ प्रखण्ड में पूर्व से ही खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण ऑफलाइन माध्यम से की जा रही है। जबकि सिर्फ जनवितरण दुकानदार मीना देवी को आबंटित E-POS मशीन को ऑनलाइन कर दिया गया था।
3. तीन माह तक संबंधित पदाधिकारियों द्वारा जानकारी रहने के बावजूद उचित कार्रवाई न किया जाना, जिसके कारण लातेहार जिला के महुआडांड़ प्रखण्ड के लुरगुमी कला गांव की जनवितरण दुकानदार मीना देवी की दुकान से संबद्ध लाभुक खाद्यान्न से वंचित रहे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा–3 का उल्लंघन है।
4. दुकानदार द्वारा बार–बार पत्र लिखकर सूचना दिये जाने के बावजूद भी किसी की कार्रवाई न किया जाना, कार्य में शिथिलता एवं असंवेदन शीलता का प्रतीक है, जिसके कारण माह–मार्च अप्रैल एवं मई 2019 में राशन वितरण कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–33 का मामला बनता है।

9. जिलाः– प0 सिंहभूम

दिनांकः– 17/07/2019–18/07/2019

सदस्यः– श्री हलधर महतो

गाँव/केन्द्र/विद्यालयः–

खूंटपानी प्रखंड अंतर्गत उलीराजाबासा गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र

उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय

- खाद्य आयोग को उलीराजाबासा ग्राम से खाद्यान्न नहीं मिलने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई स्थानों से भी आयोग को शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके, आलोक में आयोग द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया।
- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को कुल–नौ (9) गांवों से शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें 377 शिकायतें खाद्यान्न नहीं मिलने की थी। इसके अलावा 200 से अधिक लोगों ने आयोग के समक्ष सामूहिक अपील की थी। इन शिकायतों के आलोक में आयोग द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया।
- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन की दिशा में खूंटपानी के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह–प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
- इसके बाद आयोग की टीम ने उलीराजाबासा ग्राम में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का अवलोकन किया। पूछ–ताछ के क्रम में गांव वालों ने जानकारी दी कि गांव में दो आंगनबाड़ी केंद्र अवस्थित हैं, जिनमें से एक को बंद कर दिया गया है। फिलहाल एक ही केंद्र से दोनों का संचालन किया जा रहा है
- दोनों आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाएं चांदमनी लागुरी एवं मोनिका पूर्ति ने बताया कि विगत तीन माह से जन वितरण प्रणाली से आंगनबाड़ी केंद्र को दिये जानेवाले चावल की आपूर्ति नहीं हो रही है।
- उपस्थिति पंजी का अवलोकन करने पर पाया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र में 3 साल तक के कुल 39 बच्चों में से 28 बच्चे कुपोषित थे।
- आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थित बच्चों की संख्या मात्र 22 थी, जिसमें 3 से 6 वर्ष की उम्र के बीच के पंजीकृत बच्चों की संख्या 40 थी, जबकि आबादी के अनुसार गांव में कम से कम 60 बच्चे होने चाहिए। अर्थात आंगनबाड़ी केंद्र की पहुंच से अभी भी बहुत से बच्चे बाहर हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र से पोषण

के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी जुड़ी हैं। अतः सभी बच्चों का पंजीकरण करना और उनको निगरानी में रखना स्वास्थ्य एवं पोषण के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है।

- अतः निर्देश दिया गया कि आंगनबाड़ी सेविका, पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी योग्य लाभार्थी बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में अनिवार्य रूप से पंजीकृत हों।
- साथ में चल रही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी शीला कुमारी ने बताया कि खाद्यान्न का आबंटन एवं आपूर्ति झारखंड राज्य खाद्य निगम से ही उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम सिंहभूम को सलाह दी गयी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सभी लाभुकों की पहचान के लिए गहन सर्वेक्षण कराये, ताकि कोई लाभुक इससे वंचित न रहे।
- उलीराजाबासा से आयोग को प्राप्त शिकायत के आलोक में शिकायत कर्ताओं से मुलाकात की गई। जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिम सिंहभूम द्वारा पारित आदेश की प्रति एक दिन पूर्व ही आयोग को प्राप्त हुई थी।
- खूंटपानी के बाद चक्रधरपुर प्रखंड के बाईपी गांव से प्राप्त शिकायतों के आलोक में आयोग की टीम ने गांव में जाकर शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उन्हें जन वितरण प्रणाली दुकानदार केदार सिंह पूर्ति द्वारा वर्ष 2018 में सितंबर अक्टूबर–नवंबर एवं दिसंबर तथा 2019 में जनवरी माह का राशन नहीं दिया गया है। इस संबंध में उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी, उपायुक्त एवं जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को लिखित शिकायत पत्र दिया है, जिसकी प्रतिलिपि आयोग को भी प्राप्त है। इसके अनुसार दिनांक 05.02.2019 को अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को पूर्व में प्रेषित आवेदन की छाया प्रति के साथ उपरोक्त राशन दुकानदार पर कार्रवाई करने संबंधी आवेदन दिया गया था। इसके साथ ग्राम सभा में लिए गए प्रस्ताव की छाया प्रति भी संलग्न की गई थी।

10. जिलाः– कोडरमा

दिनांकः– 19.09.2019

सदस्यः– श्री उपेन्द्र नारायण उराँव एवं श्री हलधर महतो

1. भ्रमण स्थल ग्राम लोकाई, प्रखण्ड कोडरमा, जिला कोडरमा

आयोग की टीम को लोकाई ग्राम, प्रखण्ड कोडरमा, जिला कोडरमा ले जाया गया जहाँ विशिष्ट जनजाति समुदाय के परिवार की संख्या सबसे ज्यादा है। भ्रमण के समय गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर लगाई गई थी जिसके साथ टीकाकरण का कार्यक्रम भी किया जा रहा था। चूंकि आंगनबाड़ी सेविकाएं हड़ताल में थी इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र की जगह टीकाकरण कार्यक्रम गांव के बीच में किया जा रहा था। फिल्ड में ही यह महसूस किया गया कि विशिष्ट जनजाति समुदाय के परिवारों के लिए एक हेल्थ कार्ड की आवश्यकता है। डाकिया योजना के लाभार्थियों ने बताया कि राशन प्रर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से उन्हें मिल जाता है। हालाकि झारखण्ड सरकार की अधिसूचना के अनुसार उन्हें सिलबन्द पैकेट में अनाज मिलना चाहिए जिसका अनुपालन नहीं हो रहा है। इस पर साथ में चल रहे जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि सरकार के नियम और विशिष्ट जनजाति के प्रत्येक परिवार को सीलबन्द पैकेट में ही उचित मात्रा में अनाज मिले।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना

टीकाकरण एवं स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित ANM के पास उपलब्ध पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की सूची लेकर उसका अवलोकन करने पर पता चला कि कुल–5 महिलाएँ वैसी थी जिन्हें प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन किन्हीं को भी प्रधानमंत्री वंदना योजना के अन्तर्गत दिया जाने वाला किस्त में से कोई भी किस्त नहीं मिला था। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन है।

साथ चल रहे जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी व जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे हर हाल में अगले 2 माह के अन्दर बकाया किस्त की राशि का भुगतान सुनिश्चित करें एवं आगे से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनका पंजीयन फॉर्म ससमय भरवाकर किस्तों की राशि का भुगतान सुनिश्चित करें ।

लोकाई में अवस्थित जन वितरण प्रणाली की दुकान का अवलोकन भी किया गया। दुकान के लाइसेंस धारी रघुनाथ गोस्वामी के दुकान के बाहर ताजा पेंट किया हुआ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ स्टॉक विवरणी दिवाल पर लिखा हुआ था। कार्ड धारियों की सूची (PHH एवं AAY) चिपकायी हुई थी। साथ ही साथ दुकान के बाहर खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखण्ड द्वारा तैयार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत विभिन्न कार्ड धारियों को दी जाने वाली सामग्री एवं हकदारियों के संबंध में स्पष्ट सूचना वाला पोस्टर लगाया हुआ था जिसमें विभाग द्वारा अंकित शिकायत निवारण प्रणाली संबंधी विवरणी भी अंकित थी।

ग्राम–जियोरायडीहः– प्रखण्ड डोमचांच, पंचायत मसनोडीह, प्रखंड डोमचांच

आंगनबाड़ी केन्द्र, जियोरायडीह

आयोग की टीम ने आंगन बाड़ी केंद्र में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम का अवलोकन किया। यहां भी ग्राम लोकाई की तरह टीकाकरण कार्यक्रम ठीक से चल रहा था। पर्याप्त मात्रा में दवाइयां एवं अन्य संसाधन उपलब्ध थे। उपस्थित महिलाओं के MCP कार्ड को देखने एवं पूछ–ताछ से पता चला कि यहाँ भी कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से 5–6 महिलाएं वैसी थी, जिन्हें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत् पोषण सहायता राशि मिलनी थी लेकिन किन्हीं महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत् किसी भी किस्त की राशि नहीं मिली जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 धारा–4 (ख) का स्पष्ट उल्लंघन है।

आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा दिया जाने वाला गर्म पका हुआ भोजन पिछले 2 माह से बन्द था। THR पिछले 2 माह से बन्द है।

उपरोक्त सभी स्थिति को देखते हुए आयोग ने गहरी चिन्ता जताई एवं यह पाया कि आंगनबाड़ी केंद्र और इससे दी जाने वाली सेवाओं के प्रति समाज कल्याण विभाग को संवेदनशीलता के साथ योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा अन्यथा कुपोषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे सारे प्रयासों के परिणामों पर प्रश्न चिह्न है।

उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय जियोरायडीह

विद्यालय भवन काफी साफ सुथरा एवं व्यवस्थित था। कक्षा में सभी बच्चों के लिए मेज और बेंच पर्याप्त मात्रा में था। प्रधानाध्यापक का कमरा भी काफी साफ सुथरा एवं व्यवस्थित था।

मध्याह्न भोजन तैयार करने हेतु अलग से किचन अवस्थित था, जिसमें भ्रमण के दिन का मध्याह्न भोजन तैयार था। खाना की गुणवत्ता प्रथम दृष्टया काफी अच्छी लगी। खाना परोसने से पूर्व खाना को चख कर देखे जाने की परम्परा का पालन नियमित रूप से किया जाता है जो ''चखना पंजी'' के अवलोकन से स्पष्ट है।

इस बात की पुष्टि प्रधानाध्यापक महोदय ने भी की। फरवरी एवं मार्च माह में मध्याह्न भोजन बन्द होने के कारण चखना पंजी का संधारण नहीं किया गया जिसकी पुष्टि स्वयं विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक ने की है। इस अवधि के खर्च व्यय विवरनी में दर्ज है, जो कि विरोधाभाषी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़ताल की अवधि के दौरान मध्याह्न भोजन बन्द होने के बावजूद उक्त अवधि की राशि की निकासी कर लिया गया है जो कि स्पष्ट रूप से गबन का मामला बनता है।

1. अतः जिला प्रशासन को सुझाव दिया गया है कि उक्त अवधि (फरवरी एवं मार्च 2019) को जिला के सभी विद्यालय की चखना पंजी और आय विवरणी पंजी की जांच करा कर तत्काल अनुकूल कार्रवाई करें।
2. उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में पंजीकृत सभी बच्चों को फरवरी माह एवं मार्च 2019 के खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान सुनिश्चित कर, कृत कार्रवाई से आयोग को एक माह के अन्दर प्रतिवेदन दें।

11. जिलाः– बोकारो

दिनांकः– 06.03.2019

सदस्यः– श्री उपेन्द्र नारायण उराँव एवं श्री हलधर महतो

दिनांक–06.03.2020 को बोकारो जिला अंतर्गत कसमार प्रखण्ड, करमा ग्राम के भूखल घासी की भूख से मृत्यु संबंधी सूचना समाचार पत्र के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुई। इस क्रम में आयोग के माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र नारायण उराँव एवं श्री हलधर महतो द्वारा दिनांक–12.03.2020 को स्थल जाँच की गयी।

जिसमें निम्न तथ्य सामने आयेः–

1. मृत भूखल घांसी के बड़े पुत्र द्वारा बताया गया कि उसके पिता भूखल घांसी 5.6 माह पूर्व तक बंगलोर में मजदूरी करते थे। तबियत खराब होने पर घर लौट आए थे। इनका स्थानीय स्तर से भी ईलाज चल रहा था।
2. बड़ा पुत्र स्थानीय स्तर पर ईट भट्ठा में दैनिक मजदूरी करता है। छोटा पुत्र पेटरवार में किसी होटल में काम करता है।
3. भूखल घांसी के कथित भूख से मृत्योपरान्त अन्त्यपरीक्षण आवश्यक था जो कि नहीं कराया गया।
4. मृत्यु के तत्काल बाद दाह संस्कार कर दिया गया। इसके पश्चात ही इसकी खबर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कसमार को प्राप्त हुई। इस प्रकार मृतक का अन्त्यपरीक्षण नहीं कराया जा सका।
5. पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों को BMI किया गया, जो कि निर्धारित बिन्दु से कम पाया गया है।
6. पीड़ित परिवार को राशन कार्ड उपलब्ध नहीं था। बताया गया कि 5.6 माह पहले अगस्त 2019 में भूखल घांसी द्वारा राशन कार्ड हेतु आवेदन समर्पित किया गया था।
7. यह भी बतलाया गया कि मृतक को सामाजिक सुरक्षा के तहत भी पेंशन नहीं मिलता था।
8. निरीक्षण के क्रम में ग्रामीणों द्वारा जाँच दल को बताया गया कि कई योग्य लाभान्वित राशन कार्ड से वंचित है और कुछ अयोग्य श्रेणी के लोगों के पास राशन कार्ड उपलब्ध है जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा समय पर अनाज उपलब्ध नहीं किया जाता है और यदि कराया भी जाता है तो मात्रा से कम।
9. उपस्थित जनसमूह एवं मुखिया द्वारा बताया गया कि गाँव में लगभग 30 से 40 परिवार ऐसे हैं जो कार्ड पाने की योग्यता रखते हैं एवं पिछले वर्ष अगस्त माह में ही आवेदन किये हुए है, उन्हें अबतक राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया हैं।
10. आयोग की टीम ने करमा गाँव के मध्याह्न भोजन एवं आँगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया जो निम्न प्रकार है :–

(i) मध्याह्न भोजन

(ii) आंगनबाड़ी केन्द्र

1. आँगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों को दिया जाने वाला दोपहर को गर्म पकाया हुआ भोजन अक्टूबर 2019 से ही बन्द है।
2. तीन साल से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को दिया जाने वाला घर ले जाने हेतु तैयार राशन अक्टूबर 2019 से ही बन्द है।
3. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत अब तक सिर्फ 9 लाभुकों का ही रिकार्ड मिला। इनमें से किन्हीं को भी PMMVY की पूरी राशि नहीं मिली। उदाहरण स्वरूप प्रियंका कुमारी जिनका पंजीकरण 22.02.2018 को ही हुआ है, अब तक सिर्फ 3,000/–रू० ही मिले है। जबकि इन्हें PMMVY की पूरी रकम अधिकतम मार्च 2019 तक मिल जानी चाहिए। ज्ञातव्य हो कि करमा गाँव में 2017 से मार्च 2020 तक लगभग 20 से 30 महिलाएँ लाभुक होंगी। अर्थात इस गाँव में सबका पंजीकरण भी नहीं हुआ है।

4. आँगनबाड़ी केन्द्र में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार महिला पर्यवेक्षिका द्वारा केन्द्र का निरीक्षण एवं आँगनबाड़ी कर्मियों को सुझाव नगण्य हैं। अक्टूबर माह से महिला पर्यवेक्षिका द्वारा उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार एक बार भी भ्रमण नहीं किया गया है। अर्थात पर्यवेक्षण एवं समीक्षा इस स्तर पर बिल्कुल नहीं की गई है।

निष्कर्ष

1. मृतक भूखल घांसी को समय पर जनवितरण प्रणाली से राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हो पाया।
2. आँगनबाड़ी केन्द्र के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–1, 2 एवं 3 में प्रभावित सभी लाभुकों को राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 एवं खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम–2015 के नियम–6 के तहत खाद्य सुरक्षा भत्ता की गणना कर एवं सभी लाभुकों को भुगतान हो तथा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी बोकारो आयोग को 31 मार्च 2020 तक सूचित करें।

सुझाव :–

1. राज्य स्तर में अबतक हुए कथित मृत्यु के जाँचोपरान्त समान रूप से यह उभर कर आया कि मृतक को जनवितरण से राशन आपूर्ति नहीं हुआ था। ओर सामाजिक सुरक्षा का पेंशन बन्द पाया गया। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि पेंशन की राशि हर माह लाभुक के खाते में भेजना सुनिश्चित किया जाए और जनवितरण प्रणाली पर सतत् निगरानी रखने का निर्देश दिया जाय।
2. आयोग द्वारा पूर्व में दिये गए सुझाव के आलोक में उड़िसा एवं छत्तीसगढ़ के तर्ज पर जन वितरण प्रणाली का वितरण व्यवस्था पंचायत के हाथों में सौंपी जाय।
3. आँगनबाड़ी केन्द्र के सूचारू रूप से संचालन हेतु राज्य सरकार मध्याह्न भोजन के तर्ज पर अग्रिम राशि का प्रावधान सुनिश्चित करें।
4. आयोग के संज्ञान में यह पाया गया कि मानव संसाधन की कमी के कारण योजनाओं का अनुश्रवण एवं संचालन समय पर नहीं हो पा रहा है। अतः राज्य सरकार द्वारा स्थायी समाधान हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए।

अन्तर्राज्यीय भ्रमण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनिमय 2013 के अध्याय (7) के 16–6 (ग) के अनुसार राज्य खाद्य आयोग की मुख्य भूमिका राज्य सरकार को सलाह देना है। इस निमित्त आयोग के सदस्यों के द्वारा दूसरे राज्य जहाँ अच्छा कार्य हो रहा है। जाकर कार्य को देखा गया। एवं समय–समय पर राज्य सरकार को सलाह दी गई।

महाराष्ट्र

खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों राज्य के बाहर के राज्यों का भ्रमण एवं उससे प्राप्त सुझाव :–

1. महाराष्ट्र में महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सचिव के सहयोग के लिए 2 भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी 1 आयुक्त (बाल विकास परियोजना) 2 आयुक्त (महिला एवं बाल कल्याण) है।

आयुक्त (महिला एवं बाल कल्याण) के तहत् तीन सहायक आयुक्त है।

1. सहायक आयुक्त पोषण, 2. सहायक आयुक्त प्रशासन, 3. सहायक आयुक्त ट्रेनिंग

आयुक्त (महिला एवं बाल कल्याण) मुख्य रूप से महिलाओं एवं बच्चों के संबंध में विभिन्न अधिनियम को लागू करने का कार्य करते है। सचिवालय स्तर की यह संरचना बहुत ही उपयुक्त है। झारखण्ड सरकार द्वारा इस प्रकार की संरचना बनायी जा सकती है।

1. मुम्बई में आँगनबाड़ी केन्द्रों में गर्म पका हुआ भोजन बनाने की व्यवस्था को out source किया गया है। गुणवत्ता की जाँच हेतु प्रत्येक तीन माह में एक बार CDPO द्वारा सैंपल एकत्र कर सूचीबद्ध प्रयोगशाला को भेजा जाता है। जाँच का खर्च 200रू0 हैं। जिसका भुगतान संबधित संस्था द्वारा किया जाता है। आँगनबाड़ी केन्द्रों पर व्यवस्था काफी सराहनीय थी।

2. महाराष्ट्र राज्य में खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु इस प्रकार के 5O NABL लैब है। ये सभी निजी क्षेत्र के लैब हैं। झारखण्ड में एक भी NABL निजी क्षेत्र के नहीं हैं। निजी क्षेत्र के लैब बनने की संभावना झारखण्ड में है।
3. महाराष्ट्र में TISS से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–29 के अन्तगर्त सोशल ऑडिट की प्रक्रियाओं पर विमर्श किया गया। TISS के द्वारा ही MANREGA के लिए सोशल ऑडिट की प्रक्रिया विकसित की गई है। TISS के सहयोग से राज्य खाद्य आयोग भी सोशल ऑडिट की प्रक्रिया निर्धारित करने की कारवाई कर सकता है।
4. झारखण्ड की स्थिति उत्तर प्रदेश और बिहार से काफी अच्छी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के बाहरी क्षेत्रों में सिर्फ E-Posh मशीन का प्रयोग होता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्टर पर ही अंकित किया जाता है।
5. प0 बंगाल में जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्तर के दो पदाधिकारी पोषाहार के लिए पदस्थापित हैं। एक पदाधिकारी पोषाहार का कार्य देखता है जिसमें व्यवस्था अच्छी पाई गई।

दिनांक– 20.08.2019, गुजरात

भ्रमण के दौरान गुजरात सरकार के द्वारा मजबूत संस्थागत ढांचे के माध्यम से संचालित जनवितरण प्रणाली एवं पंडित दीनदयाल ग्राहक भंडार के बारे में समझ विकसित की गई।

भ्रमण स्थलः– 1. पंडित दीनदयाल ग्राहक भंडार, ग्राम जसपुर, जिला गंधीनगर, दुकान संचालकः–श्री अमृत प्रजापति।

भ्रमण स्थलः– 2. पंडित दीनदयाल ग्राहक भण्डार, अहमदाबाद, संचालिका– श्रीमती प्रज्ञा शांति लाल शाह।

भ्रमण स्थलः– 3. गुजरात राज्य खाद्य आयोग का कार्यालय, गांधीनगर।

अध्यक्ष श्री अमृत पटेल, मा0 सदस्य श्री नीतिन भाई शाह एवं सदस्य सचिव श्री नरमावला जी।

- जनवितरण सामग्री के अतिरिक्त (Common Service Centre) जन सुविधा केन्द्र का संचालन, जिसमें 140 सेवाएँ जुड़ी है। स्वास्थ्य सुविधा, Telemedicine के माध्यम से, Sanitary Pad, LED Bulb, Computer Course tertiary centre

पंडित दीनदयाल ग्राहक भण्डार की निम्नलिखित विशेषताएँ हैः–

1. जनवितरण प्रणाली की पूरी व्यवस्था/रिकार्ड आदि Online है/ सारा लेन–देन, बिल का भुगतान Computerised है। Finger Print Match नहीं होने पर Manual Entry की व्यवस्था है। राशन वितरण का मिलान स्टॉक के साथ प्रतिदिन एवं प्रति माह आवश्यक रूप से होता है। अगर मिलान में गड़बड़ी हुई तो 25 हजार से 1 लाख तक का दण्ड का प्रावधान है।
2. राज्य में State portability लागू है। लाभुक किसी भी दुकान से राशन ले सकते हैं। दुकान में सभी लाभुकों का Mobile link है। जिसमें तत्काल उनके द्वारा उठाये गए राशन और भुगतान संबंधित Message अनाज की मात्रा और दर, रकम के साथ चला जाता है। इसमें लाभुकों का बैंक अकाऊंट भी लिंक्ड है।
3. दुकान के बाहर दिवाल में Oil Painting से राज्य खाद्य सुरक्षा कानून के संबंध में Poster, शिकायत निवारण संबंधी टॉल फ्री नंबर Toll Free Number, जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी और राज्य खाद्य आयोग का पूर्ण विवरण, मोबाइल नं0, पता और ई–मेल आईडी के साथ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है।
4. CSC के माध्यम से निम्न सेवाएँ दी जाती हैः–
   1. E-Stamp 2. Railway-Air ticket की बिक्री 3. Notary Service और Affidavit
   4. Bank Services जिसमें बैंक को खाता खोलने की प्रक्रिया को प्रारंभ करना Housing Loan की Processing करना, दो और चार चक्के के वाहनों की Financing, Insurance आदि सेवाएँ प्रमुख है।

2.3 प्रचार–प्रसार

(i) कार्यशाला

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के कार्य एवं शक्तियों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाना है। इस निमित्त आयोग के द्वारा विभिन्न Stakeholders के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् आने वाले विषयों पर विभिन्न जिलों एवं राज्य स्तर पर कार्यशाला सेमिनार का आयोजन किया गया।

राज्य खाद्य आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला

क्र0 सं0	दिनांक	स्थान/जिला	विषय/विवरण
1.	30.07.2018	लोहरदगा	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के संबंध में जागरूकता एवं क्रियान्वयन में संबंधित विभागों की भूमिका।
2.	19.09.2018	दुमका	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 जागरूकता कार्यशाला।
3.	27.12.2018	नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची	कुपोषण के निवारण हेतु।
4.	21.01.2019	राँची नगर निगम, कचहरी	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के क्रियान्वयन में पार्षदों की भूमिका।
5.	17.06.2019–18.06.2019	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलूरू	सिविल प्रोसेडयोर कोड, 1908 एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013।
6.	26.07.2019	नेपाल हाउस	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के क्रियान्वयन में स्वयं सेवी संस्थओं की भूमिका
7.	18.07.2019	चाईबासा	
8.	07.08.2019–09.08.2019	केजरीवाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस, पिन्डरकोम, नामकुम, राँची	नामकुम प्रखण्ड के मुखियागण का प्रशिक्षण–सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम।
9.	26.10.2019	दुमका	कुपोषण से सुपोषण की ओर (किशोरियों एवं युवतियों का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण)।

1. **स्थान :–** लोहरदगा

   दिनांक :– 04.07.2018

   विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबंध में जागरूकता एवं क्रियान्वयन में संबंधित विभागों की भूमिका।

आयोग द्वारा लोहरदगा में खाद्य सुरक्षा कानून 2013 से सम्बंधित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पहले सत्र में श्री हलधर महतो के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून–2013, कानून की मुख्य बातों पर प्रकाश डाला गया, इस कानून के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं एवं हकदारियों पर प्रस्तुति की गई। डॉ. रंजना कुमारी के द्वारा कुपोषण, महिला सशक्तिकरण आँगनबाड़ी केन्द पर मिलने वाली सुविधाएँ एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में जानकारी दी गई। सदस्य श्री रामकरण रंजन एवं श्री उपेन्द्र नारायण उरांव के द्वारा सतर्कता एवं निगरानी समितियों की भूमिका, जिम्मेदारियाँ एवं प्रक्रिया, जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी की भूमिका एवं प्रक्रिया और राज्य खाद्य आयोग की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। इसके पश्चात एक खुले सत्र का आयोजन किया गया। कार्यशाला के अगले सत्र में

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को जिले में मजबूत करने के लिए आगे की रणनीति पर DGRO (जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी), खरसावाँ ने अपने विचार रखें।

- प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर कार्यशालाएँ
- प्रखण्ड स्तर पर शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था,
- जिले में सभी जगह से प्राप्त शिकायतों के Tracking की व्यवस्था
- सतर्कता एवं निगरानी समितियों कि क्रियाशील किया जाना।
- आयोग्य राशन कार्ड को जमा/Surrender करने के लिये अपील, तथा
- सिटीजन चार्टर की कण्डिका–7 का उपयोग करते हुए अयोग्य कार्डधारियों द्वारा धोखाधड़ी किये जाने की स्थिति में दण्डात्मक प्रावधान का अनुपालन और प्रखण्ड स्तर पर नया नाम जोड़ना/हटाना, आवेदन ऑनलाईन करवाने की व्यवस्था, आदि चर्चा के मुख्य बिंदु थे।

कार्यशाला का समापन उपायुक्त, लोहरदगा के संबोधन से हुआ।

2. **स्थानः–** दुमका प्रमंडल

दिनांकः– 19.09.2018

विषयः– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जागरूकता कार्यशाला

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम– 2013 के क्रियान्वयन के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसे संथाल परगना प्रमण्डल में आयोजित किया गया। कार्यशाला में श्री हलधर महतो, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा के लिये विभिन्न उपबंधों पर प्रस्तुतीकरण (Presentation) किया गया। दूसरे सत्र में श्री रामकरण रंजन, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची, द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्य करने के लिए गठित सतर्कता समितियों के गठन, कृत्य एवं जवाबदेही पर चर्चा की गयी। श्री उपेन्द्र नारायण उरांव, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची ने शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना और उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात डॉ (श्रीमती) रंजना कुमारी, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत बालकों/गर्भवती स्त्रियों/धातृ माताओं को पोषाहार एवं कुपोषण निवारण के विषय पर चर्चा की। जिला में खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत भिन्न–भिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय प्राधिकारी के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व तथा सुझाव विषय पर उपायुक्त, दुमका, देवघर, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के क्रियान्वयन के संबंध में जिला को मार्गदर्शन एवं सुझाव दिए, कार्यशाला का समापन श्री सुधीर प्रसाद, अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची के संबोधन से हुआ।

3. **स्थान :–** नेपाल हाउस, डोरण्डा, रांची

दिनांक :– 27.12.2018

विषय :– कुपोषण के निवारण हेतु।

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के द्वारा कुपोषण ग्रसित जिलों से आए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारियों के साथ कुपोषण निवारण हेतु नवाचारी प्रयासों पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला की अध्यक्षता श्री आर0सी0 सिंह, पूर्व परामर्शी, झारखण्ड सरकार, सम्प्रति परामर्शी भूतल परिवहन मांगलय, भारत सरकार के द्वारा की गई।

- सर्वप्रथम झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की भूमिका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के संबंध में जानकारी दी गई।
- विभिन्न जिलों से आए अधिकारीगण ने कुपोषण की वस्तुस्थिति प्रस्तुत की। इन्होंने Stunting, wasting और under-nutrition से ग्रसित बच्चों के संबंध में जानकारी दी।

- कुपोषण उपचार केन्द्र के occupancy rate बढ़ाने, Multi sectoral approach, block operational plan, State level convergence एवं समुदाय में खान–पान में व्यवहारगत परिवर्तन आवश्यकता, स्थानीय खाद्य सामग्रियों के व्यवहार के बारे में विशेष चर्चा की गई।
- सरकार के द्वारा संचालित कार्यक्रम में गुणात्मक सुधार एवं Nutrition mission की भूमिका पर चर्चा की गई।
- Nutrition mission के निदेशक द्वारा कार्यक्रम के Monitoring के लिए template का निर्माण, Nutrition Alliance, तकनीकि सहयोग के लिए resource group एवं IYCF के संबंध में जानकारी दी गई।
- जिला खनिज कोष का उपयोग, कुपोषण निवारण के कार्य, और मलेरिया उन्मूलन (उड़ीसा में संचालित) कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस की गई।
- श्री आर0सी0 सिंहा जी के द्वारा कुपोषण के कारकों, यथा– जाति, बाल विवाह, शुद्ध पेयजल एवं शौचालय का आभाव, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव, सरकारी कार्यक्रमों का कमजोर क्रियान्वयन, आदि के संबंध में प्रकाश डाला गया एवं क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न साझेदारों को एक साथ मंच पर लाकर अभियान के रूप में कार्य करने की आवश्यकता के संबंध में कहा गया।

4. **स्थान :–** रांची नगर निगम, कचहरी चौक

दिनांक :– 21.01.2019

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के क्रियान्वयन में पार्षदों की भूमिका।

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में रांची नगर निगम सभागार में आयोजित पार्षदों का उन्मुखीकरण कार्यशाला संपन्न हुआ जिसमें वार्ड पार्षद सम्मिलित हुए। निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुईः–

- किसी भी व्यक्ति की मौत भूख से न हो एवं कुपोषण को दूर करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 का गठन किया गया है। प्रचार की कमी के कारण जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में शिकायतें कम आ रही हैं। इसके लिये पर्याप्त प्रचार करने की आवश्यकता है।
- डॉ0 (श्रीमती) रंजना कुमारी, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून–2013 के अन्तर्गत प्रचार एवं अनुपालन करने की आवश्यकता है।
- विद्यालयों में दी जा रही मध्याह्न भोजन की निगरानी करना पार्षदों की जिम्मेवारी हैं। वैसे बच्चे जो उस क्षेत्र में कुपोषित/अति कुपोषित हैं, उनका चयन कर उन्हें MTC केन्द्र में भर्त्ती कराना निगरानी समिति का कार्य है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून–2013 की धारा–14 के अन्तर्गत शिकायत दर्ज कराने हेतु विभाग के टोल फ्री0 नंबर–18002125512, ई मेल– pgms@dfcajharkhad.in पर सम्पर्क किया जा सकता है। प्रत्येक जनवितरण प्रणाली दुकान में अभिलेख होना सुनिश्चित करें।
- निगरानी समिति की बैठक प्रत्येक माह की जाय एवं बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें। समाज कल्याण विभाग/MDM/शिक्षा विभाग एवं खाद्य आपूर्ति विभाग, जन वितरण एवं आँगनबाड़ी से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराएँ। आंगनबाड़ी सेविका को बुलाकर जानकारी लें। योजनाओं की जानकारी के लिये एक संक्षिप्त विवरण बना लें। संबंधित शिकायत को बैठक में रखें एवं उसे स्थानीय स्तर पर निपटाने की कोशिश करें।
- बी0एन0ओ0 का पद सृजित करने की आवश्यकता है।
- आंगनबाड़ी केन्द्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून क्रियान्वित करने वाली संस्था हैं। आकस्मिक कोष से 10 कि0ग्रा0 अनाज देने का प्रवधान है। इसका वाउचर बाजार समिति के दर से दिया जाना है।

5. **स्थान :–** अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलूरू।

दिनांक :– 17 एवं 18 जून 2019

विषय :– सिविल प्रोसेडयोर कोड, 1908 एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून–2013।

प्रतिभागीः– इसमें केरल, झारखण्ड, कर्नाटक और महाराष्ट्र के राज्य खाद्य आयोग के सदस्य एवं सदस्य सचिवों ने भाग लिया। झारखण्ड से सदस्य श्री उपेन्द्र उराँव एवं श्री हलधर महतो ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त निरमा विश्वविद्यालय, आनंद हिद्यातुल्ला लॉ विश्वविद्यालय, रायपुर जेसस एंड मेरी कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया।

विषय वस्तुः– 1. Inquire into violations of entitlements provided under Chapter II of NFSA, 2013 suo moto or on receipt of complaints, Guidelines for levying penalty under section-33 of NFSA, 2013, Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath पर चर्चा हुई।

चर्चा के पश्चात् निम्नलिखित बिन्दु निकल कर आएः–

- केन्द्र सरकार के द्वारा मानक नियमों का निर्माण हो क्योंकि अधिनियम प्रभावी बनाने में मानक नियम बहुत अहम होते हैं। राज्य खाद्य आयोगों द्वारा राज्य सरकार को मानक नियम बनाने के लिए दबाव देने की आवश्यकता है। ताकि पूरे देश के सभी राज्यों में समानता रहे। आवश्यकतानुसार नियमों में संशोधन भी किया जा सकता है।
- आयोग के सदस्यों ने सुझाव दिया कि CCL, NLSIU बैंगलुरू इन नियमों को बनाने के सहायता करें एवं इसे केन्द्र सरकार को भेजा जाय ताकि इन्हे अंगीकार किया जा सके।

6. **स्थान :–** नेपाल हाऊस

दिनांक :– 26.07.2019

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के क्रियान्वयन में स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका।

यह कार्यशाला CCL, (NLSIU) बैंगलुरू के सहयोग से झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा आयोजित की गयी। इसमें राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के साथ NLSIU, बैंगलुरू की डॉ0 नीतु शर्मा एवं NUSRC, रांची के प्रतिनिधि भी शामिल हुए तथा इनके अलावा 38 स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी इसमें सम्मिलित हुए।

इसमें मुख्य रूप से निम्न विषय–वस्तुओं पर चर्चा हुई :–

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबंध में स्पष्टता।
- अधिनियम के तहत विभिन्न हकदारियां एवं अन्य कल्याणकारी योजनाएं।
- अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण प्रक्रिया।
- जमीनी स्तर पर कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी एवं उनका प्रभाव।

योजनाओं की जानकारी एवं क्षेत्र में संचालित केन्द्र/योजनाओं तथा आंगनबाड़ी केन्द्र, मध्याह्न भोजन, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना एवं जनवितरण केन्द्र की वस्तुस्थिति के संबंध में चर्चा की गई।

- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग को भी सशक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए।
- आयोग को स्वायत्त इकाई की तरह कार्य करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
- आयोग का स्वतंत्र बैंक एकाउंट एवं बजट का प्रावधान हो और स्वतंत्र जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी भी हो।
- स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा कोई न कोई पंचायत गोद लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग, प्रचार–प्रसार एवं शिकायत करने की प्रक्रिया में लाभुकों को सहयोग दिए जाने की आवश्यकता है।
- शिकायत दर्ज करने में प्रज्ञा केन्द्र का उपयोग, निगरानी समिति की बैठक कराना। सामाजिक अंकेक्षण एवं जमीनी स्तर पर शोध एवं अध्ययन करने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका तय करना।
- अधिनियम के कंडिका 6–7 के तहत् मुआवजा भत्ता के प्रावधान से लाभुकों को लाभ मिल सके।
- NUSRC, रांची द्वारा अधिनियम के राज्य में क्रियान्वयन हेतु नियमावली बनाई जाए। भविष्य में भी बैठक आयोजित की जाती रहने की सहमति बनी।

7. **स्थान :–** चाईबासा

दिनांक :– 18.07.2019

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में दिनांक–18.07.2019 को श्रीमती जिंगी हाइबुरू एवं चार अन्य शिकायत कर्ताओं की शिकायत पर सुनवाई प्रारंभ हुई, जिसमें यह शिकायत की गई थी कि 30.02.2018 से जून 2018 तक कुल पांच माह का राशन उन्हें नहीं मिला है। दुकानदार एवं संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को भी सुनवाई में बुलाया गया था। सुनवाई के दिन शिकायतकर्ता उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि नोटिस जाने के बाद डीलर ने उन्हें पांच माह का राशन उपलब्ध करा दिया था। जन वितरण प्रणाली दुकानदार उपस्थित नहीं थे, इस कारण उनका पक्ष नहीं सुना जा सका। डीलर पर आगे की कार्रवाई का निर्णय जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी अगली सुनवाई में करेंगे। तत्पश्चात बाईपी गांव की शिकायत के संबंध में चर्चा हुई एवं इस केस की सुनवाई की तिथि निश्चित की गई। शिकायत कर्ताओं की अधिकतम संख्या को देखते हुए आयोग ने जिला स्तर पर ही इस केस की सुनवाई हेतु निर्णय लिया।सुनवाई के उपरांत जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति के सदस्य, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन के साथ बैठक कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की बारीकियों से अवगत कराया गया। उसके बाद मध्याह्न भोजन योजना एवं आंगनबाड़ी केंद्र से दिए जाने वाले गर्म पके हुए भोजन की स्थिति की समीक्षा की गई एवं उसमें सुधार हेतु आवश्यक सुझाव दिए गए।

8. **स्थान :–** केजरीवाल इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलोजी साइंस, पिन्डरकोम, नामकुम राँची।

दिनांक :– 07.08.2019 से 09.08.2019

विषय :– नामकुम प्रखण्ड के मुखियागण का प्रशिक्षण–सह–उन्मुखीकरण कार्यक्रम।

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा रांची जिला के नामकुम प्रखण्ड के 15 पंचायतों के मुखिया एवं शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास पदाधिकारियों सहित कुल–21 प्रतिभागियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 पर दो दिवसीय प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गईः–

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–3, 4, 5 एवं 6 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा की उपबंध/हकदारियों के बारे में जानकारी दी गई है। इसके साथ खाद्यान्न नहीं मिलने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता के संबंध में बताया गया।
- शिकायत निवारण तंत्र, विभागीय पोर्टल (PGMS) और आयोग के वेबसाईट (www.jharkhandsfc.in)/ टोल फ्री नं0 (18002125512) पर शिकायत के संबंध में भी जानकारी दी गई।
- इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण और अधिनियम कि धारा–3, 4, 5 एवं 6 के अन्तर्गत पोषण सुनिश्चित कराने के प्रावधानों के संबंध में चर्चा की गयी।
- मुखिया की भूमिका, शिकायत की प्रक्रिया, टोल फ्री न0–18002125512 और ईमेल–pgms@dfcajharkhand.in के संबंध में भी बताया गया।
- सतर्कता समिति को सशक्त बनाने और मासिक बैठक नियमित करने के संबंध में जानकारी दी गई।

समूहों को 3 उपसमूहों में विभक्त कर समूह चर्चा विभिन्न विषयों पर हुई इसके लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मध्याह्न भोजन एवं जनवितरण केन्द्र, निगरानी/सतर्कता समिति विषय आबंटित किया गया। समूह चर्चा Participatory रहा एवं समूह के द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया, जिससे एक सकरात्मक वातावरण बना और सभी उपस्थित लोगों को पूरी जानकारी प्राप्त हुई।

9. **स्थान :–** दुमका

दिनांक :– 26.10.2019

विषय :– कुपोषण से सुपोषण की ओर (किशोरियों एवं युवतियों का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के तहत किशोरियों को समग्र रूप से सशक्त करने हेतु तेजस्विनी परियोजना झारखण्ड सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। जिसके तहत दुमका में किशोरियों का सम्मेलन दिनांक–26 अक्टूबर 2019 को किया गया। जिसमें दुमका जिला के 10 हजार किशोरियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती लुईस मरांडी, तेजस्वी परियोजना के निदेशक, श्री डी.के. सक्सेना जी एवं समाज कल्याण विभाग के जिला स्तर के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। इसमें आयोग के सदस्य डा0 रंजना कुमारी द्वारा राज्य खाद्य आयोग की भूमिका एवं प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना, महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम के संबंध में जानकरी दी गई।

इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर बात हुईः–

- किशोरियों के लिए जीवन कौशल शिक्षा एवं महत्व।
- किशोरियों का पालन एवं रोजगार की आवश्यकता।
- किशोरियों में कुपोषण एवं इसे दूर करने हेतु स्थानीय भोजन/सामान्य व्यवहार गत विषयों पर चर्चा।
- किशोरियों के विकास हेतु संचालित किये जा रहे सरकारी कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं इसके तहत आने वाले विभागों एवं उनके क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी दी गई।

इस कार्यक्रम के दौरान आयेाग के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं संबंधित पम्पलेट का भी वितरण राज्य खाद्य आयोग के द्वारा किया गया।

(ii) प्रकाशन/विज्ञापन

1. पत्रांक :– रा0खा0आ0 (समाचार पत्र) 13/2017–12 दिनांक–28.01.2020 के माध्यम से स्थानीय अखबारों में आम–सूचना प्रकाशित किया गया जिसमें स्वयं सेवी संस्थाओं/राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में ग्रामीण अथवा बाहरी क्षेत्र में संविदा पर कार्य करने वाले अथवा विभिन्न क्षेत्र से सेवानिवृत आधिकारी, कर्मचारी/गृहिणी/छात्र/छात्राओं को कार्य करने हेतु आमंत्रित किया गया।
2. विज्ञापन संख्या :– 1, दिनांक–26.02.2019 के माध्यम से झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग कार्यालय के स्थायी पता, जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के संबंध में जानकारी प्रकाशित की गई।
3. विज्ञापन संख्या :– 4, दिनांक–21.06.2019 के माध्यम से झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019 के नियम 4(iii) के अनुसार पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ (गुलाबी) या अन्त्योदय अन्न योजना–AAY (पीला) श्रेणी के राशन कार्ड प्राप्त करने की अयोग्यता प्रकाशित की गई।
4. विज्ञापन संख्या :– 6, दिनांक–01.08.2019 के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत मध्याह्न भोजन योजना, इसके प्रावधान, कानून के उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई प्रकाशित की गई।
5. विज्ञापन संख्या :– 3, दिनांक 17.01.2020 के माध्यम से Expression of Interest प्रकाशित किया गया जिसमें इच्छुक व्यक्तियों/संस्थान/विश्वविद्यालय जो राज्य खाद्य आयोग से जुड़कर कार्य करना चाहते हैं का विवरणी की माँग की गई।

2.4 पारदर्शिता/अंकरूपण/सरलीकरण हेतु किए गए कार्य

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अध्याय–11 (पारदर्शिता और जवाबदेही) के कंडिका–27, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों के प्रकटीकरण का अनुपालन करने हेतुः–

- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के द्वारा वेबसाईट www.jharkhandsfc.in का निर्माण किया गया है एवं वेबसाईट के माध्यम से शिकायतों को दर्ज करने का प्रावधान किया गया।
- कार्य के सरलीकरण हेतु एवं पंचायतों में संचालित प्रज्ञा केन्द्रों के माध्यम से आयोग के नोटिस को

निर्गत किए जाने का प्रावधान किया गया।

- अधिक से अधिक मामलों की सुनवाई हो सके एवं शिकायत कर्ता को आवाजाही की परेशानी न हो इस उद्देश्य से शिकायतों की सुनवाई विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से करायी जा रही है।
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मोबाइल ऐप के संबंध में दिनांकः– 29.05.2018 को बैठक की गई ताकि ऐप का निर्माण किया जा सके यह प्रक्रियाधीन है।
- जन वितरण प्रणाली के शिकायत निवारण प्रबंधन पत्र का झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के द्वारा अनुश्रवण किया जाना।
- आहार पोर्टल के आँकड़ों को देखने की अवधि 2 माह तक की ही थी। इसे बढ़ाकर 6 माह तक किया गया। जिसका अध्ययन आयोग लगातार करता है।
- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग पर राज्य एवं जिला द्वारा प्राप्त शिकायतें, आदेश, नियमावली, प्रत्येक संबंधित कागजात झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के वेबसाईट– www.jharkhandsfc.in पर सबो के अवलोकन के लिए उपलब्ध है।
- शिकायत करने की प्रक्रिया सरल हो इस निमित्त आयोग के द्वारा प्रपत्र का निर्माण करके वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया है।
- आयोग ने अब तक 1200 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का सामाजिक अंकेक्षण करवाया है। आयोग इससे संबंधित सुनवाई और कार्रवाइयों में भी मदद करता रहा है।
- आयोग ने समस्त अपीलों एवं शिकायतों संबंधित विवरणी एवं उसकी सुनवाई की तिथियों निर्णय इत्यादि की सूचनाओं व दस्तावेजों को बेवसाइट के माध्यम से सार्वजनिक किया है एवं निरंतर इसे अद्यतन किया जाता रहता है।

स्वस्थ माँ - स्वस्थ बच्चा

कार्यशाला / सेमिनार / प्रशिक्षण

दिनांक-27.12.2018 को कुपोषण निवारण हेतु बैठक।

दिनांक-07.08.2019 को नामकुम प्रखण्ड के मुखियागण के साथ प्रशिक्षण सह उन्मुखिकरण कार्यक्रम।

दिनांक-26.07.2019 को CCL NLSIU Bangalore के सहयोग से NFSA के क्रियान्वयन में स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका पर कार्यशाला।

दिनांक-25.01.2019 कुपोषण पर विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक

अध्याय-3

खाद्य सुरक्षा संबंधी शिकायतों का निबटारा

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् राज्य खाद्य आयोग के कार्य एवं शक्तियों में उसे जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपील की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है, एवं वे सभी शक्तियाँ प्राप्त है जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का निवारण करते समय सिविल न्यायालय की होती है।)

3.1 कोर्ट/सुनवाई (वाद के निवारण – न्यायालय के माध्यम से)

क्रम संख्या	वाद संख्या	विवरणी
1.	4/2018	• **वादी प्रतिवादी–** इफ्तेखार मोहमूद VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो। • **केस का प्रकार–** जनवितरण प्रणाली से संबंधित। • **क्षेत्र–** बोकारो • **सुनवाई की तिथियाँ–** दिनांकः–26.02.2018, 23.03.2018, 03.05.2018, 12.06.2018, 17.07.2018, 18.08.2018 को सुनवाई की गई, जिसके उपरान्त दिनांक 18.02.2020 को आदेश पारित किया गया। • **पारित आदेश–** PH कार्ड योग्यता धारी को राशन कार्ड उपलब्ध कराने संबंधित प्राप्त शिकायत के मामले में दिनांक 18.08.2018 को आयोग द्वारा तत्काल छानबीन कर PH अंत्योदय कार्ड उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। • **लाभांवित परिवारों की संख्या–** 27 परिवार
2.	5/2018	• **वादी प्रतिवादी–** इफ्तेखार महमूद VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो। • **केस का प्रकार–** जनवितरण प्रणाली राशन कार्ड निर्गत करने के संबंध में। • **क्षेत्र–** बोकारो • **सुनवाई की तिथियाँ–** दिनांकः–26.02.2018, 23.03.2018, 12.06.2018, 22.01.2020, 18.02.2020 • **पारित आदेश–** दिनांक 18.02.2020 को योग्य अभ्यार्थियों को राशन कार्ड निर्गत करने का आदेश दिया गया। जिसके आलोक में DSO बोकरो द्वारा 7 आयोग्य कार्ड धारियों का राशन कार्ड रद्द किया गया एवं 8 कार्ड issue किया गया। • **लाभांवित परिवारों की संख्या–** 24 परिवार
3.	6/2018	• **वादी प्रतिवादी–** घाना मिंज VS जिला/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, राँची। • **केस का प्रकार–** जनवितरण प्रणाली • **क्षेत्र–** राँची • **सुनवाई की तिथियाँ–** दिनांकः–14.06.18, 21.06.2018, 02.07.2018, 12.07.2018, 15.07.2018 • **पारित आदेश–** अपिलकर्ता धाना मिंज द्वारा परिवार के अन्य लोगों का नाम राशन कार्ड में जोड़ने संबंधित शिकायत के मामले में आयोग द्वारा दिये गए आदेश के अवलोकन कार्रवाई हो जाने के उपरांत मामले को संबंधित किया गया। • **लाभांवित परिवारों की संख्या–** 01 परिवार

क्रम संख्या	वाद संख्या	विवरणी
4.	7/2018	• **वादी प्रतिवादी–** श्रीमती दीप्ती शरण VS कमला प्रेस, पलामू। • **केस का प्रकार–** जनवितरण प्रणाली • **क्षेत्र–** पलामू • **सुनवाई की तिथियाँ–** दिनांकः– 09.07.2018, 2707.2018, 08.08.2018, 29.08.2018, 10.09.2018 • **पारित आदेश–** कमला प्रेस पलामू के मालिक के पास डिटेल कार्ड होने संबंधित मामले कि सुनवाई की गई, जिसमें उनका राशन कार्ड रद्द किये जाने का आदेश दिया गया। • **लाभांवित परिवारों की संख्या–** 01 परिवार
5.	8/2018	• **वादी प्रतिवादी–** लालती देवी VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी • **केस का प्रकार–** जनवितरण प्रणाली • **क्षेत्र–** राँची • **सुनवाई की तिथियाँ–** दिनांकः– 29.08.2018, 07.09.2018, 24.09.2018, 08.10.2018, 23.10.2018 • **पारित आदेश–** राशन कार्ड में परिवार के लोगों का नाम अंकित कराने का आदेश दिया गया। आयोग के आदेशानुसार DSO रांची द्वारा परिवार के अन्य लोगों के नाम साथ जोड़ने की कार्रवाई की गई। • **लाभांवित परिवारों की संख्या–** 07 परिवार
6.	9/2018	• **वादी प्रतिवादी–** इफ्तेखार मोहमूद VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो। • **केस का प्रकार–** जनवितरण प्रणाली वाद संख्या (4/2018 में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण धारा 33 के तहत् सुनवाई)। • **क्षेत्र–** बोकारो • **सुनवाई की तिथियाँ–** दिनांकः– 14.12.2018, 02.01.2019, 22.01.2019, 26.02.2019, 12.03.2019, 16.05.2019, 05.07.2019 • **पारित आदेश–** दि0–05.07.19 को सुनवाई के मामले में योग्य लाभुकों के राशन कार्ड निर्गत करने का आदेश दिया गया जिसके फलस्वरूप DSO, बोकारो द्वारा कुल–63 लाभुकों को राशन कार्ड निर्गत किया गया एवं 78 अयोग्य कार्डधारियों को राशन कार्ड रद्द कर दिया गया। • **लाभांवित परिवारों की संख्या–** 141 परिवार
7.	10/2019	• **वादी प्रतिवादी–** लालो देवी VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू। • **केस का प्रकार–** जनवितरण प्रणाली • **क्षेत्र–** पलामू • **सुनवाई की तिथियाँ–** दिनांकः–26.04.2019, 15.05.2019, 04.06.2019 • **पारित आदेश–** अंत्योदय को निर्गत करने हेतु शिकायत के मामले में सुनवाई कि गई जिसमें आयोग द्वारा दिये गए आदेश का आलोकन प्रखण्ड पदा0 द्वारा अंत्योदय का निर्गत करा दिया गया। • **लाभांवित परिवारों की संख्या–** 01 परिवार

क्रम संख्या	वाद संख्या	विवरणी
8.	11/2019	• **वादी प्रतिवादी–** नसीम गद्दी VS सचिव, महिला बाल विकास एवं खाद्य सुरक्षा विभाग। • **केस का प्रकार–** सामेकित बाल विकास कार्यक्रम • **क्षेत्र–** राँची सदर • **सुनवाई की तिथियाँ–** दिनांकः–14.05.2019, 11.6.2019, 25.06.2019, 17.07.2019, 30.07.2019, 20.08.2019, 28.08.2019, 27.09.2019, 06.11.2019, 06.01.2020, 21.01.2020, 10.02.2020, 18.02.2020 • **पारित आदेश–** राँची सदर क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिये जाने वाले पोषाहार बंद रहने संबंधित शिकायत पर दिनांक–18.02.2020 को आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपस्थित बच्चों के बीच लगभग रू0 93 लाख खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान करने का आदेश पारित किया गया। • **लाभांवित बच्चों की संख्या–** अप्रैल 2018 से जून 2018 = 8500 बच्चे जुलाई से सितंबर 2018 = 7901 बच्चे अक्टूबर से दिसंबर 2018 = 2348 बच्चे जनवरी से मार्च 2019 = 4557 बच्चे अप्रैल 2019 जून 2019 = 8065 बच्चे।
9.	12/2019	• **वादी प्रतिवादी–** श्री नील कूजूर, मुखिया, मूरतो पंचायत, बेड़ो प्रखण्ड, राँची VS श्रीमती जीताईन उराईन, पति श्री दुर्गा कुजूर, राशन दुकानदार, चचकोंपी, मुरतो पंचायत बेड़ो राँची। • **केस का प्रकार–** जनवितरण प्रणाली • **क्षेत्र–** बेड़ो, राँची • **सुनवाई की तिथियाँ–** दिनांकः–14.05.2019, 28.05.2019, 11.06.2019, 25.06.2019, 16.07.2019, 24.09.2019, 16.10.2019, 30.10.2019 • **पारित आदेश–** श्री नेलसन कुजूर, मुखिया, मूर्तो पंचायत द्वारा रजी जिताइन उराईन, राशन डीलर पंचायत मूर्तो के अवैध रूप से 100–100 रू0 लेकर राशन कार्ड बनाने संबंधी मामले में सुनवाई करते हुए सभी से ली गई राशि वापस कराने का आदेश पारित किया गया। जिसके आलोक में अंचल अधिकारी बेड़ो रांची द्वारा अनुपालन कराया गया। • **लाभांवित परिवारों की संख्या–** 04 परिवार
10.	13/2019	• **वादी प्रतिवादी–** स्वतः संज्ञान VS जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी प0 सिंहभूम • **केस का प्रकार–** समेकित बाल विकास परियोजना • **क्षेत्र–** प0 सिंहभूम • **सुनवाई की तिथियाँ–** दिनांकः–24.06.2019, 23.07.2019, 06.08.2019, 13.08.2019, 20.08.2019, 28.08.2019, 12.09.2019, 27.09.2019, 06.11.2019, 08.01.2020 • **पारित आदेश–** प0 सिंहभूम जिला में आयोग के माननिय सदस्यों के भ्रमण के दौरान पाई गयी अनियमितताओं के संबंध मेंः–1 आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिये जाने वाले पोषाहार जुलाई

क्रम संख्या	वाद संख्या	विवरणी
	13/2019	2018 से दिसंबर 2018 तक बंद रहने संबंधित मामले में कुल 4982 गर्भवती महिलाओं, 6789 धातृ माता एवं 36278 बच्चों के बीच कुल रू0 43701336 (चार करोड़ सैंतीस लाख तेरह सौ बत्तीस) का खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान करने का आदेश पारित किया गया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोनसेया के कुल–121 बच्चों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की गयी। • **लाभांवित व्यक्तियों की संख्या–** स्कूली बच्चे = 121 गर्भवती महिलाएं = 4982 धातृ महिलाएं = 6789 06 माह से 3 वर्ष के बच्चे = 36278
11.	14/2019	• **वादी प्रतिवादी–** स्वतः संज्ञान VS जिला शिक्षक अधीक्षक जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, प0 सिंहभूम • **केस का प्रकार–** समेकित बाल विकास परियोजना • **क्षेत्र–** प0 सिंहभूम • **सुनवाई की तिथियाँ–** दिनांकः– 23.07.2019, 06.08.2019, 13.08.2019,04.11.2019 • **पारित आदेश–** 6 माह से मध्याह्न भोजन बंद रहने के मामले में सुनवाई के दौरान दिये गए निर्देश के आलोक में प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदा0 द्वारा कुल 19 लागू बच्चों के बीच खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान किया गया। • **लाभांवित बच्चों की संख्या–** 19 बच्चे
12.	15/2019	• **वादी प्रतिवादी–** स्वतः संज्ञान VS सचिव खाद्य सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामला विभाग, निदेशक खा0सा0वी0ऊ0 विभाग निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, महिला एवं बाल विकास निदेशालय • **केस का प्रकार –** • **क्षेत्र–** राँची • **सुनवाई की तिथियाँ–** दिनांकः–30.07.2019, 20.08.2019, 28.08.2019, 12.09.2019, 27.09.2019 • **पारित आदेश–**
13.	16/2019	• **वादी प्रतिवादी–** श्री पाण्डेय राम कायम VS जिला आपूर्ति पदा0 प0 सिंहभूम • **केस का प्रकार–** जनवितरण प्रणाली • **क्षेत्र–** प0 सिंहभूम • **सुनवाई की तिथियाँ–** दिनांकः–13.09.2019, 25.09.2019 • **पारित आदेश–** दिनांकः– 25.09.2019 को मामले में 499+56=555 लाभुकों को माह Dec 2018 से July 2019 तक का खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने का आदेश DGRO प0सिंहभूम द्वारा पारित किया गया। • **लाभांवित परिवारों की संख्या–** 555 परिवार

क्रम संख्या	वाद संख्या	विवरणी
14.	17/2019	• **वादी प्रतिवादी–** श्री राशिका कायम, चक्रधरपुर, चाईबासा VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चक्रधपुर प0 सिंहभूम • **केस का प्रकार–** जनवितरण प्रणाली • **क्षेत्र–** प0 सिंहभूम • **सुनवाई की तिथियाँ–** दिनांकः–08.01.2020 • **पारित आदेश–** 1. 98 राशन कार्ड धारियों को 4 माह का राशन नहीं मिलने संबंधी शिकायत। 2. आदेश दिया गया कि शेष 98 राशन कार्डधारियों को राशन वितरण किया जाय तथा शिकायतकर्ता द्वारा दिये गए एक अलग मामले में जाँच करते हुए FIR दर्ज राशन कि recovery करते हुए निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी सह प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चक्रधरपुर चाईबासा को दिया गया। • **लाभांवित परिवारों की संख्या–** 98 परिवार
15.	18/2019	• **वादी प्रतिवादी–** गोमिया देवी, गिरिडीह VS DSO गिरिडीह BSO, बिरनी • **केस का प्रकार–** जनवितरण प्रणाली • **क्षेत्र–** गिरिडीह • **सुनवाई की तिथियाँ–** दिनांकः–24.12.2019, 22.01.2020, 18.02.2020,04.03.2020 • **पारित आदेश–** राशन वितरण में अनियमितता संबंधित शिकायत पर वर्तमान में सुनवाई प्रक्रियाधीन है।
16.	19/2019	• **वादी प्रतिवादी–** सिराज दत्ता व अन्य VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी प0 सिंहभूम • **केस का प्रकार–** जनवितरण प्रणाली। • **क्षेत्र–** प0 सिंहभूम • **सुनवाई की तिथियाँ–** दिनांकः–24.12.2019, 21.01.2020, 18.02.2020, 25.02.20 • **पारित आदेश–** धारा 33 के तहत् कार्रवाई हेतु वाद संख्या–19/2019 में सुनवाई के दौरान 462 लाभुकों में से 68 लाभुकों को खाद्यान्न नहीं मिलने के मामले में सुनवाई की गई। दिनांक–18.02.2020 की सुनवाई के दौरान छूटे हुए कार्डधारियों को राशन वितरण सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। • **लाभांवित परिवारों की संख्या–** 68 परिवार
17.	01/2020	• **वादी प्रतिवादी–** लीलावती देवी एवं अन्य ग्रामीण ग्रा0+पो0–सिलदाग, पो0+स्थान छत्तरपुर, पलामू VS जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, छत्तरपुर। • **केस का प्रकार–** जनवितरण प्रणाली। • **क्षेत्र–** छत्तरपुर पलामू । • **सुनवाई की तिथियाँ–** दिनांकः–03.03.2020 • **पारित आदेश–** डीलर के विरूद्ध FIR दर्ज करते हुए राशन वितरण कराने का आदेश दिया गया।

क्रम संख्या	वाद संख्या	विवरणी
18.	2 / 2020	• **वादी प्रतिवादी–** स्वतः संज्ञान VS जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, प0 सिंहभूम, चाईबासा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खूँटपानी, प0 सिंहभूम, चाईबासा • **केस का प्रकार–** समेकित बाल विकास परियोजना • **क्षेत्र–** प0 सिंहभूम • **सुनवाई की तिथियाँ–** दिनांकः–13.02.2020, 03.03.2020 • **पारित आदेश–** प0 सिंहभूम जिला अर्न्तगत खूँटपानी प्रखण्ड में भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों में निगत 3 माह से पका हुआ भोजन बन्द रहने संबंधित मामले में दिनांक–03.03.2020 को आयोग द्वारा दिनांक–13.04.2020 तक कार्रवाई करने हेतु जिला समाज कल्याण पदा0 को आदेश दिया गया।
19.	20 / 2020	• **वादी प्रतिवादी–** स्वतः संज्ञान VS निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, रांची।। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी प0 सिंहभूम, चाईबासा। • **केस का प्रकार–** ICDS • **क्षेत्र–** प0 सिंहभूम, चाईबासा • **सुनवाई की तिथियाँ–** दिनांकः–28.02.2020 • **पारित आदेश–** सुनवाई प्रक्रियाधीन है।

न्यायालय

केस की सुनवाई करते हुए।

अध्याय-4

शोध अध्ययन एवं मूल्यांकन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अध्याय 7 के (16–6–ग) के तहत इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना प्रमुख कार्य है। इस निमित्त राज्य खाद्य आयोग ने कई महत्त्वपूर्ण विषयों पर देश के नामी गिरामी संस्थानों के छात्रों से क्षेत्र में सर्वे एवं अध्ययन का कार्य करवाया, इसके आधार पर कई महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिये गए। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलुरु के छात्राओं के किये हुए कार्य का प्रतिवेदन अति संक्षिप्त रूप में निम्नांकित है :–

1. विषय :– झारखंड में आदिम जनजातियों के लिए संचालित डाकिया योजना का अध्ययन

अध्ययनकर्ता : सुश्री गौरी चतुर्वेदी (सेंटर फॉर पॉलिसी एंड गवर्नांस, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलुरु)

मार्गदर्शक : श्री हलधर महतो (सदस्य)

कार्यक्षेत्र : घाटशिला प्रखण्ड (रामचंद्रपुर, केंदुअपोशी, गुराजोर और हालुपोनी) चाकुलिया प्रखण्ड (बनकटी और मुराथाकुरा), डुमरिया प्रखण्ड (केंदुआ), जिला–प.सिंहभूम

शोध अवधि–मई 2018 से जुलाई 2018

परिणाम

1. (i) योजना के लाभुक वैसे आदिम जनजाति परिवार, जिनमें चार से अधिक सदस्य हैं, के द्वारा और अधिक चावल की मांग की गयी। इन परिवारों का कहना था कि दिए गए 35 किलो चावल की खपत मात्र पंद्रह दिनों में समाप्त हो जाती है।

   (ii) गैर आदिम जनजाति परिवारों के लाभुकों का कहना था कि उन्हें 35 के बजाय 33 किलो चावल ही दिया जाता है जिसकी गुणवत्ता में भी कमी रहती है।
2. समय पर राशन न दिया जाना अथवा दो महीने में एक बार राशन मिलने की शिकायतें भी लाभुकों द्वारा की गयी।
3. राशन कार्ड में परिवार के सब सदस्यों का नाम नहीं जोड़ा जाना, कुछ परिवारों का राशन कार्ड नहीं बनाया जाना और लगातार एक वर्ष से अधिक समय तक राशन का वितरण न किये जाने के भी कई मामले पाए गए।
4. एक ही लाभुक का नाम तीन अलग–अलग कार्ड पर भिन्न रूप से अंकित होने से भी उन्हें योजना का लाभ उठाने से वंचित किया जा रहा है।
5. राशन कार्ड डीलरों के अनुसार उन्हें जो राशन दिया जाता है, उसमें बोरे का वजन भी शामिल रहता है।
6. अधिकारियों का कहना है कि बहुत सारे अयोग्य परिवार के व्यक्तियों के पास राशन कार्ड है।

सुझाव –

1. जिन सबर परिवारों के पास नियमित आय के साधन नहीं है, उन्हें 35 किलो से ज्यादा चावल दिया जाय।
2. निरीक्षण के माध्यम से जिन परिवारों को राशन कार्ड की सख्त जरूरत है, को चिन्हित कर, उन्हें यह तुरंत बनवाने के लिए दिया गया।
3. डीलरों की नियमित जवाबदेही स्थानीय निगरानी समिति की हो।
4. चाकुलिया ब्लाक के बनकटी और मुराठाकुरा गांव में जल मीनार बनाने का त्वरित आदेश हो ताकि स्वच्छ जल प्राप्त हो सके।
5. चूँकि डाकिया योजना के तहत स्थानीय स्वयं सेवा समूह की महिलाओं के माध्यम से पैकिंग कार्य करवाया जाता है। अतः यह अनिवार्य है कि स्टोरेज भवन में शौचालय का निर्माण करवाया जाय।
6. समय–समय पर जागरूकता शिविर के माध्यम से लाभुकों को उनके अधिकार, खाद्य सामग्री की वर्तमान दर तथा आधार को बैंक से लिंक करने के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाय।

2. विषय :– खाद्य सुरक्षा अधिकारों के संदर्भ में एकल प्रमुख परिवारों द्वारा सामना की गयी चुनौतियों को समझना और उनके लिए वैकल्पिक नीति तैयार करना।

अध्ययनकर्ता : आशीष एस. मोहर्ले, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलुरु

मार्गदर्शक : श्री उपेन्द्र नारायण ऊरांव, (सदस्य)

कार्य क्षेत्र –

परिणाम

1. ज्यादातर एकल प्रमुख परिवार अपर्याप्त अनाज की समस्या से जूझ रहे थे। उनका पूर्ववक्ता परिवारों की श्रेणी में आना इसकी एक वजह हो सकती है।
2. विशिष्ट जनजाति को अनाज का वितरण उनके घर पर किया जाना चाहिए, पर सुचारू रूप से नहीं हो रहा है।
3. अनियमितता की शिकायतें पायी गई, डीलरों द्वारा समय पर अनाज नहीं दिया जा रहा।
4. पाया गया कि तीस उत्तरदाताओं में से कुछ बुजुर्ग और दिव्यांग जन थे, जो अपनी जरूरतों का ख्याल रख पाने में असमर्थ थे और जिन्हें अपनी आजीविका के लिए दूसरों की सहायता की निरंतर आवश्यकता है।
5. ज्यादातर व्यक्ति ब्लाक मुख्यालय से बहुत दूर प्रदेश के किसी सीमावर्ती या पहाड़ी इलाके में रहते है, जिस कारण वे अपनी समस्याओं को अधिकारियों तक पहुँचाने में असमर्थ है।
6. जमीनी स्तर पर कोई भी निगरानी समिति इतनी सक्रीय नहीं पायी गई जो इस बात की जांच करे कि लाभुकों तक अनाज नियमित रूप से पहुंचता है या नहीं।
7. लाभुकों में ऑनलाईन शिकायत पोर्टल की जानकारी न के बराबर थी।
8. पाया गया कि ऑनलाइन शिकायत पोर्टल लाभुकों के प्रयोग के लिए सुगम नहीं था।

सुझावः–

1. मध्याह्न भोजन या आँगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से उन लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाय जो वृद्ध/दिव्यांग अकेले रहते है। कम से कम एक वक्त के भोजन से उन्हें खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाया जा सकता है।
2. विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र से समन्वय स्थापित कर ऐसे पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
3. राशन डीलरों द्वारा अनाज का वितरण नियमित रूप से हो, इसके लिए निगरानी तंत्र में सुधार करने की आवश्यकता है।
4. एकल प्रमुख परिवारों को खाद्य सुरक्षा हेतु अलग से एक कार्ड निर्गत किया जाय।
5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक भी एकल परिवार भूखा न रहे, पंचायतों की सहायता महत्त्वपूर्ण होगी।
6. ग्रामसभा के माध्यम से स्थानीय निगरानी समितियों को सशक्त और पारदर्शी बनाया जा सकता है।
7. एकल प्रमुख परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने वाले लोगों के लिए एक प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान हो।
8. लोगों के बीच ऑनलाइन पोर्टल के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए एक मुहीम चलाने की आवश्यकता है।
9. लोगों की शिकायत दर्ज करने के लिए प्रज्ञा केन्द्रों को माध्यम बनाया जाय। ऐसा करने से उन लोगों की सहायता होगी जिनके पास मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
10. शिकायतों के त्वरित सुधार के लिए ब्लाक स्तर पर एक अधिकारी कि नियुक्ति की जानी चाहिए।

3. विषय :– मध्याह्न भोजन और एकीकृत बाल विकास योजना के तहत गर्म पका हुआ भोजन की क्रियान्वयन एवं प्रबंधन प्रणाली की समझ।

अध्ययनकर्ता :– धनेश्वर प्रसाद शाव, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार

मार्गदर्शक :– श्री हलदर महतो (सदस्य)

कार्य क्षेत्र :– नामकूम प्रखण्ड– आँगनबाड़ी केंद्र (15), विद्यालय (11), रांची सदर प्रखण्ड : विद्यालय (4)

निष्कर्षः–

(i) पाया गया कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत पंद्रह में से तेरह विद्यालय में ही बच्चों को गर्म भोजन परोसते हैं। इतने विद्यालय ही साप्ताहिक मेनु के अनुसार भोजन बनाते है। इसके विपरीत एकीकृत बाल विकास योजना के तहत पंद्रह में से एक भी विद्यालय न तो गर्म पका हुआ भोजन परोसते थे, न ही साप्ताहिक मेनु का पालन करते थे।

(ii) सर्वेक्षण किए गए विद्यालयों में से मध्याह्न भोजन के तहत दस में से सिर्फ पाँच विद्यालय ही बच्चों को सुबह का नाश्ता देते हैं, जिसमें भी साप्ताहिक मेनु का पालन नहीं किया जाता। अभिभावकों का कहना है कि एकीकृत बाल विकास योजना के तहत आँगनबाड़ी कार्यकर्ता नाश्ते में सिर्फ खिचड़ी और दलिया ही परोसते हैं।

(ii) दोनों योजनाओं के तहत खाने की गुणवत्ता औसत से कम पायी गयी।

(iii) कुछ बच्चों ने कहा कि वे मध्याह्न भोजन इसलिए नहीं खाते क्योंकि उसकी गुणवत्ता बहुत खराब होती है।

- बच्चों और उनके अभिभावकों ने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत, भोजन की मात्रा अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि विद्यालय में उस दिन कितने बच्चे उपस्थित हैं। आँगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के बीच अंडो का वितरण नहीं हो रहा था।
- पाया गया कि सिर्फ एक विद्यालय को छोड़कर, सर्वेक्षण किये गये सभी विद्यालयों में पिछले एक वर्ष में मध्याह्न भोजन परोसा जाता रहा है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी खिचड़ी और दलिया का वितरण होता रहा है सिवाय इस बात के कि कई जगहों पर चावल की कमी के वजह से सिर्फ दलिया दिया जाता है।
- सरस्वती वाहिनी की बैंक पासबुक से यह मालूम हुआ कि मध्याह्न भोजन की राशि हमेशा विलंब से आती है। अक्सर इन्हें सामान की खरीदारी उधार पर करनी पड़ती है।
- विद्यालय के प्राचार्य का कहना है कि मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं का वेतन पर्याप्त नहीं है, जो उन्हें समय पर भी नहीं मिलता। सिर्फ पचास प्रतिशत विद्यालय ही एल. पी. जी. गैस का प्रयोग करते हैं, शेष चूल्हे पर भोजन पकाया करते है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ भी यही समस्या पायी गयी।
- एकीकृत बाल विकास योजना के तहत सिर्फ 47 प्रतिशत आँगनबाड़ी केंद्र को 'उत्तम', 33 प्रतिशत को औसत और शेष बीस प्रतिशत को 'औसत से कम' आँका गया।
- मध्याह्न भोजन योजना के तहत सिर्फ 60 प्रतिशत विद्यालयों में परोसा हुआ भोजन को 'उत्तम', बीस प्रतिशत को औसत और शेष बीस प्रतिशत को 'औसत से कम' आँका गया।

सुझाव :–

1. पके हुए भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरस्वती वाहिनी समिति की निगरानी प्रणाली को सशक्त करने की आवश्यकता है।
2. यह सुनिश्चित हो कि योजना के तहत् आबंटित राशि हर माह समय से निर्गत हो।
3. यदि आँगनबाड़ी केंद्र स्थानीय राशन दुकान से चावल उठाए तो भंडारण की कमी वाली समस्या समाप्त हो जाएगी।

4. विषय :– प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति।

अध्ययनकर्ता :– सुश्री दिव्या एलेक्स, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय

मार्गदर्शक :– डॉ. रंजना कुमारी (सदस्य)

कार्यक्षेत्र :– रांची (सदर)

अध्ययन प्रतिवेदन :–

1. अध्ययन के दौरान पाया गया कि योजना के क्रियान्वयन में मुख्य रूप से दो तरह कि समस्या है भुगतान में देरी और नगद लाभ की बेअदायगी

1. **भुगतान में देरी के कारण :–**

(i) पहली और दूसरी किश्त लेने के बाद लाभूकों का पलायन हो जाना जिस कारण से तीसरी किश्त नहीं ले पाए।

(ii) घरेलू व्यस्तता और आँगनबाड़ी केंद्र का दूरी पर स्थित होने की वजह से तीसरी किश्त के लिए फार्म के जमा करने में अक्सर विलंब होना।

(iii) टीकाकरण की अवधि चक्र के संबंध में गलत सूचना होने पर भी तीसरी किश्त के भुगतान में विलंब होना।

2. **नगद लाभ की बेअदायगी**

(i) 70 प्रतिशत लाभुकों के आधार कार्ड में नाम के हिज्जे में अंतर होना।

(ii) 20 प्रतिशत समस्या बैंक से संबंधित है यथा आधार और बैंक कार्ड में लिंक न होना, बैंक में लाभुक का नाम अलग होना एवं बैंक अकाउंट की चालू स्थिति में न होना।

(iii) 10 प्रतिशत साफ्टवेयर संबन्धित गड़बड़ियों का होना।

सुझावः–

1. लाभुक महिलाओं के लिए पति का आधार कार्ड को जमा करना वैकल्पिक बनाया जाय।
2. फार्म सही तरीके से भरवाने एवं लाभार्थी को track करने के लिए आँगनबाड़ी सेविकाओं की क्षमता वृद्धि प्रशिक्षण हो।
3. संभावित लाभुकों के बीच योजना से संबन्धित पेम्पलेट का वितरण किया जाय,ताकि योजना की सही जानकारी मिल सके।
4. योजना के प्रबंधन में सभी विभागों की जवाबदेही तय किया जाना।
5. प्रखंड स्तर पर आधार सुधार कैंप लगाया जाए ताकि हिज्जे संबंधित समस्याओं का निदान किया जा सके।
6. आंगनबाड़ी केन्द्र पर लाभार्थी की सूची, दिनांक, देय राशि एवं विस्तृत जानकारी प्रत्येक माह बोर्ड पर अंकित हो।
7. वर्तमान में लाभार्थी के लिए तीन प्रपत्र भरा जाता है। इसे एक प्रपत्र में भरने की सुविधा की जानी चाहिए। यानि प्रपत्र का सरलीकरण किया जाए।
8. प्रत्येक विभागों की जिम्मेवारी तय की जाय। विशषेकर महिला, बाल विकास, स्वस्थ्य विभाग एवं आधार संबंधित विभाग।

5. **विषय :– गर्म पका हुआ मध्याह्न भोजन एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों पर दिया जाने वाले भोजन के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन संबंधित ससमय विकसित करना।**

अध्ययनकर्ता :– धनेश्वर प्रसाद साव,

मार्गदर्शक :– श्री हलधर महतो, (सदस्य)।

विश्वविद्यालय :– केन्द्रिय विश्वविद्यालय।

समेकित बाल विकास परियोजना के तहत् संचालित आँगनबाड़ी केन्द्र में दिये जाने वाला पका–पकाया भोजन की गुणवत्ता मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में अंतर के कारण एवं दोनों के प्रबंधन में कमियों पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इसके लिए राँची के नामकूम के 15 विद्यालय एवं 15 आँगनबाड़ी के केन्द्रों का sample size किया गया।

1. मध्याह्न भोजन का गुणवत्ता एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में अलग–अलग पाया गया।
2. सरस्वती वाहिनी को सशक्त करने की आवश्यकता है।

आँगनबाड़ी केन्द्रः–

1. समेकित बाल विकास परियोजना के तहत् वित्तीय प्रबंधन को सही करने की आवश्यकता है।
2. अग्रिम के रूप में Fund release किया गया।

शोध एवं अध्ययन

दिनांक-03.07.2019 को शोधकर्ता द्वारा कार्यों का प्रस्तुतीकरण।

अध्याय-5

नीति निर्धारण एवं सुझाव

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा 16 के कंडिका 6–ग के अनुसार झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग ने समय–समय पर राज्य सरकार को अपना महत्वपूर्ण सुझाव प्रषित किया है।)

5.1 महत्त्वपूर्ण पत्राचार एवं सुझाव

क्र0 सं0	पत्रांक/दिनांक	प्रेषित	विषय वस्तु
1.	पत्रांकः– रा0खा0आ0 (डाकिया योजना) 20/2017–727 दिनांकः– 13.12.2018	सभी उपायुक्त, झारखण्ड।	विशिष्ट जनजाति की हकदारियाँ सुनिश्चित करने के संबंध में। इसके लिये परिवार–वार सूचि संकलित हो। प्रपत्र तैयार किया गया।
2.	पत्रांकः–45 दिनांकः–29.04.2019	सचिव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 में उल्लेखित विभिन्न योजनाओं की पारदर्शिता और उचित कार्यान्वयन हेतु निगरानी/सतर्कता समितियों के संकल्प में संशोधन के संबंध में।
3.	पत्रांकः–रा0खा0आ0(विविध) 112/2018–63/राँची दिनांकः–10.05.2019	उपायुक्त, धनबाद, हजारीबाग, प0 सिंहभूम, गोड्डा, चतरा, बोकारो, राँची, पलामू, देवघर, रामगढ़।	कुपोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए District mineral foundation एवं C.S.R की राशि का उपयोग करने के संबंध में।
4.	पत्रांकः–रा0खा0आ0(विविध) 118/19–126 दिनांकः–21.06.2019	NIC के तकनीकि निदेशक।	आहार पोर्टल से अनुपयोगी डाटा हटाने के संबंध में।
5.	पत्रांकः–रा0खा0आ0(विविध) 118/19–167 दिनांकः–05.07.2019	सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार।	आहार पोर्टल के डाटा के फिल्टर एवं शॉर्टिंग करने के लिए लिंक बनाने के संबंध में।
6.	पत्रांकः–रा0खा0आ0(विविध) 49/2018–188 दिनांकः–15.07.2019	निदेशक, कृषि विभाग।	• मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के संबंध में। • Nuticereals से संबंधित केन्द्र सरकार के Submission में राज्य के जिलों को सम्मलित कराने के संबंध में।
7.	पत्रांकः–रा0खा0आ0(स्था0) 02/18–240 दिनांकः–14.08.2019	सभी उपायुक्त, झारखण्ड।	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित प्रखण्डवार/जिला वार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।
8.	पत्रांकः– रा0खा0आ0(विविध) 52/2017–262 दिनांकः–22.08.2019	सचिव महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को विभाग।	संचालित महिला एवं बाल कुपोषण संबंधी योजनाओं के समग्र पर्यवेक्षण हेतु आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करने एवं web विकसित करने के संबंध में।

क्र0 सं0	पत्रांक/दिनांक	प्रेषित	विषय वस्तु
9.	पत्रांकः– रा0खा0आ0(विविध) 118/19–C–263 दिनांकः–26.08.2019	राज्य सूचना पदाधिकारी, N.I.C. धुर्वा।	Jhar-e PDS ver-2.0 में Allocation Balance Report लिंक में Dynamic graph Report के लिए Login का अनुरोध के संबंध में।
10.	पत्रांकः– रा0खा0आ0(विविध) 101/2018–271 दिनांकः–28.08.2019	अध्यक्ष, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकार, नई दिल्ली।	झारखण्ड राज्य में मध्याह्न भोजन एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों के भोजन के जाँच के लिए लैब की अवश्यकता महसूस करते हुए सरकारी एवं निजी क्षेत्र में नए लैब की स्थापना करने हेतु FSSAI से आवश्यक सहयोग के लिए अनुरोध करने के संबंध में।
11.	पत्रांकः– रा0खा0आ0(स्था0) 02/2018–312 दिनांकः–18.09.2019	सभी उपायुक्त, झारखण्ड।	• आधार कार्ड (Carrection camp) लगाकर लाभार्थी के नामों के हिज्जे (Spelling) को ठीक करने के संबंध में। • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत लाभ पाने के लिए 3 (तीन) प्रपत्रों को आँगनबाड़ी केन्द्रों पर भरा जाना है। प्रपत्रों के सरलीकरण का सुझाव। सेवा प्रदाताओं के क्षमता वृद्धि से संबंधित प्रशिक्षण। • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की सही जानकारी हो इस हेतु लाभार्थी को योग्यता संबंधित किस्तों, खाता खोलने संबंधित जानकारी स्पष्ट रूप से देने के संबंध में। • योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु पम्पलेट, पोस्टर एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों के दीवारों पर अंकन कराने के संबंध में। • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभुकों की सूचि, निबंधन की तिथि का संधारण रजिस्टर में कराने के संबंध में।
12.	पत्रांकः– रा0खा0आ0(विविध) 32/2018–479 दिनांकः–22.11.2019	सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखण्ड सरकार।	दीनदयाल लोकवस्तु भण्डार के संचालन एवं संकल्प के संबंध में।
13.	पत्रांकः– रा0खा0आ0(विविध) 124/2019–491 दिनांकः–26.11.2019	सचिव, खाद्य उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 में संशोधन कर राज्य खाद्य आयोग को सशक्त बनाने के संबंध में।
14.	अर्द्धसरकारी पत्रांकः– रा0खा0आ0 (विविध) 167/2019–501 दिनांकः–28.11.2019	प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार।	राज्य के विद्यालयों में दिये जाने वाले पके हुए भोजन की गुणवत्ता की नियमित जाँच करके प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने के संबंध में।

क्र0 सं0	पत्रांक / दिनांक	प्रेषित	विषय वस्तु
15.	अर्द्धसरकारी पत्रांकः– रा0खा0आ0 (विविध) 168 / 2019–502 दिनांकः–28.11.2019	सचिव, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार।	राज्य के आँगनबाड़ी केन्द्रों में दिये जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच, प्रत्येक माह करा कर प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।
16.	पत्रांकः– रा0खा0आ0 (स्था0) 02 / 2018–522 दिनांकः–02.12.2019	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।	आँगनबाड़ी केन्द्र पर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के दिन आधार अपडेशन केन्द्र आयोजित करने के संबंध में।
17.	पत्रांकः– रा0खा0आ0(स्था0) 02 / 2018–524 दिनांकः–02.12.2019	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थी द्वारा पति का आधार कार्ड जमा करने को वैकल्पिक बनाने का सुझाव दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिल सके।
18.	पत्रांकः– रा0खा0आ0(विविध) 101 / 2018–536 दिनांकः–09.12.2019	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार– कल्याण विभाग, झारखण्ड।	राज्य के विद्यालयों एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों में दिये जाने वाले पके हुए भोजन की गुणवत्ता जाँच हेतु प्रत्येक जिलों में जाँच केन्द्रों के स्थापना के संबंध में।
19.	पत्रांकः– रा0खा0आ0(विविध) 118 / 2019, थ–534 दिनांकः–09.12.2019	सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार।	आयोग के यूजर आई०डी०–Jhar-e PDS Ver-2.0, के लिंक में Suspended Dealers Report में डिलर को सस्पेंड करने के कारण, सस्पेंसन अवधि, लाईसेंस के नवीकरण, कार्डधारियों का डीलर से संबद्धता का विवरण पोर्टल पर स्पष्ट रूप से रहे।
20.	पत्रांकः– रा0खा0आ0(विविध) 112 / 2018–556 दिनांकः–17.12.2019	मुख्य सचिव, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर।	भुवनेश्वर से कुपोषण दूर करने के लिए उड़िसा ने District mining fund के व्यवहार की प्रक्रिया पर पत्राचार करने के संबंध में।
21.	पत्रांकः– रा0खा0आ0(विविध) 112 / 2018–557 दिनांकः–17.12.2019	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार।	कुपोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हेतु District Mineral fund निधि के उपयोग कुपोषण दूर किये जाने के संबंध में।
22.	पत्रांकः– रा0खा0आ0(विविध) 178 / 2019–565 दिनांकः–18.12.2019	National University of study and Research in Law, Ranchi.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य हेतु State rules का प्रारूप तैयार किये जाने के संबंध में।
23.	पत्रांकः– रा0खा0आ0(विविध) 149 / 2019–564 दिनांकः–19.12.2019	प्रधान सचिव खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग एवं महिला, बाल विकास एवं। सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–28 के आलोक में संचालित योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण कराने के संबंध में।

क्र0 सं0	पत्रांक/दिनांक	प्रेषित	विषय वस्तु
24.	पत्रांकः– रा0खा0आ0(विविध) 147/2019–571 दिनांकः–20.12.2019	मुख्य सचिव, झारखण्ड।	राज्य के एकल परिवार के असहाय एवं वृद्ध को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिये एवं इन परिवारों को मध्याह्न भोजन तथा आँगनबाड़ी केन्द्रों में दिये जाने वाले भोजन से जोड़ने के लिए, आहार पोर्टल में सिंगल हेडेड परिवार का विवरण को उपलब्ध कराना एवं जनप्रतिनिधि, मुखिया वार्ड सदस्य द्वारा एकल परिवारों को चिन्हित कर मध्याह्न भोजन/आँगनबाड़ी केन्द्र में जोड़ने के संबंध में।
25.	पत्रांकः– रा0खा0आ0(विविध) 147/2019–571 दिनांक–20.12.2019	मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची।	राज्य के एकल परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान किये जाने के संबंध में।
26.	पत्रांकः– रा0खा0आ0(विविध) 176/2019–573 दिनांकः–23.12.2019	मुख्य सचिव, झारखण्ड।	झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में जनवितरण प्रणाली से संबंधित कार्य, वितरण संबंधित कार्य 100% Online करने के संबंध में।
27.	पत्रांकः– रा0खा0आ0(विविध) 112/2018–576 दिनांकः–26.12.2019	मुख्य सचिव, झारखण्ड।	मडुआ, ज्वार, बाजरा, रागी आदि मोटे अनाजों का वितरण जनवितरण प्रणाली केन्द्रों के माध्यम से वितरित किये जाने हेतु नीति बनाने तथा राज्य में मोटे अनाजों के अधिप्राप्ति हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर खरीदे जाने की व्यवस्था करने के संबंध में।
28.	पत्रांकः– रा0खा0आ0(विविध) 5/2017–583 दिनांकः–30.12.2019	अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी लोहरदगा, गुमला, पलामू, पूर्वी एवं प. सिंहभूम।	जिला स्तरीय प्राप्त शिकायत के निवारण/निष्पादन संबंधित प्रतिवेदन के संबंध में।
29.	पत्रांकः– रा0खा0आ0(विविध) 49/2018–18 दिनांक–14.01.2020	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, झारखण्ड।	राज्य में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के संबंध में।
30.	पत्रांकः– रा0खा0आ0(विविध) 49/2018–20 दिनांक–14.01.2020	विकास आयुक्त, सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची।	पोषण संबंधी आवश्यकताओं को बेहतर करने के लिए राज्य में मोटे अनाजों के उत्पादन हेतु कार्यक्रम संचालित किये जाने के संबंध में।

क्र0 सं0	पत्रांक/दिनांक	प्रेषित	विषय वस्तु
31.	पत्रांकः– रा0खा0आ0(विविध) 101/18–54 दिनांक–05.02.2020	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।	राज्य के विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिये जाने वाले पके हुए भोजन की गुणवत्ता जाँच हेतु प्रत्येक जिलों में जाँच केन्द्रों की स्थापना करने के संबंध में।
32.	पत्रांकः– रा0खा0आ0(विविध) 147/2019–123 दिनांक–14.02.2020	मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची।	राज्य के एकल परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान किये जाने के संबंध में।
33.	पत्रांकः– रा0खा0आ0(नीति) 02/2020–175 दिनांक–05.03.2020	सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।	आंगनबाड़ी केन्द्रों के अनुश्रवण एवं निगरानी हेतु राज्य स्तर/जिला स्तर/प्रखण्ड स्तर एवं पंचायत स्तर पर अनुश्रवण समिति के गठन के संबंध में।
34.	पत्रांकः– रा0खा0आ0(नीति) 02/2020–174 दिनांक–05.03.2020	सचिव, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।	प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अनुश्रवण एवं निगरानी हेतु राज्य स्तर/जिला स्तर/प्रखण्ड स्तर एवं पंचायत स्तर पर अनुश्रवण समिति के गठन के संबंध में।

(बिरहोर जनजाति) पी.भी.टी.जी. परिवार सिमडेगा

अध्याय-6

महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- व्यक्तिगत एवं सामूहिक जनवितरण प्रणाली से संबंधित लगभग 11,000 राशन कार्डधारियों की शिकायतों का निस्तारण।
- विशेष कर पश्चिमी सिंहभूम जिला में लगभग 1,000 से अधिक कार्डधारियों को लगभग 14 माह का बकाया राशन भुगतान सुनिश्चित कराया गया।
- मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत लगभग 300 छात्रों को आयोग द्वारा खाद्य सुरक्षा भत्ता सुनिश्चित कराया गया।
- आँगनबाड़ी केन्द्रों में दी जाने वाली सेवाओं में अनियमितता पर आयोग द्वारा कार्रवाई प्रारंभ।
- बन्दगाँव प्रखण्ड (पश्चिमी सिंहभूम) के बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता सुनिश्चित न कर पाने के कारण संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–33 एवं धारा–20 (2) के तहत कार्रवाई प्रक्रियाधीन।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–28 के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन योजना के सामाजिक अंकेक्षण हेतु विभाग द्वारा प्रक्रिया की गई प्रारंभ एवं व्यापक स्तर पर अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की गई।
- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के बेवसाइट का निर्माण।
- झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग में Online शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया प्रारंभ।
- Video Conferencing के माध्यम से झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की कोर्ट प्रक्रिया प्रारंभ।
- शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था।
- सभी जिलों में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी पद निहित किया गया है।
- प्रज्ञा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाईन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई प्रारम्भ।
- मध्याह्न भोजन योजना एवं जनवितरण प्रणाली में संबंधित विभागों द्वारा आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली विकसित।
- आयोग की संपूर्ण जानकारी को एकत्रित कर, आयोग के वेबसाइट का निर्माण कर, उसके माध्यम से प्रचारित।
- खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में सरकारी अधिकरियों की जानकारी हेतु प्रमण्डलीय एवं जिला स्तरीय उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण।
- गैर सरकारी संगठनों एवं सामाजिक संस्थाओं हेतु प्रशिक्षण एवं कार्यशाला।
- पायलट बेसिस पर नामकुम प्रखण्ड के मुखिया एवं निगरानी समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 को समझने हेतु PPT विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित ।
- वर्ष 2017–18 का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया गया एवं विधानसभा के पटल पर रखा गया एवं जूलाई 2018 से जून 2020 का विशेष प्रतिवेदन समक्ष है।
- दिनांक 25/09/2018 के माध्यम से राँची जिला के सिल्ली प्रखंड के पतरातु पंचायत के 18 लोगों के कार्ड रद्द करने से संबंधित पत्र मुखिया को निर्गत किया गया। आयोग के द्वारा संबंधित विषय पर पुनः 28/02/2019 को उपायुक्त को पत्र प्रेषित किया गया।
- दिनांक 16/02/2019 को राँची जिला के सिल्ली प्रखंड के पतरातु पंचायत के 40 कार्ड रद्द करने की सूचना दी गई। जिन्हें आयोग के द्वारा दिनांक–27/03/2019 को D.G.R.O. को प्रेषित किया गया एवं 40 व्यक्तियों का नाम आधार पोर्टल में जोड़ने के संबंध में भी सूचना दी गई।
- धारा–28 के तहत मध्याह्न भोजन के सामाजिक अंकेक्षण उपरांत कुल–267 विद्यालयों के 78142 बच्चों को कुल–69,30,519 रु० का खाद्य सुरक्षा भत्ता एवं 154.81 मीट्रीक टन खाद्यान्न दिलवाया गया।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–28 में लक्षित जनवितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याण योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कराए जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अनुसार राज्य खाद्य आयोग के तहत 4 प्रमुख योजनाएँ– लक्षित जनवितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिए जाने वाले पूरक पोषाहार एवं प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के अनुश्रवण का दायित्व है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य खाद्य आयोग द्वारा लक्षित जनवितरण प्रणाली एवं मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित शिकायतों/अनियमितताओं पर सुझावी कार्रवाई हेतु मार्ग दर्शिका/सुझावी दिशा–निर्देश तैयार की गई है। जिसमें प्राप्त की जाने वाली सेवाओं/अंकेक्षण के बिन्दु, इनसे संबंधित कानूनी प्रावधान, जिम्मेवारी, क्रियात्मक आदेश एवं दण्डात्मक कार्रवाई/सुधारात्मक उपाय आदि के संबंध में सुझावी दिशा–निर्देश गए हैं ताकि सामाजिक अंकेक्षण काराने में स्पष्टता बनी रहे।
- दो अन्य योजनाओं यथा–आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिए जाने वाले पूरक पोषाहार एवं प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित मार्ग दर्शीका/सुझावी दिशा–निर्देश तैयार करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
- लॉकडाउन की अवधि में राज्य के लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा समय–समय पर विज्ञापन के माध्यम से जागरूकता लाने का कार्य किया गया तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त करने के लिए वाट्सएप नं0 जारी किए गए। इस क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से कुल–365 शिकायतें (माह अप्रैल, 20 से माह 30 जून, 20 तक) प्राप्त हुई, जिन पर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु आयोग द्वारा सम्बन्धित जिलों को निर्देश दिया गया।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा – 28 के तहत् संचालित योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने का प्रावधान है। इसके आलोक में सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा जनवितरण प्रणाली/आँगनबाड़ी केन्द्र पर पोषण से संबंधित मिलने वाली सेवाओं एवं मध्याह्न भोजन का सामाजिक अंकेक्षण दो चरणों में किया गया। प्रथम चरण दिनांक–27.04.2020 से दिनांक 07.05.2020 तक एवं द्वितीय चरण दिनांक–06.05.2020 से दिनांक–17.05.2020 तक हुआ। इससे संबंधित प्रतिवेदन सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा आयोग को उपलब्ध करायी गयी। अंकेक्षण के आधार पर प्राप्त शिकायतों एवं स्वतः संज्ञान से प्राप्त त्रुटियों पर आयोग द्वारा कई बिन्दुओं पर कार्रवाई की गई एवं वर्तमान में भी की जा रही है।

क्रमांक	जिला	कुल शिकायतें	क्रमांक	जिला	कुल शिकायतें
1	बोकारो	19	13	खूंटी	1
2	चतरा	9	14	कोडरमा	5
3	देवघर	9	15	लातेहार	4
4	धनबाद	11	16	लोहरदगा	2
5	दुमका	13	17	पाकुड़	10
6	पूर्वी सिंहभूम	17	18	पलामू	30
7	गढ़वा	15	19	रामगढ़	5
8	गिरिडीह	19	20	राँची	105
9	गोड्डा	43	21	साहेबगंज	15
10	गुमला	4	22	सरायकेला	10
11	हजारीबाग	7	23	पश्चिमी सिंहभूम	7
12	जामताड़ा	6			

कुल शिकायतें–365

Abbreviation (संक्षिप्त नाम)

ICDS-Integrated Child Development Scheme

PDS-Public Distribution System

PGMS-Public Grievance Management System

ANC-Antenatal Care

JSY-Janani Suraksha Yojana

PHH-Priority House Holds

AAY-Antyodaya Anna Yojana

NFSM-National Food Security mission

KVK-Krishi Vigyan Kendra

ATMA- Agricultural Technology Management Agency

ICRA-Investment Information and Credit Rating Agency

NFHS-National Family Health Survey

CSR-Corporate Social Responsibilty

SOP-Standard Operating Procedure

RBSK-Rashtriya Bal Swasthya Karyakram

MDM- Mid Day Meal

MTC-Malnutrition Treatment Centre

SHG-Self-Help Group

PMMVY-Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana

AWC-Anganwadi Centre

MCP Card-Mother and Child Protection Card

NABL-National Accrecitation Board for Testing and Calibration Laboratories

TISS- Tata Institute of Social Sciences

PGMS-Public Grievance Monitoring System

FSSAI-Food Safety and Standard Authority of India

FCI-Food Corporation of India

KYC-Know Your Customer

MUAC-Mid- Upper Arm Circumference (Left Upper Arm Measured)

BMI-Body Mass Index

NLSIU- National Law School of India University

MO-Marketing Officer

DSO-District Supply Officer

BSO-Block Supply Officer

CSO-Central Statistic Officer

CDPO-Child Development Project Officer

DGRO-District Grievance Redressal Officer

पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ श्रेणी के लाभार्थियों की पहचान

समावेशन मानक निम्नवत् होंगेः–

60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पार्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत न हों।

सभी विधवा एवं परित्यक्ता जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पार्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत न हों।

वैसे सभी निःशक्त व्यक्ति जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक हो जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पार्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत न हों।

सभी आदिम जनजाति के सदस्य जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पार्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित न हों।

कैंसर, एड्स, कुष्ठ एवं अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्याालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पार्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत न हों।

सभी भिखारी एवं गृहविहीन व्यक्ति।

उल्लेखित छः (06) समावेशन मानकों के अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित वर्गों को भी शामिल किया गया हैः–

कूड़ा चुनने वाला (Rag Picker)/झाड़ूकश (Sweeper)।

निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक (Construction Worker)/राजमिस्त्री(Mason)/अकुशल श्रमिक (Unskilled Labour)/घरेलू श्रमिक (Domestic Worker)/कुली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अन्य श्रमिक (Coolie and other head load worker)/रिक्शाचालक (Rickshaw Puller)/ठेला चालक (Thella Puller)।

फूटपाथी दुकानदार (Street Vendor)/फेरीवाला (Hawker)/छोटे स्थापना के अनुसेवक (Peon in Small Establishment)/सुरक्षा प्रहरी (Security Guard)/पेन्टर (Painter)/वेल्डर (Welder)/बिजली मिस्त्री (Electrician)/मैकेनिक (Mechanic)/दर्जी (Tailor)/नलसाज (Plumber)/माली (Mali)/ धोबी (Washer man)/मोची (Cobbler)।

नोटः– समावेशपन मानक के आधार पर चिन्हित व्यक्तियों/परिवारों पर अपवर्जन मानक लागू नहीं होगा।

अपवर्जन मानक निम्नवत हैः–

- परिवार का कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पार्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो, अथवा
- परिवार का कोई सदस्य, आयकर/सेवा कर/व्यावसायिक कर देते है, अथवा
- परिवार के पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि दस एकड़ से अधिक भूमि है, अथवा
- परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर है, अथवा
- परिवार के किसी सदस्य, सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है, अथवा
- परिवार का पास रेफ्रिजरेटर/एयर कंडिशनर/वॉशींग मशीन है, अथवा
- परिवार के पास कमरों में पक्की दिवारों तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान है, अथवा
- परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर इत्यादि) है।
- अपवर्जन एवं समावेशन मानकों में विभाग द्वारा आवश्यतानुसार संशोधन/परिवर्तन किया जाएगा।
- अपवर्जन एवं समावेशन मानकों को विभागीय वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- खण्ड–3 उपखण्ड–(ii) में उल्लेखित सभी प्रकार के गृहस्थों हेतु अलग–अलग राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा।

जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग का निर्देश :–

(क) जन वितरण प्रणाली की दुकानें प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 8:00 बजे अपराह्न तक खुलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये। साथ ही, जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को निर्देश दिया जाये कि वे अपनी दुकान में उपलब्ध सामग्रियों का वितरण दुकान के बाहर सूचना पट्ट पर निश्चित रूप से अंकित करें।

(ख) राशन कार्ड प्रत्येक स्थिति में लाभुकों के जिम्मे ही रखने की व्यवस्था की जाये तथा किसी भी परिस्थिति में दुकानदार इसे अपने पास नहीं रखने पायें।

(ग) वैसी जन वितरण प्रणाली की दुकानों की अनुज्ञप्तियाँ रद्द कर दी जायें जोः–

I. पूरे माह निर्धारित समय पर दुकान खुली नहीं रखते हैं।

II. लाभुक परिवारों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराते हैं और अगर कराते हैं तो सरकार द्वारा नियत दर से अधिक दर पर।

III. लाभुक परिवारों का राशन कार्ड अपने पास रखते हैं।

IV. लाभुक राशन कार्ड में गलत प्रविष्टि (इन्ट्री) करते हैं।

V. कालाबाजारी में लिप्त रहते हैं तथा खाद्यान्न को खुले बाजार में बेचते हैं।

VI. अपनी राशन दुकान दूसरे व्यक्ति/संस्था से चलवाते हैं।

विज्ञापन एक नजर में...

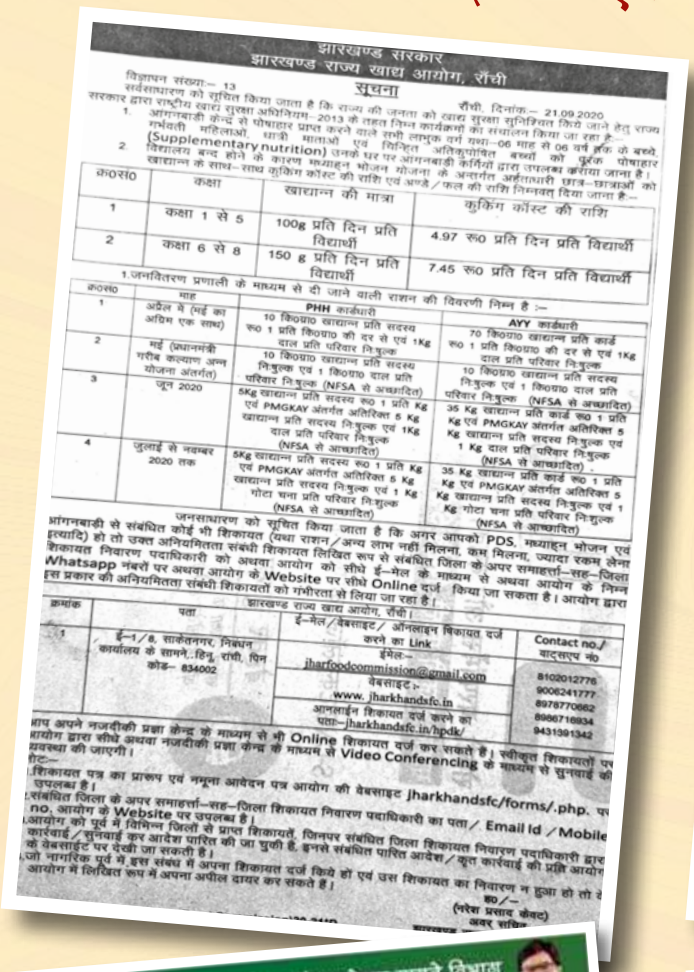

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची
सूचना
विज्ञापन संख्या:– 13
राँची, दिनांक:– 21.09.2020
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य की जनता को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत निम्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है:–
1. आंगनबाड़ी केन्द्र से पोषाहार प्राप्त करने वाले सभी लाभुक वर्ग यथा–06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलायें, धात्री माताओं एवं चिन्हित अतिकुपोषित बच्चों को पूरक पोषाहार (Supplementary nutrition) उनके घर पर आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
2. विद्यालय बन्द होने के कारण मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत अर्हतापूर्ण छात्र–छात्राओं को खाद्यान्न के साथ–साथ कुकिंग कॉस्ट की राशि एवं अण्डे/फल की राशि निम्नवत दिया जाता है:–

क्र०सं०	कक्षा	खाद्यान्न की मात्रा	कुकिंग कॉस्ट की राशि
1	कक्षा 1 से 5	100g प्रति दिन प्रति विद्यार्थी	4.97 रू० प्रति दिन प्रति विद्यार्थी
2	कक्षा 6 से 8	150 g प्रति दिन प्रति विद्यार्थी	7.45 रू० प्रति दिन प्रति विद्यार्थी

1.जनवितरण प्रणाली के माध्यम से दी जाने वाली राशन की विवरणी निम्न है :–

क्र०सं०	माह	PHH कार्डधारी	AYY कार्डधारी
1	अप्रैल में (मई का अग्रिम एक साथ)	10 कि०ग्रा० खाद्यान्न प्रति सदस्य रू० 1 प्रति कि०ग्रा० की दर से एवं 1Kg दाल प्रति परिवार निःशुल्क	70 कि०ग्रा० खाद्यान्न प्रति कार्ड रू० 1 प्रति कि०ग्रा० की दर से एवं 1Kg दाल प्रति परिवार निःशुल्क
2	मई (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत)	10 कि०ग्रा० खाद्यान्न प्रति सदस्य निःशुल्क एवं 1 कि०ग्रा० दाल प्रति परिवार निःशुल्क (NFSA से आच्छादित)	10 कि०ग्रा० खाद्यान्न प्रति सदस्य निःशुल्क एवं 1 कि०ग्रा० दाल प्रति परिवार निःशुल्क (NFSA से आच्छादित)
3	जून 2020	5Kg खाद्यान्न प्रति सदस्य रू० 1 प्रति Kg एवं PMGKAY अंतर्गत अतिरिक्त 5 Kg खाद्यान्न प्रति सदस्य निःशुल्क एवं 1Kg दाल प्रति परिवार निःशुल्क (NFSA से आच्छादित)	35 Kg खाद्यान्न प्रति कार्ड रू० 1 प्रति Kg एवं PMGKAY अंतर्गत अतिरिक्त 5 Kg खाद्यान्न प्रति सदस्य निःशुल्क एवं 1 Kg दाल प्रति परिवार निःशुल्क (NFSA से आच्छादित)
4	जुलाई से नवम्बर 2020 तक	5Kg खाद्यान्न प्रति सदस्य रू० 1 प्रति Kg एवं PMGKAY अंतर्गत अतिरिक्त 5 Kg खाद्यान्न प्रति सदस्य निःशुल्क एवं 1 Kg गोटा चना प्रति परिवार निःशुल्क (NFSA से आच्छादित)	35 Kg खाद्यान्न प्रति कार्ड रू० 1 प्रति Kg एवं PMGKAY अंतर्गत अतिरिक्त 5 Kg खाद्यान्न प्रति सदस्य निःशुल्क एवं 1 Kg गोटा चना प्रति परिवार निःशुल्क (NFSA से आच्छादित)

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अगर आपको PDS, मध्याह्न भोजन एवं आंगनबाड़ी से संबंधित कोई भी शिकायत (यथा राशन/अन्य लाभ नहीं मिलना, कम मिलना, ज्यादा रकम लेना इत्यादि) हो तो उक्त अनियमितता संबंधी शिकायत लिखित रूप से संबंधित जिला के अपर समाहर्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को अथवा आयोग को सीधे ई–मेल के माध्यम से अथवा आयोग के निम्न Whatsapp नंबरों पर अथवा आयोग के Website पर सीधे Online दर्ज किया जा सकता है। आयोग द्वारा इस प्रकार की अनियमितता संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है।

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

क्रमांक	पता	ई–मेल/वेबसाइट/ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का Link	Contact no./ वाट्सएप नo
1	ई–1/8, साकेतनगर, निबन्धन कार्यालय के सामने, हिनू, राँची, पिन कोड– 834002	ईमेल:– jharfoodcommission@gmail.com वेबसाइट:– www. jharkhandsfc.in ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का पता:–jharkhandsfc.in/hpdk/	8102012776 9006241777 8978770662 8986716934 9431391342

आप अपने नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से भी Online शिकायत दर्ज कर सकते हैं। स्वीकृत शिकायतों पर आयोग द्वारा सीधे अथवा नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से Video Conferencing के माध्यम से सुनवाई की व्यवस्था की जाएगी।
नोटः–
शिकायत पत्र का प्रारूप एवं नमूना आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट jharkhandsfc/forms/.php. पर उपलब्ध है।
संबंधित जिला के अपर समाहर्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का पता/ Email Id /Mobile no. आयोग के Website पर उपलब्ध है।
आयोग को पूर्व में विभिन्न जिलों से प्राप्त शिकायतें, जिनपर संबंधित जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई/सुनवाई कर आदेश पारित की जा चुकी है, इनसे संबंधित पारित आदेश/कृत कार्रवाई की प्रति आयोग के वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
जो नागरिक पूर्व में इस संबंध में अपना शिकायत दर्ज किये हो एवं उस शिकायत का निवारण न हुआ हो तो वे आयोग में लिखित रूप में अपना अपील दायर कर सकते हैं।
(नरेश प्रसाद केशर)
अवर सचिव

क्र०सं०	माह	PHH कार्डधारी	AAY कार्डधारी
01	अप्रैल	10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य ₹1 प्रति किलोग्राम	70 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति कार्ड ₹1 प्रति किलोग्राम
02	मई	10 किलोग्राम प्रति सदस्य निःशुल्क (NFSA से आच्छादित)	10 किलोग्राम प्रति सदस्य निःशुल्क (NFSA से आच्छादित)
03	जून	5 किलोग्राम प्रति सदस्य ₹1 प्रति किलोग्राम एवं 5 किलोग्राम प्रति सदस्य निःशुल्क (NFSA से आच्छादित)	35 किलोग्राम प्रति कार्ड ₹1 प्रति किलोग्राम एवं 5 किलोग्राम प्रति सदस्य निःशुल्क (NFSA से आच्छादित)

झारखण्ड सरकार के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन का प्रचार-प्रसार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग

ई - 1/8, साकेत नगर, हिनू, निबंधन कार्यालय के सामने, राँची - 834 002

ई-मेल : jharfoodcommission@gmail.com

वेवसाइट : jharkhandsfc.in

दूरभाष : 0651-2252261, 2252267

2513_20_Design&Print: **Kailash Paper,** Ranchi